खण्ड-218, अंक-5
शुक्रवार, 21 माघ, शक संवत् 1882
(10 फरवरी, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 218 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

MAY 1960

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १० फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री , श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० आइस , श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन , श्री
इस्तफा हुसैन , श्री
उग्रसेन, श्री
उल्फ़तसिंह , श्री
ऊदल ,श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ , श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय , श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी , श्री
कालीचरण अग्रवाल ,श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर,श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश कुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां , श्री
गरीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह , श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदा देवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय , श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश , श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण , श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी , श्री
जगपतिसिंह , श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल , डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर ,श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर ,आचार्य
जोखई , श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम , श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह , श्री
ताराचन्द माहेश्वरी , श्री
तारादेवी , डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त , श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण , श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीवंडकर, आचार्य
दुर्योधन , श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद , श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह , श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम , श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर , श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा , श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव,श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा , श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री

फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम ,श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई , श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल , श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन , श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां,श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल,श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह,श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुदीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्षमणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री

श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णगोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १० फरवरी, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बाराबंकी में जिला परिषद् के अध्यापकों के साक्षात्कार में अनियमितता की शिकायत

१—श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले में अन्तरिम जिला परिषद के स्कूलों के ६० अध्यापकों की जगह के लिये साक्षात्कार हेतु १,५०० अभ्यर्थी १०-११ अक्तूबर, १९६० को बुलाये गये थे ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जी हां, ७० अध्यापकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए १०,११ व १२ अक्तूबर, १९६० को साक्षात्कार हेतु ६८९ अभ्यर्थी उपस्थित हुये थे ।

२—श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को इस बात की शिकायत मिली है कि साक्षात्कार के पहले ही ४० अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिये आदेश द्वारा भेजे जा चुके थे ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, श्री स्वामी रामानन्द शास्त्री एम० पी० की शिकायत दिनांक १०-१०-६० को शासन को प्राप्त हुई थी ।

**३--श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वे इस विषय में क्या कर रहे हैं ?

आचार्य जुगुलकिशोर--जांच करने पर विदित हुआ कि आरोप निराधार थे एवं भ्रमवश किये गये थे ।

**४--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)--[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न २ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

रोडवेज कर्मचारियों के नवीन सेवा नियमों का विरोध

**५--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया), श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर), श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़), श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या मंत्री परिवहन, राजकीय परिवहन विभाग के शासकीय आदेश नं० ३०१४ D/XXX--१३५U-५९, तारीख १६ सितम्बर, १९६० जो रोडवेज कर्मचारियों के सेवा नियमों में परिवर्तन हेतु जारी किया गया है, की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--वांछित शासकीय आदेश की एक †प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

**६--श्री उग्रसेन, श्री रामदुलारे मिश्र, श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री मुक्तिनाथराय, श्री गौरीशंकर राय तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि किन शर्तों की पूर्ति हेतु उक्त शासकीय आदेश में कर्मचारियों से एग्रीमेंट फार्म भराया जा रहा है ।

श्री मुजफ्फर हसन--उक्त शासकीय आदेश दिनांक १६ सितम्बर, १९६० में दी गई शर्तों की पूर्ति हेतु ?

**७--श्री उग्रसेन, श्री रामदुलारे मिश्र, श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री मुक्तिनाथराय, श्री गौरीशंकर राय तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या यह सही है कि रोजवेज कर्मचारियों ने एग्रीमेंट फार्म भरने का विरोध समूचे प्रदेश में किया है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को प्रदेश में किन-किन रीजन में नौकरी से हटा दिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं । रोडवेज के कुछ क्षेत्रों के थोड़े से कर्मचारियों ने ही एग्रीमेंट फार्म भरने से इन्कार किया था, एग्रीमेंट फार्म न भरने के कारण मेरठ रीजन के १ कानपुर रीजन के ३ और लखनऊ रीजन के १२ कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कानून और राष्ट्रीय श्रम कानून में नियम ८ घंटे के दिन का है तो रोडवेज में ९ घंटे के दिन के लिये यह विशेष आदेश क्यों लागू किया गया है और विशेष कर ड्राइवरों के लिये १२ घंटे के दिन का ?

श्री मुजफ्फर हसन--इस आदेश के जरिये घंटे में कोई इजाफा नहीं किया गया है ।

श्री गेंदासिंह--इस एग्रीमेंट को भराने की इतनी जल्दी क्या थी और क्या आवश्यकता थी ?

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई ।

श्री मुजफ्फर हसन ---इसलिये कि यह कार्मशियल इंस्टीट्यूशन है और जो आम रूल्स हैं उससे इसका मेल नहीं होता ह ।

श्री उग्रसेन---जब माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि यह कार्मशियल इंस्टीट्यूशन है तो कार्मशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस भी मिलता है, फिर रोडवेज विभाग के कर्मचारियों को बोनस देने की व्यवस्था इस जी० ओ० में क्यों नहीं की गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन ---इसके लिये अगर आप नोटिस देंगे तो मैं उसे देखूंगा । मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं है ।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों ने एग्रीमेंट फार्म के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया उन्होंने कोई कारण बतलाया था कि वे क्यों नहीं हस्ताक्षर कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---उस पर दस्तखत नहीं किया यही उसका कारण है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह कार्मशियल इंस्टीट्यूशन है तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से और कार्मशियल इंस्टीट्यूशन्स में काम करने वाले कर्मचारियों को सुविधायें दी जाती हैं और उनके ग्रीवांसेज तय किये जाते हैं उसी तरह की व्यवस्था वे यहां भी करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---जिस तरह से गवर्नमेन्ट इंस्टीटयूशंस में जो सुविधायें दी जाती हैं वे जरूर दी जायेंगी । और जो तब्दीली हुई है वह यही है कि जो कार्मशियल गवर्नमेंट अन्डर टेकिंग हैं जैसे चुर्क सीमेंट फैक्टरी और केसा, वहां जो नियम हैं बिलकुल उसी के मुताबिक नये एग्रीमेंट तैयार किये गये हैं ।

श्री गौरीशंकर राय---माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि रात में तथा आड आवर्स में भी उनको बुलाना पड़ता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों से आड आवर्स में काम लिया जाता है तथा ओवर टाइम वर्क लिया जाता है उनको रेगुलर तरीके से काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन की तरह कौन-कौन सी विशेष प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष ---यह बहुत ही व्यापक और गोल प्रश्न है ।

श्री मुजफ्फर हसन---अगर इजाजत हो तो मैं कुछ सफाई कर दूं ।

इस ऐग्रीमेंट के पहले कोई ओवर टाइम का तरीका नहीं था । इस एग्रीमेन्ट के बाद उनको डबल ओवर टाइम भत्ता देने का फैसला किया गया है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---प्रश्न में जो जी० ओ० का हवाला दिया गया है उसके मातहत डी० ओ० नं० ७५३४ आर० डब्ल्यू० जो विभाग से निकला है उसमें टर्म्स दिये हुए हैं जिसकी कापी हमारे पास ह । उसमें श्रीमन्, लिखा हुआ है ---

"No worker shall ordinarily be required to work for more than 9 hours in a day or 54 hours in a week".

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि फिर इस विभाग के कर्मचारियों के लिये ८ घंटे के बजाय ९ घंटे प्रति दिन काम करने की व्यवस्था कैसे हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन--- ९ घंटे काम हमेशा लिया जाता रहा और यह मोटर बेहिकिल्स ऐक्ट के मुताबिक है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी आदरणीय सदन के समक्ष इस बात की सफाई करेंगे कि उन पर श्रम कानून लागू है या जी० ओ० लागू है या रोडवेज मैनुअल लागू है या मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट लागू है ?

श्री मुजफ्फर हसन---मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट लागू है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि और कामर्शियल इंस्टीट्यूशन्स में काम करने वाले कर्मचारियों को कैजुअल लीव की सुविधा मिली हुई है अन्य सुविधाओं के साथ, उसी तरह से यहां के कर्मचारियों को भी कैजुअल लीव की सुविधा मिल सके, इसकी व्यवस्था नये नियमों में कराने की कृपा करेंगे ।

श्री मुजफ्फर हसन---और तरह की छुट्टी दी गई है, कैजुअल लीव नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, यह तो एक बुनियादी चीज है कि आकस्मिक छुट्टी की व्यवस्था होनी चाहिय, तो क्या मंत्री जी शादी, ब्याह, मौत आदि के वक्त उन के लिये कैजुअल लीव की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---इस वक्त जो चीज है वह आप के सामने है, कोई सवाल आगे आयेगा तो देखा जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सरकारी आदेश जो निकाला गया है उससे रोडवेज कर्मचारियों में असन्तोष है और उन्होंने एक पत्रक देकर कुछ सुझाव पेश किये है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि वह अपने उन आदेशों में संशोधन करे ?

श्री मुजफ्फर हसन---कोई असन्तोष नहीं है और सुझाव वगैरह तो आते ही रहते हैं और उन पर कन्सीडरेशन भी होता रहता है ।

***८---श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)---[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

***९---श्री कल्याणचन्द मोहिले**---[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया]

नार्मल ट्रेनिंग में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को छात्रवृत्ति न मिलना

***१०---आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्य वर्षों के विपरीत राज्य सरकार ने इस वर्ष यह तय किया है कि एच० टी० सी० (नार्मल ट्रेनिंग के लिये) सरकार द्वारा नामजद उम्मीदवारों में से हर एक को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी ? यदि हां, तो इस नयी प्रथा को अपनाने का क्या कारण है ? क्या शिक्षा मंत्री इस प्रश्न पर पुनर्विचार करके इस वर्ष और आगे भी नार्मल के लिये सभी उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति देने का प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, इस वर्ष शासन द्वारा मनोनीत किये गये अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या से अधिक है, अतः प्रत्येक अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति प्रदान करना सम्भव नहीं है, क्योंकि प्राविधान नहीं है ।

***११-१२---श्री गेंदासिंह**---[१७ फरवरी, १९६१ के लिए नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्रश्न १-२ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी की विस्तार योजना

१३—श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या चुर्क सीमेंट फैक्टरी के विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार विस्तार योजना की रूप –रेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—चुर्क सीमेण्ट फैक्टरी के विस्तार की कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन नही है। फैक्टरी की वर्तमान उत्पादन क्षमता (७०० टन सीमेण्ट प्रतिदिन) को दूना (१,४०० टन सीमेण्ट प्रति दिन) करने की एक योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में २७५ लाख रुपया के अनुमानित व्यय की तैयार की गई थी। यह योजना कार्यान्वित हो रही है और कुछ मास में पूर्ण हो जायगी ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है :—

योजना	फायर ब्रिक्स (रिफ्रेक्टरी)	प्लान्ट
पूर्णता की अवधि	१९६५	
अनुमानित लागत	८५ लाख	
उत्पादन क्षमता	३६,००० टन	प्रति वर्ष
अनुमानित लाभ	४.५० लाख	प्रति वर्ष
मनुष्य संख्या जिनको रोजगार मिलेगा	४००	दक्ष
	१,३००	अदक्ष

योजना	सफेद और रंगीन सीमेण्ट	
पूर्णता की अवधि	१९६६	
अनुमानित लागत	१४ लाख	
उत्पादन क्षमता	६००० टन	प्रति वर्ष
अनुमानित लाभ	६०,००० रु०	प्रति वर्ष
मनुष्य संख्या जिनको रोजगार मिलेगा	१००	दक्ष
	२००	अदक्ष

योजना	हाई अल्यूमिना सीमेण्ट	
पूर्णता की अवधि	१९६६	
अनुमानित लागत	१५ लाख	
उत्पादन क्षमता	६००० टन	प्रति वर्ष
अनुमानित लाभ	६०,००० रु०	प्रति वर्ष
मनष्य संख्या जिनको रोजगार मिलेगा	५०	दक्ष
	२००	अदक्ष

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चूर्च सीमेंट फक्टरी में सफेद, रंगीन सीमेण्ट और हाई अल्यूमिना सीमेण्ट बनाने की जो योजना है उसके संबंध में विदेशी एक्सपर्ट्स की राय है कि इस तरह का सीमेण्ट फैक्टरी में बनाना अनप्राफिटेबिल होगा ? यदि हां, तो यह जानकर सरकार ने इस योजना को फिर भी लागू करने का कैसे निर्णय किया है?

श्री रऊफ जाफरी--यह अनप्राफिटेबिल होगा यह सही नहीं है । जिस तरह से यहां इंडस्ट्रियालाइजेशन बढ़ रहा है, यहां रंगीन सीमेण्ट का टेस्ट (Taste) बढ़ रहा है, टाइल्स और फ्लावर पाट्स वगैरह बनते हैं । वहां मेटीरिय की जो आसानी है उससे आशा है कि जरूर मुनाफा होगा, खर्च इस वक्त जरूर होगा ।

श्री मदन पांडेय--माननीय मंत्री जी ने जो विस्तार योजनाएं अभी हमारे समक्ष रखी हैं जैसे रंगीन सीमेण्ट का जिक्र किया कि छः हजार टन का उत्पादन होगा, तो क्या इन सारी विस्तार योजनाओं के फलस्वरूप जो सीमेण्ट का नेट उत्पादन होता है, उसमें कोई कमी होगी ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री रऊफ जाफरी--श्रीमन्, प्रश्न साफ नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष--उनका मतलब है कि ६ हजार टन जो रंगीन सीमेन्ट पैदा करेंगे उसकी वजह से जो मामूली सीमेण्ट का उत्पादन करते हैं उसमें कुछ कमी होगी ?

श्री रऊफ जाफरी--जी नहीं । वह तो एक अलग प्लान्ट होगा । इस वक्त के सीमेण्ट के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी । वह तो बजाय ७०० टन के १,४०० टन करने का प्रस्ताव है जैसा कि अभी जवाब में बतलाया गया ।

श्री गेंदासिंह--१,४०० टन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन करने का लक्ष्य था, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त कितना उत्पादन किया जा रहा है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना धन व्यय करने का लक्ष्य था उसमें से कितना उस पर खर्च किया जा चुका है ?

श्री रऊफ जाफरी--इस वक्त हमारा उत्पादन जो है वह ७०० टन है । बल्कि किसी-किसी जमाने में तो १०३ परसेण्ट तक चला गया है, ७०० टन से ज्यादा भी बढ़ जाता है । यह जरूर है कि अगर कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो थोड़ा घट भी जाता है, लेकिन ९०,९५,९६ परसेन्ट तक रहता है ।

श्री गेंदासिंह--श्रीमन्, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि करने का लक्ष्य था उसमें से कितना प्राप्त हुआ है अब तक और कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी--जहां तक मशीनों का ताल्लुक है, ९६ परसेण्ट के करीब हमारे पास मशीनें वहां पहुंच गई हैं, ४ परसेण्ट जो मशीनें और हैं जल्दी ही उनके पहुंचने की उम्मीद है। सिविल वर्क्स का जहां तक सवाल है, वह काम चल रहा है। कुछ इसमें देर जरूर हो गई, लेकिन मई-जून में, ऐसा खयाल है, सिविल वर्क्स खत्म हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--वह जानना चाहते हैं कि उत्पादन में कितनी बढ़ोत्तरी हुई ।

श्री रऊफ जाफरी--अभी लगी कहां हैं । मैंने जवाब तो दे दिया कि जो मशीनें हैं पुरानी उसमें जो हमारा उत्पादन का टारगेट है वह करीब-करीब पूरा हो रहा है, बल्कि किसी-किसी वक्त वह उससे भी बढ़ जाता है। मैंने अर्ज किया था कि ७०० टन हुआ, कभी ज्यादा भी हुआ और कभी ऐसा भी होता है कि कोई दिक्कत आ जाती है तो वह नीचे भी आ जाता है, लेकिन इस वक्त हमारे टारगेट के करीब प्रोडक्शन हो रहा है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनका एवरेज मंथली प्रोडक्शन कितना है ?

श्री रऊफ जाफरी--मंथली एवरेज की फिगर इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---वह कैसे बताएंगे उसमें तो.....

श्री रऊफ जाफरी---यह बात नहीं है कि कोई चीज सदस्यों से छिपाने की ख्वाहिश हो। अगर वह चाहेंगे तो मैं मंथली फिगर उनके पास भिजवा दूंगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, प्रश्न यह है कि ७०० टन प्रति दिन सीमेण्ट का उत्पादन होगा चुर्क सीमेण्ट फैक्टरी में, जिस दिन से फैक्टरी खड़ी हुई है उसी दिन से यह लक्ष्य है तो कब से ७०० टन का उत्पादन होना शुरू हुआ?

श्री रऊफ जाफरी---जहां तक यह प्रश्न है कि जिस दिन से फैक्टरी खड़ी हुई उस दिन से है, तो इस सिलसिले में बहुत दफा सदन में सवाल-जवाब हो चुके हैं। शुरू में दिक्कतें थीं और उसकी वजह से टारगेट नहीं पूरा हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से, सही तारीख तो नहीं बतला सकता कि किस तारीख से, लेकिन अब जो पोजीशन है वह यह है कि हम उतनी सीमेण्ट पैदा कर रहे हैं। मैंने अभी अर्ज किया कि उसके महीने महीने के फिगर्स प्रश्नकर्त्ता महोदय के पास भिजवा दूंगा।

बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा-विवाद वार्ता

****१४---श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री नारायणदत्त तिवारी**---(जिला नैनीताल) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिहार-उत्तर प्रदेश के सीमा विवाद के संबंध में इस वर्ष दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों में कोई वार्त्ता हुई है? यदि हां, तो उस वार्ता में किन-किन लोगों ने भाग लिया और अब तक इस विवाद को हल करने में कितनी प्रगति हुई है?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---जी हां पटना में २३ जनवरी, १९६१ को दोनों राज्य सरकारों के राजस्व मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। जो अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे उनके नाम संलग्न तालिका में दिये हुए हैं। स्थायी सीमा के प्रश्न पर कोई निर्णय उस बैठक में न हो सका।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८६ पर)

****१५---श्री चन्द्रजीत यादव, तथा श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सीमा विवाद के संबंध में भविष्य में कोई और उच्चस्तरीय वार्ता करने का निश्चय किया गया है? यदि हां, तो कौन-लोग उसमें भाग लेंगे और उसकी सम्भावित तिथि क्या होगी?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, यह निश्चय हुआ है कि दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक भविष्य में इस संबंध में होगी। अभी यह निश्चय नहीं हुआ है कि वह बैठक कब होगी और उसमें कौन लोग भाग लेंगे।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि अगली बैठक जो दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की होने जा रही है वह बैठक दोनों प्रदेशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई, १९५२ की वार्ता में जो फारमूला तय हुआ था उसी के आधार पर बात करेंगे?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अब तय क्या होगा यह इस वक्त बताना मुश्किल है, लेकिन हम तो उसी के आधार पर बात करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव---मंत्री जी बतायेंगे कि १९५२ में भूतपूर्व मुख्य मंत्री पंत जी की अध्यक्षता में जो फार्मूला तय हुआ था उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है? ८ साल हो गये और केन्द्रीय सरकार ने उसके आधार पर कुछ कंडीशन्स तय की थीं, अब तक उसमें क्यों नहीं प्रगति हुई, बाधा क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बिहार सरकार से कान्फ्रेंस के लिये लिखा-पढ़ी की । उसमें बड़ी देरी हुई, जवाब आने मे देरी हुई इस वजह से पहले कान्फ्रेंस न हो सकी । अब की हुई ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---मंत्री जी बतायेंगे कि १९५२ में जो फार्मूला तय हुआ था उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसको मैं इस वक्त बताना नहीं चाहता ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात का पता है कि इसी सीमा विवाद को लेकर अभी एक महीने के अन्दर कई जानें भी गई हैं बलिया के अन्दर ? इस प्रकार से जब हत्या होती है सीमा विवाद को लेकर तो इसकी रोकथाम के लिये सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कि जिलाधिकारी इस संबंध में सतर्क है ।

श्री उग्रसेन---मंत्री जी बतायेंगे कि इस सीमा विवाद के कारण कितने हजार एकड़ जमीन बलिया की सीमा पर संदिग्ध अवस्था में पड़ी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---२३ जनवरी, १९६१ को जो पटना में बैठक हुई उसमें स्थायी सीमा के प्रश्न पर बिहार सरकार का क्या कथन था, मंत्री जी कृपया बतायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह कहते हैं मुस्तकिल बाउन्ड्री नहीं कायम हो सकती है, इम्प्रेक्टीकेबिल है ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि जिस समय यह बातचीत पटना में हो रही थी उस समय माननीय माल मंत्री जी का इस प्रकार आदर सत्कार बिहार सरकार ने किया कि उसमें वह मुरव्वत कर गये और उत्तर प्रदेश के जो स्वार्थ की बात थी उसको वह भूल गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुरव्वत तो हमने नहीं की, लेकिन आदर सत्कार जरूर किया, उनका हमारा रिश्ता ही ऐसा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---मंत्री जी बतायेंगे कि १९३७ से हमारी सरकार इस बात के लिये प्रयत्न कर रही है कि इस समय समस्या का हल हो और तब से लेकर लगभग बलिया जिले के ४०० गांव बिहार प्रदेश में जा चुके हैं और उसको ७४ लाख रुपया साल की आमदनी हो रही है इसलिये वह उस फार्मूला को लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---कितने गांव चले गये, कितना फायदा उनको हुआ इस वक्त कहना ठीक नहीं है । आनाकानी की बात मैं नहीं कहना चाहता । मैं तो पपसुएड करके राजी करना चाहता हूं ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से इस बात का अनुरोध करेगी कि वह लोक सभा से कानून बनवा कर राज्य पुनर्गठन जिस प्रकार हुआ था उसी प्रकार उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का स्थायी प्रयास हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह प्रयास जो मैं कर रहा हूं इसको देख लूं अगर सफल हो जाते हैं तो क्यों ऐसा झगड़ा करें ।

तारांकित प्रश्न

[विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

टेहरी-गढ़वाल जिले में प्रताप इण्टर कालेज की इमारत

*१--**श्री सूरत चन्द रमोला** (जिला टेहरी-गढ़वाल) तथा **श्री रामचन्द्र उनियाल** (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला टेहरी-गढ़वाल में स्थित राजकीय प्रताप इन्टर कालेज का भवन दिन-प्रति-दिन गिरता जा रहा है जिससे करीब दो हजार छात्रों की जान खतरे में है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां । भवन पुराना होने के कारण विशेष मरम्मत की आवश्यकता अवश्य है पर दशा ऐसी खराब नहीं है। छात्रों की संख्या केवल ५८३ है ।

*२--**श्री सूरतचन्द रमोला** तथा **श्री रामचन्द्र उनियाल**--क्या यह सही है कि उक्त भवन के चार कमरों की दीवारें बिलकुल गिर गयी हैं और उसमें आजकल कक्षायें नहीं लगतीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--भारी वर्षा के कारण एक कमरे की दीवार गिर गई है और दो कमरों की दशा ठीक नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से ३ कमरों में कक्षायें नहीं लगती ।

*३--**श्री सूरत चन्द रमोला** तथा **श्री राम चन्द्र उनियाल**--क्या यह सही है कि उक्त कालेज के भवन की मरम्मत हेतु सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं । मरम्मत के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री सूरत चन्द्र रमोला--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस कालेज की इमारत ३ साल से बीमार है और इसकी दवाई का कोई इन्तजाम नहीं किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--इन्तजाम किया गया है । अभी २,१६० रुपया विज्ञान भवन को ठीक करने के लिये मंजूर हुआ है। अधिशासी अभियन्ता से संशोधित अंक मांगे गये थे कि कितना रुपया खर्च होगा और उसके लिये २५ हजार के अंक आ गये हैं और उम्मीद है कि इस बजट में शामिल कर दिये जायंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जो साढ़े ५०० से अधिक छात्रों की संख्या बतलाई गयी तो कितने कमरों में उनकी कक्षायें लग रही हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--मेरे पास यह इत्तला नहीं है कि कुल कितने कमरे हैं । मैं यह जानता हूं कि जिन कमरों की हालत खराब है उनमें कक्षायें नहीं लग रही हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--उस क्षेत्र के विधान सभा के सदस्य तथा मैंने जाकर इस बात को देखा है कि वहां के भवन की हालत अत्यन्त खराब है, तो क्या माननीय मंत्री स्वयं जाकर उसका निरीक्षण करेंगे और जब सही तथ्य उनके सामने आयें तब जाकर वे इस पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने निवेदन किया कि इंजीनियर से संशोधित अंक मांगे गये थे और २५ हजार रुपये के अंक आ गये हैं और हमारा प्रयत्न है कि उनको बजट में शामिल कर दिया जाय । बजट भी सदन के सामने आयेगा ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि उक्त भवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ और प्रत्येक वर्ष उसकी मरम्मत पर कितना खर्च होता रहा है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो बहुत व्यापक प्रश्न है ।

श्री रामायणराय---किस वर्ष उसका निर्माण हुआ यह ज्ञात होने से पता चल जायगा कि उसकी हालत क्या है ?

श्री अध्यक्ष---हालत वह कहते हैं खराब है, वह खुद इसे कबूल कर रहे हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---माननीय मंत्री जी ने क्या इंजीनियरों से यह सार्टिफिकेट ले रखा है कि पानी बरसने पर ही वह कमरे गिर सकते हैं और बिना पानी बरसे वे कमरे नहीं गिरेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---इंजीनियर्स ने देख लिया है । जिन कमरों में खतरा है उनमें लड़कों को नहीं पढ़ाया जाता है ।

*४-५---**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)---[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ४-५ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*६-८---**श्री गेंदासिंह तथा श्री प्रताप सिंह** (जिला नैनीताल)---[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ६-८ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

[१० फरवरी, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२---**श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर)---[८ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १२८-१२९ के अन्तर्गत १ उत्तर दिये गये ।]

*३-४---**श्री हरदयालसिंह** (जिला शाहजहांपुर)---[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ११२-११३ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*५---**श्री श्रीनाथ** (जिला आजमगढ़)---[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ११४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*६-७---**श्री कल्याणचन्द्र मोहिले**---[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ११५-११६ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*८-९---**श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ११७-११८ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

मधुसूदन विद्यालय इन्टर कालेज, सुल्तानपुर का प्रबन्ध

*१०---**श्री गयाबख्श सिंह** (जिला सुल्तानपुर)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर के मधुसूदन विद्यालय इंटर कालेज में कितने समय से प्रबन्धकारिणी समिति नहीं है और क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---मधुसदन विद्यालय इन्टर कालेज, सुल्तानपुर में सितम्बर, १९५७ से प्रबन्धक समिति नहीं है ।

प्रबन्धक समिति की दो पार्टियों में झगड़ा हो जाने के कारण कोई प्रबन्धक समिति नहीं है । मुकदमा एडिशनल सिविल जज, सुल्तानपुर के न्यायालय में था और वहां से निर्णय हो चुका है । इस समय कोई कमेटी मान्य करार नहीं दी गई, अभी तक नई कमेटी नहीं बनाई गई है ।

*११—**श्री गयाबख्शसिंह**—क्या यह सही है कि उक्त कालेज का प्रबन्ध जिला विद्यालय निरीक्षक कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितने समय से और क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गयाबख्शसिंह—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि १९५७ से अब तक उक्त विद्यालया में प्रबन्ध की क्या प्रथा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने उत्तर में यह कहा है कि मुकदमेबाजी हो रही थी लिहाजा अभी तक जैसे भी हो सका वे उसका प्रबन्ध कर रहे हैं । लेकिन सरकार की जो मेन्टिनेन्स-ग्रान्ट है वह डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के जरिये वहां के अध्यापकों के वेतन के लिये उपयोग में लाई जाती थी ।

श्री उग्रसेन—प्रबन्धकारिणी समिति में किन-किन मुख्य बातों को लेकर झगड़ा शुरू हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस प्रश्न की पूरी सूचना मुझे नहीं है । सुल्तानपुर में टेलीफोन भी नहीं है । इसलिये सूचना प्राप्त नहीं हो सकी ।

श्री गयाबख्शसिंह—जब सूचना नहीं मिली है तो मैं चाहूंगा कि ये भविष्य के लिये रख दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—आप दूसरे सवाल करें । लड़ाई का क्या कारण है वह इसमें पहले से पूछा नहीं गया था ।

श्री गयाबख्शसिंह—लड़ाई का कारण ही नहीं और भी सूचनायें माननीय मंत्री को प्राप्त नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—और सूचनाओं के लिये आप प्रश्न क्या कर रहे हैं ? चंकि उन्होंने कह दिया कि सूचना नहीं है उसको ही लेकर आप यह कह रहे हैं ।

श्री गयाबख्शसिंह—एजूकेशन कोड के हिसाब से कोई कंट्रोलर क्यों नहीं रखा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन, वैसे कंट्रोलर रखने की आवश्यकता नहीं थी । यह बात दूसरी है कि यह संशोधन हमारे एजूकेशन ऐक्ट में हो गया है उसके हिसाब से जरूरत होगी तो करेंगे ।

*१२—**श्री ऊदल**—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ११९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*१३-१४—**राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १२०-१२१ के अन्तर्गत, उत्तर दिये गये ।]

राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल, लखीमपुर को इन्टरमीडिएट कालेज बनाने पर विचार

*१५—**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जो खीरी-लखीमपुर में है उसको इन्टरमीडियेट कालेज बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके कब तक कार्यान्वित होने की आशा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खीरी लखीमपुर के उच्चीकरण के सम्बन्ध में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है।

*१६—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा), **श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल** (जिला रायबरेली), **श्री शिवराम** (जिला बिजनौर) तथा **श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १२२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

कुमारी शन्नो रानी को प्रोमोशन न मिलने की गोरखपुर से शिकायत

*१७—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर के सरकारी विद्यालय में ९वीं तथा ११वीं कक्षाओं में एक-दो विषयों के अनुत्तीर्ण होने पर प्रोमोशन दिये जाने का क्या तरीका है? क्या इस विषय में की गई अनियमितताओं के बारे में हाल ही में शिक्षा मंत्री तथा उपमंत्री के पास कुछ शिकायतें आई हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रमोशन नियम संलग्न है।

जी हां।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४८७–४८८ पर)

श्री मदन पांडेय—प्रश्न के दूसरे अंश का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है 'जी हां'; तो क्या मैं सरकार से यह जानने की धृष्टता कर सकता हूं कि "जी हां" जो उत्तर दिया गया है उसमें किन-किन की दरख्वास्तें आयी हुई हैं और क्या इन दरख्वास्तों में गोरखपुर के अवधबिहारी लाल की भी कोई दरख्वास्त आयी हुई है?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, किस-किस ने दरख्वास्तें दीं उनके नाम तो मुझे नहीं मालूम हैं, लेकिन कुमारी शन्नो रानी के प्रोमोशन के बारे में एक शिकायत आयी थी।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह शिकायत किस प्रकार की थी और उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया?

श्री रामस्वरूप यादव—यही शिकायत थी कि उनको प्रोमोशन मिलना चाहिये था, लेकिन जानबूझ कर प्रधानाध्यापिका ने नहीं दिया। मगर ऐसी बात थी नहीं। जो नियम उन्होंने बनाये थे उनके अनुसार उनको प्रोमोशन नहीं मिलना चाहिये था। इस वजह से नहीं दिया गया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां पहले बोर्ड के द्वारा कुछ लड़कियां अनुत्तीर्ण की गयी थीं। उसके बाद पक्षपात करके जो ज्यादा नम्बर से फेल लड़कियां थीं उनको उत्तीर्ण कर दिया गया और जो कम नम्बर से फेल लड़की थी वह अनुत्तीर्ण रखी गयी और क्या इसकी जांच मंत्री महोदय करायेंगे?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपको अलग से सवाल करना चाहिये, इसमें नहीं आता है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायत का प्रार्थना-पत्र मंत्री महोदय के पास आया था उसकी जांच उन्होंने किस अधिकारी द्वारा करायी?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला विद्यालय निरीक्षिका हर जिले की होती हैं।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो शिकायत आयी हुई है उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो जिला विद्यालय निरीक्षिका हैं उन्हीं के द्वारा यह गड़बड़ी की गयी है?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, वह आवेदन-पत्र तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन जांच करा के यह बात पायी गयी कि उनको प्रोमोशन देना सम्भव नहीं था।

बस्ती जिले से राजनीतिक पीड़ितों की विधवाओं की शिकायत

*१८---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले से ऐसी कितनी दरख्वास्तें राजनीतिक पीड़ितों की विधवाओं की इस वक्त सरकार के विचाराधीन हैं जिनके पतियों का स्वर्गवास हो गया है, जिन्हें पहले से पेन्शन मिल रही थी तथा अब उनकी विधवायें भी पेन्शन चाहती हैं ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)---जी हां, ऐसी दो दरखास्तें विचाराधीन हैं।

श्री राजाराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इनकी दरख्वास्तें कब-कब आईं ?

श्री कृपाशंकर---एक दरख्वास्त तो रामनरेशसिंह की विधवा की है जो ११-१-६० को शासन के पास आई और एक रामबरन यादव की विधवा की है जो ४-८-६० को सरकार के पास आई है।

चम्पा-कानाताल मोटर मार्ग

*१९---**श्री रामचन्द्र उनियाल** (अनुपस्थित)---क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चम्पा-कानाताल मोटर मार्ग जिला टेहरी-गढ़वाल में कब से गेट टाइम के अनुसार मोटर गाड़ियां चलनी शुरू हुईं तथा कितने गेट टाइम इस मार्ग में आने जाने के लिये निश्चित हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---इस मार्ग पर २१ दिसम्बर, १९५९ से निश्चित गेट टाईम के अनुसार मोटर गाड़ियां चलानी शुरू हुई। ग्रीष्म काल के लिये तीन आने और तीन जाने के और शीतकाल के लिये दो आने और दो जाने के द्वार समय निश्चित है।

*२०---**श्री रामचन्द्र उनियाल** (अनुपस्थित)---क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चम्पा-कानाताल मोटर मार्ग में टेहरी-गढ़वाल में जब से निश्चित गेट टाइम हुये कितने दिन गाड़ियां नहीं चलीं और न चलने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन---माह अप्रैल, ६० से अक्तूबर, ६० तक में ७३ दिन भारी वर्षा आदि के कारण तथा रास्ते में रुकावट पैदा हो जाने से गाड़ियां नहीं चल सकीं। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में इस मार्ग पर बराबर गाड़ियां चलती रहीं।

मड़ियाहूं तहसील में राजकीय जूनियर हाई स्कूल खोलने की प्रार्थना

*२१---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के अन्तर्गत मड़ियाहूं तहसील में कितने राजकीय जूनियर हाई स्कूल ३१ जुलाई, १९६० तक खुल चुके हैं तथा १९६१ में कितने और कहां-कहां खुलने वाले हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---कोई नहीं।

१९६१ में मड़ियाहूं तहसील में कोई और राजकीय जूनियर हाई स्कूल खुलने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं तहसील में पौने चार लाख के करीब आबादी होने पर भी बालकों के लिये एक भी जूनियर स्कूल वहां नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सम्भव हो सकता है कि उस तहसील में बालकों के लिये कोई जूनियर स्कूल न हो, लेकिन नीति यह है कि बालकों के लिये जूनियर हाई स्कूल तो शासन की ओर से खोले नहीं जाते, केवल माडल स्कूल ट्रेनिंग स्कूल के साथ आवश्यक हो तो खोले जाते हैं । बालिकाओं के स्कूल खोलने की योजना है । यदि आवश्यक हुआ तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस साल जौनपुर में कितने जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजना सरकार की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंनें तो मूल उत्तर में निवेदन किया है कि जूनियर हाई स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है ।

राजकीय महिला इन्टर कालेज, बलिया के स्टाफ में कमी

*२२---**श्री द्वारिकाप्रसाद** (जिला फर्रुखाबाद), **श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'** (जिला उन्नाव) तथा **श्री ऊदल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या राजकीय महिला इन्टर कालेज, बलिया, में १ वर्ष से संस्कृत की अध्यापिका तथा इस वर्ष नागरिक शास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी की अध्यापिकायें और प्रिन्सिपल भी नहीं हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---संस्कृत, इतिहास और अंग्रेजी की अध्यापिकायें हैं । नागरिक शास्त्र के लिये अध्यापिका का पद स्वीकृत नहीं है ।

प्रिन्सिपल ८-८-६० से स्थानान्तरण पर जाने हेतु कार्यभार से मुक्त हो चुकी । इसी विद्यालय की ज्येष्ठ सहायक अध्यापिका प्रिन्सिपल के पद पर स्थानापन्न है ।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नागरिक शास्त्र की अध्यापिका का पद जो अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है उसको स्वीकार करने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---विचार तो कर लिया जायगा ।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां की प्रिंसिपल का ८-८-६० से तबादला हो गया है और आज तक वहां दूसरी प्रिंसिपल न भेजने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, जहां तक बालिकाओं के स्कूल का संबंध है वहां पर दिक्कत यह होती है कि कोई तबादले पर जाती नहीं है, कोई बीमार पड़ जाती है और इस समय वहां पर स्थानापन्न अध्यापिका कार्य कर रही है । जिनकी वहां नियुक्ति हुई है, कोशिश की जायगी कि वह जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जांय ।

*२३---**श्री हरिदत्त काण्डपाल** (जिला अल्मोड़ा)---[स्थगित किया गया ।]

अन्तरिम जिला परिषद्, गोरखपुर का आबकारी सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व

*२४---**श्री रामसूरतप्रसाद** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार को यह सूचना है कि अन्तरिम जिला परिषद्, गोरखपुर का कोई भी प्रतिनिधि जिला आबकारी सलाहकार समिति, गोरखपुर में नहीं है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)---जिला परिषद्, गोरखपुर के दो प्रतिनिधि जिला आबकारी सलाहकार समिति, गोरखपुर में २९ जुलाई, १९६० से हैं ।

ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय, लखनऊ

*२५—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार को ज्ञात है कि राजधानी लखनऊ के हजरतगंज मुहल्ले में जगदीश बिल्डिंग (मकबरे के पास) में ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय नाम की कोई रजिस्टर्ड संस्था है जिसका प्रधान कार्यालय उसी बिल्डिंग में है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जगदीश बिल्डिंग (मकबरे के पास) हजरतगंज, लखनऊ में ब्रह्मकुमारी नाम की एक धार्मिक संस्था है । यह विश्वविद्यालय नहीं है तथा यह संस्था रजिस्टर्ड नहीं है । उसका प्रधान कार्यालय माउन्ट आबू (राजस्थान) में होना बताया जाता है ।

*२६—**श्री मदन पांडेय**—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त संस्था के क्या लक्ष्य तथा उद्देश्य हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्य, पवित्रता के साथ मन की शान्ति प्राप्त करना, देवत्व प्राप्त करना, सहज योग तथा ईश्वरीय ज्ञान का प्राप्त करना, बताया जाता है । इस संस्था से लाभ उठाने वाले किसी भी धर्म या जाति के हो सकते हैं ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह संस्था कितने वर्षों से इसी बिल्डिंग में कायम है और इसके कार्यकलाप जो नित्य रात के बारह और एक बजे तक चलते रहते हैं उनके कारण बिल्डिंग के अन्य रहने वालों की शिकायत प्राप्त हुई है कि उनके दैनिक कार्य में बाधा पड़ती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, शिकायत के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी । मेरे सामने शायद नहीं आई । इस संस्था की स्थापना १९३७ से बताई जाती है, लेकिन कागज कोई उनके पास नहीं है ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी मेरे प्रश्न को सूचना मानकर कि उनके नित्य के कार्य कलाप रात के बारह, एक बजे तक चलते हैं उनको आदेश देंगे कि वह अपना कार्य क्रम दस बजे तक सीमित रखें जिससे वहां के लोगों को तकलीफ न हो ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मुझे संदेह है कि इसमें कानूनन क्या किया जा सकता है कि कोई संस्था रात के दस बजे के बाद अपने ज्ञान के भाषण न दें और पाठशाला न लगायें । यह विषय ऐसा है कि आसानी से स्वीकार करना सम्भव मालूम नहीं होता कि हम उनको ऐसे आदेश दें ।

राज्य में मादक वस्तुओं की खपत

*२७—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५८-५९ में प्रदेश में कितने गैलन विदेशी शराब व कितने गैलन देशी शराब का उपभोग हुआ ? सबसे ज्यादा उपभोग किस शहर में तथा सबसे कम किस शहर में हुआ ?

डाक्टर सीताराम—प्रदेश में ३,१९,७३५ इ० गैलन विदेशी शराब और ९,१३,६०३ एल० पी० गैलन देशी शराब का उपभोग हुआ । विदेशी शराब का सबसे अधिक उपभोग लखनऊ शहर में हुआ जो कि ९४,६९२ इ० गैलन था और देशी शराब का सबसे अधिक उपभोग वाराणसी शहर में हुआ जो कि ३७,७४० एल० पी० गैलन था ।

विदेशी शराब का सबसे कम उपयोग गाजीपुर में हुआ जो कि ४७ इ० गै० था और देशी शराब का सबसे कम उपभोग नरेन्द्रनगर शहर (जिला टेहरी-गढ़वाल) में हुआ जो कि १,४८८ एल० पी० गैलन था ।

*२८--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भांग और गांजा १९५८-५९ में प्रदेश में बाहर से कितने रुपये का मंगाया गया और किस शहर व जिले में सब से ज्यादा खर्च हुआ तथा किस शहर व जिले में सब से कम खर्च हुआ ?

डाक्टर सीताराम--१९५८-५९ में प्रदेश में बाहर से भांग और गांजा नहीं मंगाया गया। १९५८-५९ में भांग का सबसे अधिक खर्च हरदोई जिले में १८,२६४ सेर था। शहरों में सब से अधिक भांग इलाहाबाद शहर में ५,५०१ सेर खर्च हुआ। भांग का सब से कम उपयोग २ सेर टेहरी-गढ़वाल जिले में हुआ। शहरों में सब से कम भांग का उपभोग २ सेर टेहरी (जिला टेहरी गढ़वाल) में हुआ।

गांजा का सबसे अधिक उपभोग जिला बांदा में हुआ जो २९ ३/४ सेर था। शहरों में सब से अधिक गांजा का खर्च झांसी शहर में हुआ जो १२ ३/४ सेर था।

गांजा का सबसे कम उपभोग जिला व शहर सीतापुर और बाराबंकी में हुआ जो प्रत्येक १/४ सेर था।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो विदेशी शराब मंगायेंगे वह किस मुल्क से मंगायेंगे ?

डाक्टर सीताराम--कोई भी प्रदेशीय सरकार विदेशों से नहीं मंगाती है बल्कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया इम्पोर्ट के अनुसार फारेन कन्ट्रीज से मंगाती है। जो डीलर्स इस प्रदेश में हैं वह डाइरेक्ट वहां से डील करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में प्रदेश में बाहर से गांजा और भांग नहीं मंगाया गया तो इस प्रदेश में कहां से बिक्री हुई ?

डाक्टर सीताराम--गांजा, भांग इसी प्रदेश में होता है। बाहर से मंगाने की उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री दाताराम चौधरी (जिला सहारनपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले दो सालों में देशी शराब में कितने लाख रुपये की आमदनी बढ़ी है ?

डाक्टर सीताराम--करीब डेढ़ करोड़ के।

श्री दाताराम चौधरी--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से मन्त्री जी ने इस मुहकमें को सम्भाला है तब से आमदनी में कितनी तरक्की हुई है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि देवरिया और बहराइच में कुछ वृद्धि हुई है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जौनपुर में हो गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय मन्त्री जी इन आंकड़ों को प्राप्त करने के बाद कुछ अपनी पालिसी बतायेंगे कि कुछ जिलों में और प्रोहिबिशन लागू करना चाहते हैं या प्रोहिबिशन वापस लेना चाहते हैं ?

डाक्टर सीताराम--प्रोहिबिशन ११ जिलों में और तीन धार्मिक स्थानों में पहले से है ही। नया प्रोहिबिशन लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है। जिन जिलों में प्रोहिबिशन लागू है वहां पर किस तरह से इल्लिसिट डिस्टीलेशन या स्मगलिंग बंद की जाय उस सम्बन्ध में श्री रामस्वरूप यादव जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन के समक्ष प्रस्तुत कर दी है जिस पर कि अभी विचार हो रहा है और इस सदन में भी यह कई दफा कहा जा चुका है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्री रामस्वरूप यादव जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उसने जो अपनी रपट दी है उसमें उन्होंने इस बात की सिफारिश की है कि लखनऊ में और वाराणसी में शराब की दूकानें बन्द कर दी जायें ?

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रोहिबिशन पर कोई सवाल नहीं था इसलिये प्रोहिबिशन पर कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आपने ही तो उसको शुरू किया रामस्वरूप यादव जी की कमेटी का नाम लेकर । अब अगर वे उस पर प्रश्न करते हैं तो आपको मालूम हो तो उत्तर दीजिये, न मालूम हो तो वैसा कह दीजिये ।

डाक्टर सीताराम—उस कमेटी ने बहुत सी सिफारिशें की हैं जो अभी गोपनीय हैं और जब तक ला डिपार्टमेंट, ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और फाइनली कैबिनेट का एप्रूवल न हो जाय तब तक उस सम्बन्ध में कुछ भी कहना उचित नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी ये आंकड़े भी देने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कितनी देशी शराब तथा वाराणसी में कितनी विदेशी शराब इस वर्ष में प्रयुक्त हुई ?

डाक्टर सीताराम—लखनऊ में विदेशी शराब के बारे में तो मैंने बतला दिया है और साथ ही साथ वाराणसी में देशी शराब के आंकड़े भी मैंने बतलाये हैं । अब वाराणसी में विदेशी शराब करीब १० हजार गैलन और लखनऊ में देशी शराब ४८,३९० गैलन उपयोग में लाई गई ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय आबकारी मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सरकार की नीति है मद्य-निषेध की और प्रदेश के दो विशेष नगरों में लखनऊ और काशी में पीने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इस बात के लिये कोई उपाय वह करेंगे या यहां के पीने वालों को मना करने के लिये कोई बन्दोबस्त करेंगे कि कम से कम इस्तेमाल शराब का हो सके और इन दोनों शहरों में मद्य-निषेध की योजना सफल हो सके ?

डाक्टर सीताराम—आबादी बढ़ती जा रही है । जहां आबादी बढ़ेगी वहां बिक्री भी ज्यादा होगी ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार के पास सन् १९४५-४६ यानी इस सरकार के आने के पूर्व के भी आंकड़े हैं जिससे कि यह साबित हो सके कि जो ११ जिलों में मद्य-निषेध की योजना लागू हुई है उसके बावजूद भी मद्यपान बढ़ता जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप प्रश्न को बहुत व्यापक बना रहे हैं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक भी साल का अगर हो . . .

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि सब फाइलें मंत्री जी लेकर नहीं आये हैं ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि प्रदेश में और प्रत्येक जिले में बल्कि प्रत्येक स्थान पर देशी शराब पर्याप्त मात्रा में पैदा होती है जो मादकता की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, वह केन्द्रीय सरकार से इस बात की सिफारिश करेंगे कि विदेशी शराब का जो आयात होता है जिसके द्वारा हमारा तमाम रुपया बाहर जाता है, वह बन्द कर दिया जाय ?

डाक्टर सीताराम—इस प्रदेश में कुछ विदेशी लोग भी हैं जो विदेशी शराब को कई तरह से इस्तेमाल करते हैं । इसलिये यहां पर उसकी बिक्री होती है, लेकिन कन्ट्री स्प्रिट के मुकाबले में उसकी तादाद बहुत कम है । जैसा मैंने प्रश्नोत्तर में बतलाया कि जहां तक केन्द्रीय सरकार से

लेने की बात है, मैं यही कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार भी और देशों से सामान मंगाती है और दूसरे देशों को अपना सामान भेजती है । तो इन सब बातों को देखते हुये केन्द्रीय सरकार की यह बात है । यू० पी० सरकार ने ऐसा कोई पत्र-व्यवहार केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में नहीं किया ।

*२९—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बारांबंकी)—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १२४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*३०—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गय। ।]

*३१—श्री मदन पांडेय—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १२६ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*३२-३३—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ४९-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३४-३५—श्री ऊदल—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १२७-१२८ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*३६—श्री ऊदल तथा श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १२९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*३७-३८—श्री झारखंडेराय—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १३०-१३१ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*३९—श्री त्रिलोकीसिंह—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १३२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*४०—श्री होरीलाल यादव—[२४ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १३३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*४२-४४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १३४-१३६ क अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की प्रार्थना

*४५—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं कि कक्षा ६ से कक्षा १२ तक संस्कृत, प्रदेश के सब स्कूलों और कालेजों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी कि यह आदेश गवर्नमेंट गर्ल्स ए० डी० इन्टर कालेज, गोरखपुर पर लागू क्यों किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—शासन द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है । अतः उसे लागू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कक्षा ६ से १२ तक अनिवार्य हिन्दी के पाठ्यक्रम में कुछ अंश संस्कृत का भी सम्मिलित है, जो गवर्नमेंट गर्ल्स ए० डी० इन्टर कालेज, गोरखपुर में भी पढ़ाया जाता है ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कुछ अंश में इस संस्कृत की पढ़ाई का आदेश क्यों दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने तो यह कहा कि शासन द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। हिन्दी का जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ संस्कृत भी सम्मिलित है। ६ दर्जे से ८ दर्जे तक उसके १०० अंकों में १० अंक होते हैं और ९ से १२ दर्जे तक १०० अंकों में २० अंक होते हैं।

श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार कोई ऐसा आदेश देने के लिये तैयार है कि जिससे ६ दर्जे से १२ दर्जे तक संस्कृत पूर्णरूप से लागू हो ?

श्री रामस्वरूप यादव--संस्कृत एक विषय अलग है, कोई उसको लेना चाहे तो वह ले सकता है। इस संबंध में ऐसा विचार नहीं है कि उसको अनिवार्य कर दिया जाय।

*४६--**श्री जोखई** (जिला इलाहाबाद)--[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १३७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*४७--**श्री सजीवनलाल**--[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १३८ के अन्तर्गत उत्तर गया।]

*४८-४९--**श्री अब्दुल रऊफ लारी**--[२४ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०-५१--**श्री मदन पाण्डेय**--[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १३९-१४० के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*५२-५३--**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)--[८ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १३०-१३१ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्य-समिति के मनोनीत सदस्य

*५४--**श्री गौरीशंकर राय**--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार की ओर से हाल में गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्य-समिति में कितने लोगों का और किस किस आधार पर नामांकन हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव--गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्य-समिति में सरकार द्वारा निम्नलिखित १३ व्यक्ति मनोनीत हुये हैं :

१--श्री बिन्द बासनी प्रसाद, रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट, गोरखपुर।
२--श्री अलगू राय शास्त्री, एम० एल० सी०, आजमगढ़।
३--श्री तारकेश्वर पांडेय, एम० पी०, बलिया।
४--श्री गोपीकृष्ण अग्रवाल, बार-एट-ला, वाराणसी।
५--श्री हरिश्चन्द्र पति त्रिपाठी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल, गोरखपुर।
६--श्री केशव पांडेय, एम० एल० ए०, गोरखपुर।
७--श्री रामसूरत प्रसाद, एम० एल० ए०, गोरखपुर।
८--श्री केदारनाथ खेतान, देवरिया।
९--श्री महन्त दिग्विजयनाथ, श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर।
१०--श्री हृदय नारायण सिंह, प्रिंसिपल, तिलकधारी कालेज, जौनपुर।
११--श्री शौकत सुल्तान, प्रिंसिपल, शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।
१२--डा० एम० वर्मा, प्रोफेसर आफ एजुकेशन, गोरखपुर विश्वविद्यालय।
१३--श्री एस० पी० मिश्रा, सहायक प्रोफेसर अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय।

प्रथम आठ व्यक्ति, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिलों के ऐसे व्यक्तियों में से हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अथवा सार्वजनिक कार्यों में प्रायः दिलचस्पी रही है।

श्री महन्त दिग्विजयनाथ महाराना प्रताप शिक्षा परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किये गये ।

सर्वश्री हृदयनारायण सिंह तथा शौकत सुल्तान, गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बद्ध डिग्री कालेजों, के प्रिंसिपलों में ज्येष्ठतम प्रिंसिपल के नाते मनोनीत किये गये ।

इसी प्रकार डा० एम० वर्मा तथा श्री एस० पी० मिश्रा गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रमानुसार ज्येष्ठतम प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के नाते मनोनीत किये गये ।

श्री गौरीशंकर राय—ऊपर के ८ जो नामांकन हुये हैं उसके संबंध में माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के कार्यों में दिलचस्पी है और सार्वजनिक कार्यों से दिलचस्पी है, तो उस सार्वजनिक कार्य करने की दिलचस्पी का मापदंड कांग्रेस का सदस्य होना भी आवश्यक समझा गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा नहीं है, कांग्रेस का जो सदस्य नहीं है वह भी इसमें है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ८ आदमी श्री केदारनाथ खेतान या दूसरे लोग इसमें नामांकित हुये हैं उनमें गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रति या दूसरे विश्वविद्यालयों के प्रति किन किन व्यक्तियों ने क्या-क्या सेवायें की हैं, उनको कुछ भी जानकारी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—किस-किस को क्या सेवायें हैं यह बतलाना सम्भव नहीं है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जो नामांकन हुआ है कार्य-समिति का वह कार्य नहीं कर रही है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसका नोटीफिकेशन हो चुका है और मैं तो समझता हूं कि वह कार्य कर रही है । यदि कार्य नहीं कर रही है तो उस बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय—जिन लोगों का इन्होंने विश्वविद्यालय की कार्य-समिति में कार्य करने के लिये नामांकन किया है उनमें से सब लोग स्नातक भी हैं किसी विश्वविद्यालय के अथवा नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

*५५-५६—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १४१-१४२ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*५७—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १४३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*५८-५९—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १४४-१४५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

नार्मल स्कूलों के कुछ छात्राध्यापकों को स्टाइपेण्ड न मिलना

*६०—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में जो ४८ नार्मल स्कूल भारत सरकार के अनुदान से चल रहे हैं, उनके छात्राध्यापकों को गत कई मास से स्टाइपेन्ड नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--द्वितीय वर्ष में अध्ययन करने वाले समस्त छात्राध्यापकों को स्टाइपेंड आरम्भ से ही मिल रहा है। प्रथम वर्ष के लिये जिला निर्वाचन समिति द्वारा चुने गये तथा शिक्षा निदेशक द्वारा मनोनीत किये गये छात्राध्यापकों को स्टाइपेंड मिल रहा है, परन्तु शासन द्वारा मनोनीत किये गये (पुरुष) छात्राध्यापकों को अभी तक स्टाइपेंड प्रदान नहीं किया जा सका, क्योंकि इनका मनोनयन विलम्ब से हुआ।

*६१--**श्री मुक्तिनाथराय**--यह स्टाइपेंड कब से मिलने लगेगा?

श्री रामस्वरूप यादव--आदेश शीघ्र निर्गत होगा।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस आदेश के अनुसार लोगों को स्टाइपेंड कब तक प्राप्त हो जायगा?

श्री रामस्वरूप यादव--मैं समझता हूं कि आदेश जल्दी ही जारी हो जायेंगे। विलम्ब दोनों बातों में हुआ इसीलिये देरी हो गयी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन विद्यालयों के प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी थे उनको स्टाइपेंड किस महीने से मिलना तय हुआ है और शासकीय विद्यालयों को कब तक मिलने की आशा है?

श्री रामस्वरूप यादव--किस महीने से मिलना शुरू हो गया है इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे विद्यालयों के कार्यक्रम शुरू होने के पहले दो महीने के अन्दर ऐसे आदेश पहुंच जाते हैं। सरकार से जो नामजदगी हुई है उसमें कुछ देरी हो गयी और इसलिये स्टाइपेंड दिलाने में कुछ देरी हुई है। लेकिन स्टाइपेंड उनको ही मिलेगा जिनके लिये बजट में प्राविजन है।

*६२-६३--**श्री सुरथबहादुरशाह** (जिला खीरी)--[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १४६-१४७ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

लखनऊ में गुरुद्वारा रोड पर ताड़ी की दूकान होने पर आपत्ति

*६४--**श्री त्रिलोकीसिंह** तथा **श्री मदन पांडेय**--क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है कि धार्मिक स्थान एवं शिक्षा संस्थाओं से शराब या ताड़ी की दूकान कम से कम कितने फासले पर होनी चाहिये?

डाक्टर सीताराम--इस सम्बन्ध में आबकारी नियमों के अन्तर्गत कोई दूरी निश्चित नहीं है। परन्तु एक्साइज मैनुअल खंड १ के नियम ३१४ (४) के अनुसार कोई नयी दूकान धार्मिक स्थान या शिक्षा संस्था के असुविधाजनक समीप नहीं होनी चाहिये।

*६५--**श्री त्रिलोकीसिंह** तथा **श्री मदन पांडेय**--क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गुरुद्वारा रोड, लखनऊ पर गुरद्वारा तथा मंदिर के करीब ताड़ी की दूकान की आज्ञा दी गई है?

डाक्टर सीताराम--गुरुद्वारा रोड, लखनऊ पर नाका हिंडोला की ताड़ी की दूकान अस्थायी तौर पर रक्खी है किन्तु यह दूकान गुरुद्वारा और मंदिर के असुविधाजनक समीप नहीं है।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि असुविधाजनक समीप स्थान से उनका क्या तात्पर्य है और कितने गज की दूरी होनी चाहिये जब कि वह मंत्री जी की राय में असुविधाजनक समीप न होगा?

डाक्टर सीताराम—उन स्थानों से कोई शिकायत सरकार के समक्ष नहीं आयी और असुविधा होती तो कोई बात या कम्प्लेंट वहां से आती, लेकिन इस प्रकार की शिकायत शासन के समक्ष नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं कि १९५९–६० में जहां पर दूकान थी उसका आक्शन १ लाख २० हजार रुपये में हुआ था, लेकिन उस दूकानदार को सन् १९६०–६१ में दूकान नहीं मिली क्योंकि दूसरी दूकान जिनको मिली वह करीब १ लाख ५५ हजार के हायर बिड पर मिली। जहां पर जिस मकान में यह ताड़ी की दूकान थी उसके सम्बन्ध में रेन्ट कन्ट्रोलर के यहां मुकदमा चल रहा है और ज्यों ही फैसला हो जायेगा दूकान पुरानी जगह चली जायेगी। अभी फिलहाल टैम्पोरेरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वहां पर दूकान खोलने के लिये आर्डर दे दिया है।

श्री मदन पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि वह ताड़ी की दूकान गुरुद्वारे से लगभग ५० गज के फासले पर है और उस दूकान के दोनों तरफ मंदिर भी आ जाते हैं, इस टैम्पोरेरी आदेश को स्थगित करने तथा उसको दूसरे स्थान पर शिफ्ट कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सीताराम—इसी के सम्बन्ध में तो मैं अभी बतला चुका हूं कि केस अभी रेन्ट कन्ट्रोल आफिसर के यहां चल रहा है और इसके तय होने पर उसको वहां से हटा दिया जायेगा। ऐडवाइजरी कमेटी ने जिस स्थान को इसके लिये फिट पाया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसको वहां स्थापित करने के लिये टैम्पोरेरी आदेश दे दिये।

*६६–६८—**श्री रामदुलारे मिश्र**—[२४ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

रामनगर–धूमा कोट मार्ग पर मोटर न चलना

*६९—**श्री प्रतापसिंह** तथा **श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या यह सही है कि १० नवम्बर, १९६० से रामनगर–धूमाकोट सड़क (जिला नैनीताल–गढ़वाल) पर मोटर चलना बन्द है जिससे वहां की जनता को बहुत परेशानी है?

श्री मुजफ्फर हसन—रामनगर–धूमाकोट मार्ग के केवल साकर, धूमाकोट भाग पर १२ नवम्बर, १९६० से २३ दिसम्बर, १९६० तक बसों का चलना बन्द रहा।

*७०—**श्री प्रताप सिंह** तथा **श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या मंत्री परिवहन पुनः गढ़वाल मोटर यूजर्स कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, जिसकी मोटरें ९ नवम्बर, १९६० तक चलती थीं, को पुनः अनुमति प्रदान करेंगे कि वह मोटर चलायें? यदि नहीं, तो क्या सरकार अपने रोडवेज विभाग से कुछ समय के लिये प्रबंध करेंगे कि जिससे २६ मील की सड़क जो अब तक बन्द पड़ी है उसका लाभ जनता को मिल सके?

श्री मुजफ्फर हसन—गढ़वाल मोटर यूज़र्स कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी को परमिट देने का प्रश्न आर०टी०ए० कुमायूं के विचाराधीन है। परन्तु सांकर, धूमाकोट मार्ग पर मोटर यातायात के साधनों का उचित प्रबंध कर दिया गया है।

*७१–७२—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—[८ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १३२–१३३ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

बेसिक रीडरों का बदलना

*७३—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की प्रारम्भिक पाठशालाओं में पढ़ाई जाने वाली बेसिक रीडरें कितने वर्षों के बाद बदल दी जाती हैं और क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—लगभग प्रत्येक पांच वर्ष के बाद। नवीन प्रयोगों एवं अनुसंधानों को दृष्टिकोण में रखकर पाठ्य-क्रम और तदनुसार पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन होता है।

नोट—तारांकित प्रश्न ६५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*७४--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[२४ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*७५-७७--**श्री गोविन्द नारायण तिवारी** (जिला जालौन)--[२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन देने का समय

*७८--**श्री गेंदासिंह**--शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला परिषद् के अध्यापकों का मासिक वेतन देने के लिये कोई दिनांक निर्धारित है ? यदि हां, तो वह दिनांक प्रत्येक जिले के लिये पृथक्-पृथक् क्या हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, प्रत्येक जिले के लिये अगले मास की १५ वीं तारीख तक निर्धारित है।

*७९--**श्री गेंदासिंह**--क्या शिक्षा मंत्री कृपया एक ऐसा स्टेटमेंट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह सूचना हो कि चालू तथा गत वित्तीय वर्ष में प्रदेश की जिला परिषदों ने अपने अध्यापकों को किस समय वेतन दिया और वह कब देय हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर--तालिका† "अ" तथा "ब" संलग्न है।

प्रत्येक मास का वेतन अगले मास की पहली तारीख को देय होता है।

*८०--**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)--[८ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १३४ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*८१-८२--**श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)--[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १५१-१५२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*८३--**श्री रूर्मासिंह** (जिला शाहजहांपुर)--[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १०९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*८४-८५--**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)--[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १५३-१५४ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*८६-८८--**श्री जवाहरलाल** (जिला इलाहाबाद)--[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १५५-१५७ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*८९-९१--**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)--[२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा जिले में नरैनी रोड पर बस सर्विस बन्द रहना

*९२--**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)--क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला बांदा में नरैनी रोड पर राजकीय बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो उक्त रोड पर जुलाई से सितम्बर, १९६० तक राजकीय बसें न चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां, भारी वर्षा के कारण नरैनी जाने वाले कुछ रूट्स इस योग्य नहीं थे कि बसें चल सकें ।

---

†तालिका छापी नहीं गई है ।

*९३-९४—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—[२४ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*९५—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १६१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

आजमगढ़ जिले में बस सर्विस

*९६—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की किन-किन पक्की सड़कों पर राजकीय रोडवेज की बसें वित्तीय वर्ष १९६०-६१ एवं १९६१-६२ में क्रमशः चालू की गई है और चालू की जाने वाली हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—आजमगढ़ जिले की निम्नलिखित सड़कों पर वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में राजकीय रोडवेज बस चालू कर दी गई है—

(१) आजमगढ़—मझवारा,
(२) आजमगढ़—निजामाबाद,
(३) आजमगढ़—बिलरियागंज-अस्सिला,
(४) आजमगढ़—बिलरियागंज-महाराज गंज,
(५) आजमगढ़—बिलरियागंज-रौनापा,
(६) आजमगढ़—बिलरियागंज-सरदहा।

१९६१-६२ में किन-किन सड़कों पर राजकीय बसें चालू की जाने वाली हैं, यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

*९७-९८—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १६२-१६३ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार

*९९—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ और कानपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सम्मति सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो इन स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, मामला सरकार के विचाराधीन है।

गोरखपुर क्षेत्र में ए० टी० आई० के चुनाव में हरिजन अभ्यर्थी

*१००—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या परिवहन मंत्री गोरखपुर रीजन में हुये ए०टी० आई० के चुनाव के विषय में २६-८-६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों चुनावों में अलग-अलग कितने-कितने उम्मीदवारों के प्रार्थना-पत्र आये तथा कितने-कितने उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया एवं उनमें हरिजनों की संख्या क्या है और दोनों चुनावों में सफल १८ उम्मीदवारों के नाम और पते क्या हैं।

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४८९-४९२ पर)

*१०१—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १६४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

राजनीतिक बन्दी

*१०२--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह राजनीतिक पार्टियों द्वारा संचालित आन्दोलनकारियों को राजनीतिक बन्दी किन नियमों अथवा सिद्धांतों के आधार पर करती है ?

डाक्टर सीताराम--राजनीतिक वन्दियों की कोई अलग श्रेणी नहीं है ।

*१०३--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या यह सही है कि बुलन्दशहर के सर्वश्री गिरिराज सिंह और अब्बास अली को १९५८ के खाद्य आन्दोलन के सम्बन्ध में राजनीतिक बन्दी करार दिया गया था, लेकिन मई-जून, १९६० के हिन्दी आन्दोलन के समय उन्हें राजनीतिक बन्दी नहीं माना गया ? अगर हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--राजनीतिक बंदियों की कोई श्रेणी नहीं है अतः सर्वश्री गिरिराज सिंह व अब्बास अली को राजनीतिक बन्दी करार दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय जिला शरणालय, मैनपुरी

*१०४--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में राजकीय जिला शरणालय कब से खुला है और जिला शरणालय के कर्मचारियों के वेतन में तथा अन्य चीजों में मासिक खर्च क्या हुआ करता है ?

आचार्य जुगल किशोर--मैनपुरी जिले में राजकीय जिला शरणालय की स्थापना मार्च, १९५८ में की गई थी । इस शरणालय पर कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य चीजों में औसतन क्रमश ३६० रु० तथा ५४० रु० मासिक व्यय हुआ करता है ।

*१०५--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५८-५९ में और १९५९-६० में उक्त शरणालय में कितने कैदियों को शरण दी गई है और कैदियों पर कितना खर्च किया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर--सन् १९५८-५९ तथा सन् १९५९-६० में उक्त शरणालय में शरण पाने वालों में से विमुक्त किये हुये कैदियों की संख्या क्रमशः २ और १ थी तथा उन पर क्रमशः ९६ रु० और ७५ रु० व्यय हुआ ।

बस्ती, देवरिया तथा आजमगढ़ में महिला उद्धार गृहों की आवश्यकता

*१०६--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गोरखपुर, बस्ती, देवरिया तथा आजमगढ़ जिलों में राज्य की ओर से महिला उद्धार-गृहों की स्थापना की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय कब तक हो जायगा ?

आचार्य जुगल किशोर--राज्य की ओर से बस्ती, देवरिया तथा आजमगढ़ में अभी महिला उद्धार गृह स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । किन्तु गोरखपुर में महिलाओं के लिये एक जिला शरणालय एवं प्रवेशालय स्थापित है जिसे अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण गृह (प्रोटेक्टिव होम) घोषित किया जा चुका है ।

यू० पी० फर्स्ट अफेण्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट का प्रवर्तन

*१०७--**श्री भगवती सिंह विशारद**--क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सारे प्रदेश में यू० पी० फर्स्ट अफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट लाग करने का विजार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---यू० पी० फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट राज्य के सभी जिलों में लागू है। इस ऐक्ट की धारा ४ (२) जिसके अन्तर्गत प्रोवेशन पर छोड़े गये अभियोगी प्रोबेशन आफीसर की देख-रेख में रखे जाते हैं अभी तक केवल २२ जिलों में लागू हैं जहां वे अधिकारी नियुक्त हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में १९ अन्य जिलों में इन अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। ज्यों-ज्यों यह नियुक्तियां होती जायंगी त्यों-त्यों उपरोक्त ऐक्ट की धारा ४ (२) भी संबंधित जिलों में लागू होती जाएगी।

बूढ़े एवं अशक्त व्यतियों के लिये गृह स्थापित करने की योजना

*१०८---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या भिखमंगी कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने उसे बुढ्ढे और अशक्त लोगों के लिये घर बनाने का सुझाव दिया है और कहा है कि उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये पचास प्रतिशत तक रुपया वह देगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुड्ढों एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये दो गृह स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। परन्तु अभी यह निश्चय नहीं हो पाया है कि केन्द्रीय सरकार उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये कितना रुपया देगी।

अतारांकित प्रश्न

फरीदपुर इण्टर कालेज के अध्यापकों के लिये नवीन वेतन-क्रम की स्वीकृति

१---**श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली)---क्या सरकार कृपया बतयेगी कि क्या यह सच है कि इंटर कालेज में जो कस्बा फरीदपुर, जिला बरेली में है, नवीन वेतन-क्रम से अध्यापकों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों और कब से तनख्वाह का बड़ा हिस्सा दिया जायेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर---कस्बा फ़रीदपुर, ज़िला बरेली में स्थित इटर कालेज के अध्यापकों को नवीन वेतन-क्रम देना विद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकार किया जा चुका है जो जुलाई, १९५९ से दिया जायगा।

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री उग्रसेन जी का एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, जिसकी मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किन्तु यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, हाईकोर्ट से फैसला हो चुका है, फिर भी खंडसारी वालों को परेशान किया जा रहा है। इसलिये माननीय मंत्री जी कोई वक्तव्य ही इस संबंध में देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

ग्राम पंचायतें नियमित रूप से गठित न होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की मांग

श्री अध्यक्ष---एक प्रस्ताव माननीय राजनारायण जी का है, नियम ५२ के अन्तर्गत उसे मैं महत्वपूर्ण समझता हूं और वह इस प्रकार है:---

"प्रदेश में ग्राम पंचायतों का नया चुनाव समाप्त हो गया है मगर अभी तक सभी पंचायतें नियमित रूप से गठित नहीं हो पाई हैं। ग्राम सभा के प्रधानों द्वारा प्रत्येक विकास खंड के अन्तरिम जिला परिषद् में एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है, इस चुनाव में जहां-जहां ग्राम पंचायतें नियमित रूप से गठित हैं वहां के नये ग्राम सभापति अन्तरिम जिला परिषद् के चुनाव में भाग लेंगे और जहां के नये ग्राम सभापति का चुनाव तो हो

गया है लेकिन पंचायत गठित नहीं हुई है वहां पुराने ग्राम सभा के सभापति ही नियमतः अन्तरिम जिला परिषद् के प्रतिनिधि के लिये चुनाव में भाग लेंगे। यह एक विचित्र बात होगी कि नये ग्राम सभापतियों का चुनाव तो हो जाय मगर मतदान में भाग लें पुराने सभापति।

इस उपर्युक्त व्यवस्था से प्रदेश में व्यापी हलचल है, जिलों से मांग आ रही है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे नये चुने हुये सभापति ही अन्तरिम जिला परिषद् के प्रतिनिधियों के चनाव में भाग लें।

ऐसी स्थिति में मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सरकार ऐसी कौन सी व्यवस्था करने जा रही है जिससे नये सभापति भाग लें, पुराने नहीं।"

मैं जनना चाहता हूं कि इसके लिये माननीय मंत्री जी कब जवाब देंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---नेक्स्ड सिटिंग में जवाब दे दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--- श्रीमन्, अब ३ दिन बाद यह सदन बैठेगा मगर भीतर-भीतर एक सज्जन हमारे पास आये थे कि कल ११, १२, १३ तारीख की छुट्टी है और १५ को उनका कहना है कि शायद कोई ग्रहण लगे तो कहते हैं कि सरकार की ओर से कोई प्रयत्न हो रहा है कि १४ को भी छुट्टी कर दी जाय, इस प्रकार से ५ दिन की छट्टी हो जाय। ऐसी बात हमको बतायी गयी।

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह गलत बताया गया, मेरी ओर से कोई प्रयत्न नहीं है।

श्री राजनारायण---आपने साफ कर दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आगे और साफ कर देंगे।

श्री राजनारायण---चुनावों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने की बात पर मुझे अफसोस के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि स्वायत्त शासन मन्त्री से मेरी और माननीय उग्रसेन की एक घंटे एक रात को बात हुई थी और कल भी बात हुई और उन्होंने वादा किया था कि सदन में जवाब दे देंगे, लेकिन मामला फिर टल रहा है।

श्री अध्यक्ष---वह आये नहीं हैं। मालूम होता है शायद आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होंगे।

श्री राजनारायण---कल शायद आपको भी उन्होंने खबर दी थी कि कल इसका जवाब देंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह कौंसिल में हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सदन को सूचना इस बात की मिल जानी चाहिए उनसे पूछ कर, क्योंकि इस बीच में. . . .

श्री हुकुमसिंह विसेन---अगर इजाजत दें तो आज का काम खत्म होने के बाद शाम को आ कर बता दें।

श्री अध्यक्ष---ठीक है।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के संबंध में जानकारी

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---मैंने एक नियम ५२ के अन्दर कालिंग अटेंशन नोटिस दी थी ओला वर्षा के संबंध में। ७ तारीख की रात को गोरखपुर में ओला और वर्षा हुई और मोटर बसों की ओले से छतें टूट गयीं और वर्कशाप में मरम्मत के लिये भेजना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कितना नुक्सान हुआ है उसका जवाब देने के लिये तैयार हैं, लेकिन सहायता देने के लिए क्या किया गया है, क्या यह भी सूचना माननीय मंत्री जी देंगे ?

श्री अध्यक्ष---मतलब यह है कि न्याय मंत्री इस विषय में सब जिलों की खबरें मंगा रहे हैं। तो उसमें यह भी बता दिया जायगा कि सहायता देने के सम्बन्ध में वह क्या कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---एक निवेदन मेरा इस सम्बन्ध में है, वह यह है कि माननीय मंत्री जी जितना अपना वक्तव्य टालते जाते हैं हम देखते हैं कि देवरिया, गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ में उतना ही ओला शुरू होता जाता है। तो जल्दी से वक्तव्य दे दें। परसों ओला पड़ा और मंत्री जी फिर टाल रहे हैं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---मैं टाल नहीं रहा हूं। जब तक मुकम्मिल इत्तला न आ जाय तो किस आधार पर जवाब दें?

राज्य के परिवहन विभाग के कर्मचारियों के सेवा नियमों में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---उग्रसेन जी का जो प्रश्न था इसकी तरफ परिवहन मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया था, परिवहन मन्त्री उस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें।

***परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)**---अध्यक्ष महोदय, यहां जो प्रश्न अभी पूछा गया उससे बहुत कुछ साफ हो गया, लेकिन चूंकि यह आइटम मौजूद है, इसलिए मैं यह अर्ज करता हूं कि गवर्नमेंट रोडवेज बस सर्विस जो है वह एक खास हालत में है। गवर्नमेन्ट के दूसरे मुहकमों की सर्विस में और इसमें इख्तलाफ है। छुट्टियां कुछ भी हों, तातील के दिन कुछ भी हों, त्योहार कुछ भी हों, लेकिन बस सर्विस तो चलती ही रहेगी। इसलिए जो आम सर्विस रूल है इसमें थोड़ा अन्तर होता है, यहां के हालात के मुताबिक।

इसके अलावा जो गवर्नमेण्ट के और कामर्शियल अंडरटेकिंग्स हैं, जैसा कि जवाब में कहा था---सीमेंट फैक्टरी और केसा--- वहां के भी सर्विस रूल्स उसी तरह के हैं जैसे कि तब्दील करके यहां लागू किये गये। इस तब्दीली से यह बात सही नहीं है कि तमाम सूबे में कोई बड़ी बेचैनी हो गयी। थोड़ा-सा एक रीजन में, लखनऊ रीजन में जरूर कुछ एजीटेशन हुआ और ५०० के करीब लोग सर्विस से अलग हुए, उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किये, लेकिन फिर आपस में एक समझौता हो गया और जैसा मैंने सवाल के जवाब में बतलाया कि सिर्फ १६ आदमी ऐसे रह गये जिन्होंने उस सर्विस रूल को मंजूर नहीं किया और वह अलग किये गये। इस सर्विस रूल के जरिये से अगर कोई एक दो कमियां हुईं तो बस में काम करने वालों को कुछ सुविधायें भी मिली हैं। जैसा मैंने बताया था कि पहले उनको ओवर टाइम में काफी वक्त लग जाता था और आमतौर से ओवर टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब तकरीबन १० लाख रुपया ओवर टाइम की निस्बत अदा करना होगा। इसी तरह से प्राविडेन्ट फंड में ३० लाख रुपये बढ़ाये जायंगे। तो इस तरह से केवल असुविधा की ही बात नहीं है बल्कि सुविधा की बातें भी उनके लिये बढ़ाई गई हैं और अब पूरी तौर से इत्मिनान है और जो कुछ थोड़ा-बहुत एजीटेशन था वह कमप्रोमाइज से खत्म हो गया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात की जानकारी रखते हुये कि भूतपूर्व परिवहन मन्त्री ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि रोडवेज मैनुअल तैयार की जा रही है, उसके लिये एक कमेटी भी बन गई है तो यकायक बिना नोटिस दिये हुये इस महान परिवर्तन को करने की क्या आवश्यकता पड़ गई?

श्री मुजफ्फर हसन---सर्विस रूल्स, जैसा कि यहां वादा किया गया था, बन रहे हैं, लेकिन जो दुशवारी थी जिसकी वजह से उसकी जरूरत पड़ी वह मैं पहले अर्ज कर चुका हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--- क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि सारे मुल्क के सरकारी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज के एक तरह के दस्तूर बनें, इस सिलसिले में पार्लियामेन्ट में ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स बिल पेश है और क्या उनको यह भी मालूम है कि यह हुकुम १६ सितम्बर का महज इस गरज से निकाला गया कि उस विधेयक में एक यह धारा है कि पुरानी सहूलियतें कायम रहेंगी इसलिये उससे महरूम रखने के लिये यह हुक्म निकाला गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह--- ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स बिल पार्लियामेंट में पेश है जिसके बमूजिब सारे मुल्क की स्टेट रोडवेज की सर्विस कण्डीशन्स एक यह होंगी, उसमें एक गुंजायश रखी गयी है, एक प्राविजो है कि जो पुरानी सहूलियतें हैं वह कायम रहेंगी इसलिये यह १६ सितम्बर का जी० ओ० सरकार ने उन सहूलियतों से महरूम रखने के लिये निकाला है ? मगर माननीय मंत्री को इस वक्त न मालूम हो तो बाद को मालूम कर के बतला सकते हैं।

श्री मुजफ्फर हसन---जहां तक मैं जानता हूं गालिबन ऐसी नियत नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त कर सकता हू कि ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स बिल का मुतालबी करके वह इस बात का सही पता लगा लेंगे ?

श्री अध्यक्ष---उस बारे में वह नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह नीयत थी, यह उनको नहीं मालूम है। ऐक्ट में नीयत तो दी नहीं होगी।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि फिर क्या वजह थी कि यह हुक्म एकाएक १६ सितम्बर को निकाला गया ?

श्री अध्यक्ष---इस समय यहां पर पुराने परिवहन मंत्री जी भी मौजूद हैं। चूंकि ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है मंत्रियों की इसलिये अगर वह कोई उत्तर देना चाहें तो मैं उनको इजाजत दे सकता हूं।

***आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)**---माननीय सदस्य जरा फिर से प्रश्न दोहरा दें।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या मन्त्री महोदय को ज्ञात है कि ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स बिल जो पार्लियामेन्ट के सामने पेश है वह पास होने के बाद उत्तर प्रदेश के ट्रान्सपोर्ट कर्मचारियों पर भी लागू हो जायगा उसमें एक धारा यह है कि पुरानी जो सहूलियतें अब तक थीं वह बदस्तूर कायम रहेंगी ? उन सहूलियतों से इनको महरूम करने के लिये ही यह हुक्म निकाला गया ?

डाक्टर सीताराम---पुरानी सहूलियतें तो जरूर उसी तरह से रहेंगी, लेकिन टेम्पोरेरी एम्प्लाईज की सर्विस कंडीशंस के बारे में गवर्नमेंट को राइट होता है कि वह जब चाहे तब रिवाइज कर सकती है। इन्हीं सब बातों को देखते हुये दो आदमियों ने हाईकोर्ट में रिट भी दायर किया था, लेकिन वे हार गये।

श्री त्रिलोकीसिंह---इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जब सरकार को यह अख्तियार हासिल था कि टेम्पोरेरी गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स की नौकरी की शरायत में जब चाहे तब्दीली करें तो फिर यह एग्रीमेण्ट लिखाने की क्या जरूरत पेश आयी ?

डाक्टर सीताराम---हरएक सर्विस के नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के अन्तर्गत टेम्पोरेरी एण्प्लाईज से एग्रीमेण्ट लिखाया जाता है। इसीलिये एग्रीमेंट फार्म पर दस्तखत कराये गये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक शिकायत करना चाहता हूं कि पता नहीं मंत्री जी को क्या मजा मिलता है कि जो जी० ओ० निकालते हैं वह उल्टा ही होता है ।

श्री अध्यक्ष---आप अपना प्रश्न कीजिये ।

श्री राजनारायण---मैं जी० ओ० को ही पढ़ रहा हूं । सरकारी भाषा हिन्दी है, लेकिन जी० ओ० निकला है अंग्रेजी में । इसके ऊपर श्रीमन्, आप भी अफसोस के दो आंसू बहा दीजिये ।

तो इस जी० ओ० में यह लिखा हुआ है ---

"In view of the special service conditions of employees of the Roadways it seems necessary to evolve a new set of service conditions for employees which may be competible with the nature of work and functions of the organisation".

क्या अनोखी परिस्थिति पैदा हो गयी थी जिसको मद्देनजर रखते हुए नयी शर्तें रखी गयीं और जिसके मातहत मंत्री जी ने यह उचित समझा कि ९ घंटे उनको काम करना होगा ? कहा गया कि ९ घंटे तो पहले भी काम करते थे, लेकिन पहले ९ घंटे कहां करते थे ? इसमें यह लिखा हुआहै---

"No worker shall ordinarily be required to work for more than 9 hours in a day or 54 hours in a week."

जो भाषा है उसका मतलब यही निकाला जायगा कि ९ घंटे काम करना होगा हर एक वर्कर को न कि ज्यादा से ज्यादा ९ घंटे काम करना होगा ।

श्री अध्यक्ष---उसमें तो यही लिखा है कि ९ घंटे से ज्यादा काम न करेगा ।

श्री राजनारायण---लेकिन व्यवहार में यह नहीं होगा कि ९ घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जायगा वहां तो यही दृष्टिकोण अपनाया जायगा कि ९ घंटे काम लिया जाय । मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि अगर कोई नयी बात नहीं थी तो २० हजार रोडवेज के काम करने वालों के हस्ताक्षर क्यों लिये गये, इन नयी शर्तों पर ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं उठता । यह तो आप केवल सूचना दे रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि उनको कैजुअल लीव दी जाय जिसका व्यवहार वे शादी ब्याह और मौत आदि के अवसरों पर कर सकें ?

श्री मुजफ्फर हसन---१८ दिनों की छुट्टी उनको दी गई है फिर भी इत्तफाकिया मौकों के लिये उनको और भी छुट्टी का मौका दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०

श्री अध्यक्ष---अब सचिव विधान सभा सदन को एक सूचना देंगे ।

सचिव, विधान सभा---आपकी अनुमति से मैं सदन को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १५२ के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० जो कि विधान सभा द्वारा १४ सितम्बर को पारित किया गया था तथा विधान परिषद् की मेज पर २० सितम्बर को रख दिया गया था, तीन मास व्यतीत हो जाने पर भी विधान परिषद् से वापस नहीं लौटा है ।

श्री अध्यक्ष---माननीय उपनेता सदन यहां मौजूद हैं । इस विषय में नियम यह है क तीन महीने तक अगर कोई विधेयक जोकि परिषद् के सामने उपस्थित कर दिया जाय और

वह वहां से वापस नहीं आता तो उसकी सूचना सचिव, विधान सभा को दे देते हैं। तो अभी उन्होंने सूचना दे दी। नियम के अनुसार प्रोसीजर यह है कि अगर विधान सभा चाहे तो स्वयं उस बिल को फिर अपने यहां उपस्थित करके जो कुछ संशोधन या जो कुछ भी वह करना चाहे उसके अनुसार उसे पारित करके फिर परिषद् के पास भेज दे। प्रोसीजर यही है कि अगर सदन यह चाहता है तो जो मंत्री उसके चार्ज में हों वे उनका मोशन भी करते हैं कि इस पर पुर्नविचार किया जाय। आज यहां पर संबंधित मंत्री मौजूद नहीं हैं। मैंने सदन को सूचना दे दी। तो यदि इस विषय में यहां पर फिर विचार करना हो तो उसका स्पष्टीकरण आप दे दें और अगर यहां नहीं विचार करना है तो इस विषय में आपकी क्या मंशा है, उसे भी बतला दें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अगले दिन बतायेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, जो सूचना आपने दी, इस सम्बन्ध में प्रथम दिन ही मैंने जानकारी चाही थी। हमारे पास भी यह कल आ गया था। तो जो बात मैंने कही थी उसके मुताबिक आपने सूचना दे दी। सरकार की ओर से एक बात बार-बार सदन में कही जाती है कि हम जल्दी चाहते हैं, हम जल्दी चाहते हैं। जब कल कौंसिल से सूचना आ गयी कि फलां तारीख को सितम्बर में यह पेश हुआ था तो तीन महीना तो बीत चुका। सरकार से मैंने फिर बातचीत की, लेकिन सरकार ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। मेरा निवेदन यह है कि अब अगर जिला परिषदों के चुनाव में विलम्ब होता है तो सरकार विरोधी दल के लोगों को दोष न दे। मैं अपनी ओर से आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को जल्दी से जल्दी सदन में लाया जाय और यहां से पारित करा कर कौंसिल को भेज दें तो उसमें देरी नहीं होगी। सभी लोग चाहते हैं कि जिला परिषदों का चुनाव जल्दी से जल्दी सन् ६२ के आम चुनाव के पूर्व हो जाय। इसका सरकार उत्तर दे।

श्री अध्यक्ष---मैंने इसकी सूचना दे दी, सरकार से इसका कोई मतलब नहीं है। यह तो किसी को याद भी नहीं था, लेकिन मैंने चूंकि परिषद् से सूचना मंगायी तो देखा कि जो परिषद् का कार्यक्रम है उसमें यह दिया हुआ है कि १४, १५, १६ और १७ को वहां पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक पर विचार होगा।

अब तो इस सदन को भी अधिकार है कि वह उसे विचार करने के लिये परिषद् को भेज दे या खुद विचार कर ले। लेकिन उसका परिणाम यह होगा कि जब यहां विचार होगा तो फिर एक महीने तक के लिये परिषद् के पास उसे भेजना ही होगा।

श्री राजनारायण---इसमें एक महीने कैसे लग जायगा ?

श्री अध्यक्ष---एक दूसरी चीज यह भी हो सकती है कि चार रोज परिषद् में बहस हो और उसके बाद वहां से यहां आ जाय तो जल्द यह पारित हो सकता है। तो इन दोनों तरीकों में से जैसा भी गवर्नमेंट तथा मंत्री जी का विचार हो, करें वे मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, जब वे आवें तो वे अपना विचार कर लें कि आया यहां लाकर वह जल्दी पास हो सकता है या परिषद् में पास करा कर तब यहां लाने का उनका विचार है। इस पर विचार करके सदन के सामने अपनी राय उनको रखनी चाहिये, फिर सदन यह तय करेगा। हो सकता है कि कोई सदस्य यही कहे कि यहीं लाया जाय, तो मैं सदन की राय ले लूंगा। लेकिन प्रोसीजर यही है कि मंत्री को खास तौर से यहां मोशन करना चाहिये कि इस पर यहीं विचार करना है, लेकिन सम्बन्धित मंत्री मौजूद नहीं हैं। आने पर वे इस पर विचार कर लें कि वे क्या चाहते हैं, वहां से पारित होकर यहां आवे या उसे यहीं लाना चाहते हैं। वैसे तीन महीने हो चुके हैं और आपको पुर्नविचार करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मेरा श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि संविधान के अनुसार तो यह व्यपगत हो गया और ऐसी हालत में.....

श्री अध्यक्ष---व्यपगत नहीं हुआ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--जी हां, वह है कि ३ मास बाद विचार नहीं कर सकते....

श्री अध्यक्ष--तो आप बिना समझे ही कैसे कह रहे हैं ? संविधान में लिखा है कि--

"If after a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State having a Legislative Council and transmitted to the Legislative Council.....

(*b*) more than three months elapse from the date on which the Bill is laid before the Council without the Bill being passed by it .....

the Legislative Assembly may, subject to the rules regulating its procedure, pass the Bill again in the same or in any subsequent session with or without such amendments, if any, as have been made, suggested or agreed to by the Legislative Council and then transmit the Bill as so passed to the Legislative Council".

श्री रामस्वरूप वर्मा--मेरा निवेदन तो यह है कि इस में 'मे' शब्द है । इसके अनुसार तो ३ मास बाद विचार होगा और फिर अगर संशोधन हुये तो फिर वह वहां जायगा और इस तरह से और अधिक देर लगेगी । मैं चाहता हूं कि उसको पहले यहीं अब ले लिया जाय और संशोधन करने हैं तो कर लें । वहां होगा तो बहुत समय लग जायगा ।

श्री अध्यक्ष--वह तो परिस्थिति के अनुसार होगा । जो संशोधन वह बहुमत से यहां पास करा सकते हैं वह वहां भी पास करा सकते हैं । बहुमत तो उनका दोनों सदनों में है । यह परिणाम तो हो नहीं सकता कि जो कुछ वह पास कराना चाहेंगे उस के विरुद्ध कोई चीज कहीं पास हो जायगी लेकिन यह जरूर है कि सरकार सहमत हो जायेगी तो जल्द हो जायगा । जल्दी करने की अगर मन्शा है तो दोनों तरह से वह हो सकता है चाहे वह यहां रहे या वहां जाय, किसी तरह से भी हो लेकिन अगर जल्दी नहीं करना है तो वह किसी तरह से भी नहीं हो सकता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आपने जो रूलिंग दी वह उचित है और शिरोधार्य है, लेकिन श्रीमन्, प्रश्न यह है कि यहां पर इस 'में' का इन्टरप्रिटेशन 'शैल' का होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--लेकिन जो यह समय इसमें दिया गया है इस का मतलब यह होगा कि कौंसिल के लिये लाजमी होगा कि वह एक मास में जरूर पास कर दे क्योंकि दूसरी बार जाने पर संविधान में लिमिटेशन रख दी गई है । इसलिये अगर कौंसिल से ही जल्दी पास होकर आ जाय.....।

श्री अध्यक्ष--वह तो ४ रोज १४ से १७ तक अभी आगे रखे ही गये हैं, अगर वह समझते हैं कि इसी में सहूलियत है और जल्दी करनी चाहिये तो वहां से पास होकर ही यहां आ जायगा ।

श्री राजनारायण--श्रीमन, अगर सरकार चाहेगी तो जल्दी कर देगी यह कहना ठीक है, लेकिन अगर देर होती है तो उस देर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर न होगी । बार-बार सरकार कह देती है कि कौंसिल ने पास करके नहीं भेजा तो हम क्या करें ।

श्री अध्यक्ष--विलम्ब की जिम्मेदारी तब होगी जब आप यहां आने के बाद कहें कि १५ दिन और चाहिये बहस के लिये ।

श्री राजनारायण--तब तो हमारे ऊपर होगी, लेकिन हठवादिता....

श्री अध्यक्ष--अब आप बैठें, अब आगे की कार्यवाही होगी ।

नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव के न लिये जाने के संबंध में जानकारी की मांग

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---मैं एक जानकारी चाहता हूं, श्रीमन्, आज दफा ५२ के प्रस्ताव नहीं लिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह तो हो चुका ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मेरा आपने रिजेक्ट कर दिया ?

श्री अध्यक्ष---आपका नहीं लिया गया, आज दूसरे का लिया गया । सोमवार-मंगल को आप फिर दीजियेगा । लेकिन एक बात है उसमें । मिल गेट पर जो हंगर स्ट्राइक हो रही है वह इस विषय में हो रही है कि भाव बढ़ा दिया जाय गन्ने का । इसके ऊपर तो मैं समझता हूं कि कई दफा बहस हो चुकी है और प्रदेशीय सरकार बता चुकी है कि हमारे हाथ में वह अधिकार नहीं है, तो और क्या वह ज्यादा बताएगी ....

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---कम से कम यह तो बता सकते हैं कि जैसे बाम्बे सरकार ने भारत सरकार के निर्धारित मूल्य के बजाय ज्यादा मूल्य दिलवा दिया उसी प्रकार यह सरकार भी प्रयत्न करक अधिक मूल्य दिलवा सकती है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं अगर आप कोई प्रश्न इस सम्बन्ध में करना चाहते हैं तो बम्बई सरकार ने क्या किया है उसके सम्बन्ध में वहां से डिटेल्स मंगा लें....

राजा यादेव दुबे---यह तो इन्होंने ही बताया था ।

श्री अध्यक्ष---यहां प्रश्न पूछा गया था और गेंदासिंह जी ने बताया था । लेकिन क्या किया बम्बई सरकार ने अगर आप कह दें कि वेस्ट बंगाल में ५ रुपये दिलवा दिये, तो सवाल यह है कि किस कायदे से दिलवाये । वह कायदा आप न बताएं, डिटेल्स न दें, तो मैं समझता हूं कि उस विषय में मैं उसको सीरियस नहीं समझूंगा । वह तो सिर्फ आपका स्टेटमेंट है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अगर यह मौका मिल जाय आपके समक्ष इस सदन में कि उन सारी बातों को अधिकार पूर्ण शब्दों में सरकार के सामने रख दिया जाय तो मैं समझता हूं कि उस पर निर्णय हो सकता है और यह सदन निर्णय कर सकता है । मैं तो अधिकारपूर्ण शब्दों में कहने के लिये तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष---आपने एक स्टेटमेंट उस रोज दिया कि बम्बई सरकार ने ज्यादा रुपया दिलवा दिया यह कायदा होते हुए भी । वह तो यह कहते हैं कि मिनिमम तो हम तय कर सकते हैं । मिनिमम के बाद अगर कोई देना चाहे, १ रु० १० आने के बजाय २ रुपया देना चाहे तो किसी मिल मालिक को रोक नहीं सकते, वह दिया जा सकता है । लेकिन क्या यह सम्भव है कि यह सरकार मिल मालिकों को बाध्य करके १ रु० १० आने की जगह, जो कि मिनिमम फिक्स्ड है, १ रु० १२ आने, १४ आने या २ रुपये दिलवा सके ? और क्या ऐसा बम्बई सरकार ने बाध्य करके किया है ? इस तरह के डिटेल्स वहां से मंगवा कर यह प्रश्न पूछें तो मैं दफा ५२ में इसकी इजाजत दे दूंगा कि आप इस विषय में ध्यान आर्काषत करें और फिर वह उसका जवाब दें ।

श्री गेंदासिंह---एक बात हो सकती है । आज गैरसरकारी दिन है । आज गैरसरकारी दिन में माननीय दुबे जी और माननीय राजनारायण जी, और आपके आदेश से, अगर ये दोनों साहबान राजी हो जायं तो वह सारी बात रखी जा सकती है माननीय मदन पांडेय जी के प्रस्ताव पर जो कि गैरसरकारी प्रस्ताव है । माननीय नन्दराम जी और माननीय हिम्मत-

[श्री गेंदासिंह]

सिंह जी, ये दोनों साहबान अगर इस बात के लिये रजामन्द हों तो वह प्रस्ताव आ सकता है और उसके सम्बन्ध में सारी बात रखी जा सकती है और मैं समझता हूं कि दो दिन बहस हो चुकी है माननीय रामचन्द्र विकल के प्रस्ताव पर उस पर क्लोजर ले लिया जाय और यह रोज-रोज का जो झंझट आपके सामने भी रहता है वह मैं समझता हूं कि किनारे आ सकता ह बशर्ते. . . .

श्री अध्यक्ष---वह तो सदन के हाथ में है। आप प्रपोज कीजिये।

श्री गेंदासिंह---लेकिन आपकी सहायता मैं इस मामले में चाहता हूं और माननीय. . . .

श्री अध्यक्ष---अगर आप क्लोजर मूव करेंगे. . . . .

श्री गेंदासिंह---उन दोनों प्रस्तावों को जो कि आगे हैं. . . .

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, जहां तक. . . .

श्री अध्यक्ष---अभी तो मैं रामचन्द्र विकल जी का संकल्प ले रहा हूं। जब तक वह खत्म न हो तब तक दूसरा सवाल नहीं होता।

१५ फरवरी को सूर्य ग्रहण की छुट्टी के संबंध में जानकारी की मांग

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---मैं एक जानकारी चाहता हूं माननीय उप-नेता सदन से। १५ तारीख को सूर्य-ग्रहण है, क्या उस दिन विधान सभा की छुट्टी रहेगी ? सभा बन्द रहेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---इसमें प्रोग्राम में कहीं छुट्टी नहीं है १५ तारीख की। अगर आप छुट्टी चाहते हों तो बात करके मुझे सूचना दे दें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मैं श्रीमन्, आपके द्वारा ही निवेदन कर रहा हूं। १३ तारीख को शिवरात्री है, १४ को विधान सभा खुलेगी। हो सकता है कि माननीय सदस्यों को आने में कुछ कठिनाई हो। और १५ तारीख को सूर्य ग्रहण है। तो क्या माननीय उप-नेता सदन १५ की छुट्टी के लिये राजी होंगे ?

श्री अध्यक्ष---माननीय उप-नेता सदन, लोग कह रहे हैं कि १५ तारीख को सूर्य ग्रहण है। तो उस दिन छुट्टी देने के लिये आप तैयार हैं या नहीं ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---१५ तारीख को तो सप्लीमेंटरी पेश होगा। इसलिये हम छुट्टी के लिये तैयार नहीं हैं।

भू-स्वामियों को उनके खेतों की सूची देने तथा लेखपालों के खसरे में काबिज दर्ज करने के अधिकार को समाप्त करने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब माननीय रामचन्द्र विकल जी के संकल्प पर विचार जारी होगा। माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी भाषण दे रहे थे।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं रामचन्द्र विकल जी के प्रस्ताव का समर्थन इसलिये करता हूं कि पिछले वर्षों में कई बार यह प्रश्न उठाया गया विरोधी दलों की ओर से भूमि अभिलेखों में शुद्धिकरण के लिये, किसानों को स्थायी अधिकार प्रदान करने क लिये सरकार इस पर पुनः विचार करे, लेकिन सरकार अपनी हठवादिता पर अड़ी हुई है और किसी प्रकार उसमें संशोधन करने के लिये तैयार नहीं है।

---

†२६ अगस्त, १९६० की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव को तीन खंडों में विभाजित करता हूं। पहला तो यह है कि जितने काश्तकार प्रदेश में हैं और जिनकी गुजर खेती पर होती है उनके तमाम खातों की एक सूची, जमा-बन्दी तैयार करके, सरकार उनके खेतों को उनके पास दे दे। दूसरा प्रश्न इससे संबंधित है कि पटवारियों के हट जाने के बाद जो प्रदेश में लेखपालों का आगमन हुआ है उनको कैफियत के खाने में मनमाने अधिकार दिये गये हैं जो समाप्त कर दिये जायं और उनको काबिज लिखने का अधिकार न रहे। अगर कैफियत के खाने में इंदराज कोई करना जरूरी हो तो वह भूमिपति या इस समय जो गांव सभायें कायम हैं उनकी रजामन्दी से लिखें। यह इतना सीधा-सादा है कि इससे किसान राहत महसूस करेगा और उसकी परेशानी दूर होगी, भ्रष्टाचार बन्द होगा और किसान सुख से रहेगा। अध्यक्ष महोदय, यह इतना सीधा प्रस्ताव है कि इससे सरकार का भी कोई नुकसान नहीं है और किसानों को भी फायदा है। मैं समझता हूं मंत्री जी इसको कबूल करेंगे।

जब यह प्रस्ताव पेश हुआ था तो मंत्री जी ने कहा था कि अगर हम खातों की एक जमाबन्दी तैयार करायें प्रत्येक किसान के लिये तो उसमें काफी खर्च होगा, उसके लिये स्टाफ चाहिये और सरकार के पास पैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं हर साल सरकार जमाबन्दी तैयार कराती है लगान वसूली के लिये, उसमें भी पैसा खर्च होता है, स्टाफ रखा जाता है। उसके लिये पैसा कहां से मिलता है? असल में सरकार इस काम को करना नहीं चाहती। मैं कहना चाहता हूं जो जमाबन्दी लगान की वसूली के लिये सरकार तैयार कराती है उसमें किसान का केवल नाम और खाता दर्ज रहता है। न खेत का नम्बर होता है और न रकबा लिखा होता है, व्योरेवार उसमें कोई चीज नहीं होती ताकि किसान समझ सके कि मैं जो लगान दे रहा हूं किस नम्बर और रकबे का लगान दे रहा हूं। बिहार में एक प्रथा है। उनके खेतों की जमा-बन्दी सरकार की तरफ से मिली रहती है जिसमें नाम, नम्बर, नवैयत, मालियत, लगान सब दर्ज रहता है। सरकार को परेशानी क्या है मैं नहीं समझ पाता।

जहां तक लेखपाल के इंदराज करने का सवाल है मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। लेखपाल के लिखने का अर्थ है कि एक खेत जब उसके कब्जे से किसी दूसरे के कबजे में चला जाय तो उसमें वह इंदराज कर दे। जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के मुताबिक ३,४ अधिकार खेतिहरों को मिले हुए हैं, ऐसे अधिकार हैं ऐग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनीमल हस्बेंडरी, पोल्टरी फार्मिंग और फिशरीज, इन ५ भागों में बटा हुआ है। कृषि करना, बागवानी, पशुपालन, मुर्गीपालन तथा मछली पालन ये ५ अधिकार हैं, लेकिन जिस जमीन पर बड़े-बड़े जमींदार और सीरदार बाजार लगवाते हैं उन पर दूसरों का कब्जा रहता है। हमारा खेत दूसरे के कब्जे में चला गया और वह काबिज है, जोतता है, बोता है तो कैफियत के खाने में काबिज लिख दिया जाय, लेकिन जिस पर बाजार लगता है फिर भी दूसरे का कब्जा रहता है, लेखपाल उस पर क्या इन्दराज करता है इसका कोई जवाब नहीं है। जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के किस खंड तथा किस धारा के अन्दर यह आता है जिस पर बाजार लगता है? क्यों नहीं कानून में संशोधन कर दिया जाता? कोई खेत दूसरे के कब्जे में उठा दिया तो काबिज लिखा दिया, लेकिन बाजार दूसरे के कब्जे में है तो कोई इन्दराज नहीं है और वह काबिज माना जाता है। मैं समझता हूं कि यह रामचन्द्र जी विकल का प्रस्ताव इतना शुद्ध है किसानों के पक्ष में कि सरकार इसे मान ले और आज का लेखपाल जो गाली सुन रहा है, जिसे भ्रष्टाचार करने के लिये सरकार ने बना रखा है उसकी इस प्रस्ताव के मान लेने पर गांव में पूजा होगी, वह भला आदमी होगा। वैसे इस इन्दराज से कुछ भला होने वाला नहीं है। कैफियत के खाने में जो कि काबिज लिखा जाता है इसका कोई अर्थ नहीं है। काबिज का अर्थ यह है कि जो असल काश्तकार है उस पर उसका हक होगा और जो काबिज है उसका कब्जा उस पर होगा। लेकिन रहन के तौर पर, किसी कमजोरी की वजह से या दूसरे को बटाई के तौर पर जमीन उठा दी जाती है या किसी दूसरे प्रकार से जमीन उठती है। अगर सही-सही इन्दराज हो तो उसका कुछ अर्थ है, लेकिन अगर इन्दराज

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

गलत है तो वह किसानों को तबाह करने वाला हो रहा है, मुकदमा लड़ाने वाला हो रहा है, इसको हमेशा के लिये खत्म कर देना चाहिये।

जहां तक कुछ लिखने का सवाल है, सरकार ने एक नया अधिकार तहसीलदारों को दिया है विरासत दर्ज करने का। यह प्रश्न इस विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन उससे मिला हुआ है। इतना बड़ा अधिकार तहसीलदार को सरकार ने दिया है, लेकिन उसके खिलाफ अपील करने की इजाजत काश्तकारों को नहीं है। इसमें मनमानी होती है। हमारे यहां का एक किस्सा है। नाम नहीं लेना चाहता। खिरिया एक गांव है। जो सही वारिस है उसका नाम विरासत में दर्ज नहीं हुआ और रुपये के बल पर पडरौना के तहसीलदार ने दूसरे आदमी को जो फर्जी है उसे वारिस दर्ज कर दिया और १८ वारिसों में वह वारिस नहीं है। इस तरह की धांधली हो रही है। इन्दराज करना जरूरी है। तो गांव सभा और भूस्वामी की राय से इन्दराज हो और वारिस का नाम दर्ज किया जाय तो इसमें क्या हर्ज है? लिहाजा जो यह प्रस्ताव आया है इसे सदन मान ले ताकि किसानों का लाभ हो।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मैं इस प्रस्ताव पर बहस बन्द करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं यह अपील करता हूं सभी पक्षों से इस लिये कि गैर सरकारी दिन का ठीक इस्तेमाल हो सके। दो दिन तक इस पर बहस हो चुकी है। आगे जो आने वाले प्रस्ताव हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनमें दो रुपये गन्ने के दाम का भी प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के बाद वह प्रस्ताव आ सकेगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं बहुत दिनों तक सदन में नहीं था।

श्री अध्यक्ष---आप विरोध करना चाहते हैं?

श्री राजनारायण---एक सुझावात्मक विरोध है। हमको यह बतलाया जा रहा है कि हमारी इस पर क्या नीति है यह अभी सदन में नहीं आ पाई है। इस समय जो भूस्वामियों के सम्बन्ध में तमाम प्रकार की खुराफातें होती हैं उनका हम कैसे सामना करें यह बात यहां आना चाहिये। मैं गेंदासिंह जी से निवेदन कर रहा हूं कि जहां तक गन्ने का सवाल है वह आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता, उन्होंने क्लोजर मूव किया है। क्लोजर के आप पक्ष में हैं या विरोध में? आप क्लोजर के पक्ष में हैं या नहीं?

श्री राजनारायण---विरोध में हूं।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आप विरोध में हैं तो विरोध करें।

श्री राजनारायण---लेकिन आखिर विरोध करने का कुछ तर्क भी तो है। आप तर्क देने का समय भी नहीं देंगे?

श्री अध्यक्ष---उसमें तर्क देने की क्या आवश्यकता है, मैं राय लूंगा।

श्री राजनारायण---लेकिन अगर प्रार्थना करने से वह हमारी बात खुद ही मान जायं तो राय लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष---तो आप प्रार्थना कीजिये।

श्री राजनारायण---मेरी प्रार्थना यही है कि इस पर एक भाषण में हमारे रामस्वरूप जी जो किसानों के आगे समस्या है उसको रख लें और उसके बाद गन्ने वाला लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप चाहते हैं कि एक भाषण कर लें ।

श्री राजनारायण---जी हां ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:-

पक्ष में---३२,

विपक्ष में---२८ ।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, बहुत थोड़े का अन्तर है शायद गिनने में कुछ गलती हो गयी है, कृपया फिर से राय ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो हो गया। फिर भी म समझता हूं कि दोबारा राय लेने की जरूरत नहीं मालूम होती ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, गड़बड़ी जरूर हुई है।

श्री अध्यक्ष---हां, गड़बड़ी तो जरूर हुई है। अच्छा, मैं फिर से राय लिये लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर सदन का दोबारा विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:

पक्ष में---२८,

विपक्ष में---४५ ।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, माननीय रामचन्द्र विकल ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे बहुत अफसोस है कि आज जब इतना महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में था जिसका प्रदेश के सारे कृषकों से सम्बन्ध है, जिसमें गन्ने के किसान भी आते हैं, गेहूं के किसान भी आते हैं, चना, मटर और धान के भी किसान आते हैं। गन्ने की खेती में अगर इन्दराज गलत है तो श्रीमन्, किसान की तबाही हो जाती हैऔर वह रोता है । ऐसे व्यापक संकल्प पर भी आज प्रजा समाजवादी पार्टी से भी प्रस्ताव आता है कि इसको रोक दिया जाय। अफसोस, है, लानत है....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप किसी की लानत वगैरह न करें ।

श्री राजनारायण---ठीक है श्रीमन्, वह बहुत तीसमारखां बनते हैं ।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि यह तबर्रा का शहर है, यहां लड़ाई हो जाती है लानत कहने से ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि इंदराज का सही होना बहुत जरूरी है। अन्य किसान जो दूसरी फसल गन्ना बोते हैं उनके हित के लिये भी इंदराज का सही होना जरूरी है। आज हमारी कांग्रेस सरकार तीन तरह के किसान रख रही है। भूमिधर, सीरदार और आसामी । लेकिन सत्यतः एक प्रकार का किसान माना गया है और वह

[श्री राजनारायण]

है जो जमीन स्वयं जोते और बोये और जिसे जमींदारी अबालिशन रिपोर्ट में अंग्रेजी में "टिलर आफ दि स्वायल" कहा है। कांग्रेस की ओर से डंके की चोट से प्रचार होता है कि जमीन के जोतने तथा बोने वाले को ही हम मालिक बनाना चाहते हैं। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी जमीन के जोतने बोने वाले को मालिक नहीं बनाया गया है। मालिक बनाना तो दूर रहा सरकार उससे उलटी बात करती है और इंदराज जो होते हैं वह जमीन को जोतने बोने वाले के हक में नहीं जाते हैं। यह बहुत सही बात रखी गई है कि कैफियत के खाने में लेखपाल अपनी मर्जी से जो चाहे वह लिख देता है जिसने उसको चार रुपये दिये, दस रुपये दिये तो वह कैफियत के खाने में शब्द "विवादास्पद" लिख देता है। इससे मामला अदालत में जायेगा। कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि हरिजनों को मुकदमा लड़ने के लिये सहायता दी जायगी। सहायता तो क्या दी जायगी उनके हकों की रक्षा तक नहीं हो पाती है। ऐसी दशा में सहायता की बात ही कैसे उठ सकती है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं और स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि माल मंत्री जी इसका उत्तर दे दें कि अगर लेखपाल कैफियत के खाने में शब्द "विवाद" लिख देता है तो किस का मालिकाना हो गया है? लिख देता है कि तस्फिया होना बाकी है। इस प्रकार जो गरीब किसान हैं, छोटे-छोटे असहाय किसान हैं, जिनके पास देहात में गुण्डों का बल नहीं है, वे कैसे जमीनों पर काबिज होंगे? मुकदमा लड़ते चले जायं और मुकदमों की अजीब हालत है। माल विभाग में दायर होता है, वहां से दीवानी में चला जाता है, दीवानी से फिर माल विभाग में भेज दिया जाता है। हमारे यहां का एक हरिजन है, जोखू। जब मैं जेल से छूट कर गया तो वह मुझ से रो कर कहने लगा कि सात साल से मुकदमा लड़ रहा हूं। लेकिन जीते हुये होने पर भी अब भी हम जोत बो नहीं पा रहे हैं। अदालत में मुकदमा चला जायगा। वहां से १४५ की कार्यवाही हो जायगी कि खेत में कोई न जाय। वही जो बड़े लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, अपनी सुपुर्दगी में सारा गल्ला ले लेते हैं। कोई पुलिस के लोग या और लोग उस गरीब की मदद को नहीं आते हैं। इसलिये मैंने सोचा कि यह जो विभिन्न प्रकार की मुसीबतें हैं, उनको आपके द्वारा इस सदन में प्रस्तुत करूं।

श्रीमन्, इस प्रस्ताव में लिखा हुआ है कि काबिज लिखने के लिये भू-स्वामी तथा गांव सभा की स्वीकृति अनिवार्य हो। क्यों न हो? इसके पूर्व माल मंत्री चौधरी चरणसिंह ने यहां बताया था कि उन्होंने तहसीलदारों को हिदायत दी है कि जब वह अपने दौरे पर जाया करें तो क्षेत्रीय एम० एल० ए० लोगों को सूचित कर दिया करें ताकि वे जा कर गांवों की गड़बड़ी को देखें। मैं आपके द्वारा अपनी शिकायत करना चाहता हूं कि आज तक मुझे वाराणसी के किसी तहसीलदार ने सूचना नहीं दी, अपने क्षेत्र के तहसीलदार ने सूचना नहीं दी आप जानते हैं कि तहसीलदार किस तरह का काम करेंगे, किसके यहां ठहरेंगे, किसके यहां रहेंगे, जो बड़े लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, वह उन तहसीलदारों की दावत करेंगे। असम्भव हो गया है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध गरीब किसान के हक में तहसीलदार इंदराज दुरुस्ती कर पाये।

सरकार ने गांव सभा बनायी, पंचायत राज ऐक्ट बनाया और दुहाई दी जाती है कि पंचायतों को जरूर अधिकार दिया जायगा। अगर यह अधिकार सरकार पंचायतों को दे दे तो क्या आपत्ति है? ताकि जो इंदराज लेखपाल करें उसको गांव सभा का सभापति देख ले और जो उससे संबंधित किसान है वह भी उसको देख ले और दोनों को देख कर बता दें कि ठीक है, इसमें हमारा इंदराज है, उनका नहीं है।

श्रीमन्, पहले यहां एक व्यवस्था करायी गयी थी और यह कहा गया था कि जब इंदराज होगा तो उसकी प्रतियां गांव सभा को बराबर लेखपाल के द्वारा भेज दी जायेंगी, गांव पंचायत कार्यालय में वह लिस्ट टंगी रहेगी। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज भी लेखपाल काबिज के इंदराज की सूची गांव सभा को देता है? कतई नहीं देता है? बार-बार केवल प्रचार के लिये

जनता को भ्रम में रखने के लिये सरकार इन बातों को कह तो दिया करती है, मगर इन बातों के मुताबिक सरकार काम नहीं कर पा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर गांव सभा को लेखपालों के इंदराज की सूची भेज दी जाय तो क्या आपत्ति होगी ? लेखपाल क्यों न भेजे जब सरकार की ओर से इस सदन में आश्वासन दिया गया कि वह इंदराजों की दुरुस्ती के लिये ऐसी व्यवस्था करने जा रही है। किसान भोले-भाले और अनपढ़ हैं। तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच वर्ष से जोतने वाले किसान हैं। मगर पांच वर्ष के बाद एक शगूफा छोड़ दिया जाता है, कि तुम्हारा नाम कट गया है। नाम चलता रहता है। यह बाद में जाकर खबर दी जाती है कि इस साल तुम्हारा नाम ही नहीं है और चार वर्ष पहले से तुम्हारा नाम नहीं है। इसलिये यह बातें की जाती हैं कि अगर समय पर किसान यह जान जायगा तो उसका उपाय कर लेगा और अगर चार-पांच वर्ष पुरानी बातें हो जायेंगी तो अदालत पर भी इसका असर पड़ता है। अदालत भी सोचती है कि पांच वर्ष से इसका नाम कटा हुआ है तो पांच साल पूर्व इसने मुकदमा क्यों नहीं दाखिल किया, इतने दिनों तक सोता क्यों रहा ? फिर इसका फैसला जो अदालतें करती हैं वह किसान के लिये अहितकर होता है। अगर हर साल के साल गांव सभा में यह सूची जाती रहे और किसान भी जानता जाय कि हम किस पर काबिज हैं, किस पर काबिज नहीं हैं तो तत्काल मुकदमा दाखिल कर सकता है और दूसरे लोग भी उसके सहायतार्थ तत्काल आ सकते हैं। मगर पता नहीं किसके हक में सरकार ने यह फैसला किया है कि ऐसी बात वह नहीं करेगी।

मैं इसी सम्बन्ध में यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार जब इन इन्दराजों की दुरुस्ती करने की बात सोचे तो निश्चित रूप में सरकार के सामने नक्शा साफ होना चाहिये। सही माने में जो सताये हुये हैं, जो जमीन को जोतने वाले हैं, अगर उनके हक की हिफाजत ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, तत्परता के साथ और निष्ठा के साथ करनी है तो इन मांगों के मानने में क्या एतराज है ? क्यों इसमें एतराज होना चाहिये और भूस्वामियों के अधिकारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये उनके खेतों का पूरा इंतखाब उनको भी क्यों न दिया जाय ? हमारी मांग है कि लेखपाल को यह हिदायत की जानी चाहिये कि जिन-जिन के नाम पर जो जमीन दर्ज है उसका इन्तखाब सालाना उनके पास जरूर जाय। अगर सालाना उनके पास इन्तखाब जायगा तो निश्चित बात है कि वह देख लेगा कि हम किस जमीन पर काबिज लिखे गये ह। किस जमीन को हमसे निकाला जा रहा है, अनेक प्रकार की साजिश और तिड़कम जो आज लेखपाल बड़े-बड़े लोगों, पुराने जमींदारों और ताल्लुकेदारों से मिल मिल कर कर रहे हैं उससे कुछ राहत मिलेगी छोटे छोटे किसानों को। इसलिये यह एक अहम प्रस्ताव है और आवश्यक प्रस्ताव है।

आज श्रीमन्, दौरे हो रहे हैं। जाड़े का मौसम है। इस जाड़े के मौसम में तहसीलदार भी जाता है, परगना हाकिम भी जाता है, कलेक्टर भी जाता है, ये तमाम अधिकारी देहातों में जा जाकर जाड़े का दौरा करते हैं। उस समय यह सब मामले आते हैं। अगर आज सदन यह प्रस्ताव पास करता है और सरकार की ओर से तत्काल यह हिदायत जाती है, तमाम सरकारी कर्मचारी इस बात को समझ लेते हैं कि अब निश्चित रूप में जिनके कब्जे में जमीन है उनकी सूची देनी है तो कम से कम इस साल से यह काम साफ हो जायगा। इसलिये किसी भी कारण से मैं यह नहीं समझता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को न माने। सरकार को इस प्रस्ताव को मानना ही चाहिये। यह प्रस्ताव बिलकुल निर्दोष है। प्रस्ताव केवल किसानों के हक की सुरक्षा चाहता है, यह न तो किसी के हक का अपहरण करना चाहता है और न किसी का अधिकार छीनना चाहता है। यह प्रस्ताव न्याय के लिये, हक के लिये, अधिकार के लिये है जो अधिकार कि कानूनन संविधान के अनुसार हमको हासिल होना चाहिये, उसी की सुरक्षा के लिये यह प्रस्ताव यहां पर आया है कि जो भूस्वामी हैं उनके नाम इन्दराज हो, उनको उसकी सूची मिले, गांव सभा में उस इन्दराज की सूची हो, बाकायदा गांव सभा में वह इन्दराज टांगे जायं ताकि लोगों को

[श्री राजनारायण]

मालूम हो कि कौन किस जमीन पर काबिज है। मैं सरकार के ऊपर दोष लगाना चाहता हूं, हमारा एक आरोप है कि अगर यह सरकार इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करती,

(इस समय १ बजकर ३ मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

तो अगर मैं यह कहूं कि यह सरकार एक हाथ से जिस अधिकार, को पुराने ताल्लुकेदारों और पुराने सरमायादारों से कानून के जरिये छीनने की बात करती है वहीं दूसरे हाथ से उन्हीं के हाथों में पुनः यह अधिकार दे रही है, तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं होगी क्योंकि अगर यह प्रस्ताव नहीं माना जाता ह तो निश्चित रूप से छोटे-छोटे गरीब जमीन को जोतकर के भरण-पोषण करने वालों की हत्या हो रही है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिये मैं आग्रह के साथ, जोर के साथ आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को माने। मुझे अफसोस है कि श्री रामचन्द्र जी विकल के द्वारा यह संकल्प आ गया है। इसमें सभी चालों को नहीं चलना चाहिये। कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकार, अगर सरकारी पक्ष के सदस्य के जरिये से कोई प्रस्ताव आता है, उसको वापस करा लेती है। कह देती है कि यह मामला हो जायगा इसको वापस ले लो। मगर मैं पुनः निवेदन करूंगा कि सरकार को यह मान लेना चाहिये। यह प्रस्ताव आया तो इस पर विचार हो चुका है और बहस भी हो चुकी है। इस पर अब अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं है। दूसरे प्रस्ताव लाने का समय भी आ जायगा और हम आगे विचार कर सकेंगे। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर सरकार सरमायादारों से गठबंधन नहीं किये है, भूतपूर्व जमींदारों से गठबंधन नहीं किये हुये है और बड़े जमींदारों से गठबंधन नहीं किये हुये है तो न्याय उन किसानों को देना चाहिये जो मेहनत करके अन्न पैदा करते हैं उनके लिये इस सरकार को यह संकल्प मान लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूगा कि सरकार इस संकल्प को स्वीकार करे।

श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, यह जो प्रस्ताव आया है यह बहुत आवश्यक है, अगर यह प्रस्ताव पास हो जाय तो गांव में शांति हो जाय, क्योंकि किसानों को यह मालूम हो जायगा कि उसके पास कितने नम्बर हैं, कितना रकबा है और उस पर किसी काश्तकार का नाम काबिज तो नहीं लिखा हुआ है। ऐसी हालत में यह जरूरी है कि उसको इन्तखाब दे दिया जाय। पांच वर्ष या साल भर के बाद एक दफा उसको फिर अवसर दिया जाय कि उसमें किसी तरमीम की आवश्यकता तो नहीं है। उससे उसका बड़ा इत्मिनान हो जायगा। यदि वह कहीं इन्तखाब देना चाहे या जमानत के लिये पेश करना चाहे तो वह उसके लिये अपना इंतखाब दिखा सके। तब वह बतला सकता है कि उसके पास इतना खेत है और उसकी इतनी मालगुजारी है। इसलिये उसके इंतखाब देना चाहिये।

साथ ही साथ अगर गांवों में खसरा और खतौनी गांव सभा को दे दिया जाय तो गांव वालों को यह मालूम हो जायगा कि कहां पर बंजर भूमि है, कहां पर गांव में क्या हिसाब-किताब है और कहां पर परती है। यह बातें गांव में बैठकर ही मालूम हो सकती हैं। इसलिये अगर खसरा और खतौनी गांव सभा को दे दिया जाय तो उससे बड़ी आसानी गांव वालों को हो सकती है और इससे बहुत बड़ा झंझट समाप्त हो जायगा। आजकल कब्जे के लिये बड़ा झगड़ा होता है। वह सब मिट जायगा। मान लीजिये कि घुरहू का असली खेत है और उसने अपना ऊख उस पर लगा लिया और कब्जा लिखा हुआ है निरहू का तो निरहू उस खेत को जाकर काट लेता है। जब यह झगड़ा थानेदार के पास जाता है तो वह थानेदार कहता है कि कोई सबूत है तुम्हारा कि तुमने इस ऊख को क्यों काटा तो वह अपना कब्जा जो कागज में दर्ज रहता है उसको दिखा देता है। तब वह थाने दार भी कह देता है कि इसका कब्जा लिखा हुआ है और इसको काटने दो। इस तरह बहुत से मामले गांवों में हुआ करते हैं। अगर यह कब्जे का झंझट खत्म हो जाय तो इससे बहुत शान्ति गांव में हो जायगी। खेत किसी का है और मालिक कोई है, लेकिन काबिज लिखे रहने के कारण उसको दूसरा काट लेता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर इन्तखाब दे

दिया जाय और गांव सभा के पास खसरा और खतौनी की नकल पहुंच जाय तो इससे गांवों में बहुत बड़ा झगड़ा बन्द हो जायगा और झंझट दूर हो जायगा । बस यही हमारा कहना था और हम चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को पास किया जाय ।

*श्री दुर्योधनप्रसाद (जिला गोरखपुर)--माननीय विकल जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है वह बहुत आवश्यक प्रस्ताव है क्योंकि गांवों में ८० फीसदी जनता बसती है और उनका ज्यादा संबंध खेती से है, यदि खेती संबंधी भू-अभिलेख दुरुस्त कर दिये जायं तो मेरी ऐसी राय है कि उनकी ८० फसदी तकलीफें दूर हो जायंगी क्योंकि किसानों की गुजर-बसर खेती से होती है और सरकार स्वयं ही कबूल कर चुकी है कि खेती संबंधी इंदराज में ७५ फीसदी गलतियां हैं । अगर यह इंदराज की गलतियां दुरुस्त कर दी जायं तो इस से मुल्क की पैदावार भी बढ़ सकती है क्योंकि इस के कारण किसान अपनी खेती-बारी के काम को अच्छी प्रकार से कर नहीं पाता है और इनकी वजह से अदालतों में दौड़ना पड़ता है और उसके पास जो बाकी खेत आदि रहते हैं वह भी इस लड़ाई-झगड़े में बिक जाते हैं इन के कारण किसान बहुत परेशान रहता है । उसकी तकलीफ का वारापार नहीं है । इसलिये मैं चाहूंगा कि खसरे के खाने में जो कैफियत लिखी जाती है उसे तत्काल बंद कर दिया जाय । यदि यह सरकार चाहती है कि देश की गल्ले की समस्या हल हो, मुल्क से गरीबी दूर हो और बेकारी की समस्या हल हो तो उसे खसरे के खाने में काबिज लिखने की प्रथा को तुरन्त ही बंद करवा देना चाहिये । अब हमारे प्रदेश में हदबंदी हो चुकी है और इस कारण जो जमीन किसानों को मिलने वाली है वह मिल जायगी । इसलिये इस हालत में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार भी हो किसानों को सुविधा दी जाय ताकि वे मुकद्दमेबाजी आदि के चक्कर में न पड़ें और उन की दशा में सुधार हो सके । इन शब्दों के साथ मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि वे भू-अभिलेखों को दुरुस्त करवाने की कृपा करें ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं माननीय रामचन्द्र विकल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जो विचार माननीय विकल जी ने इस प्रस्ताव के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, सरकार अगर उन्हें उन्हीं शब्दों में मानने के लिये तैयार न हो तो उनमें कुछ हेर-फेर करके, जहां तक उसकी भावना का संबंध है, उसे सरकार मान ले तो ज्यादा अच्छा होगा । आज कागजों में बड़ी ही गड़बड़ियां हैं । खेत पर कब्जा किसी का है, लगान कोई दे रहा है और कागजों में नाम किसी दूसरे का लिखा हुआ है । इस तरह की काफी गड़बड़ियां हैं और खास कर हमारे जौनपुर जिले में, जहां कहा जाता है कि १८८० ईसवीं में बन्दोबस्त हुआ था । इसके बाद वहां बराबर इस तरह की गड़बड़ी कागजों में चल रही है और लेखपालों को जो अधिकार दिया गया है खसरे के खाने में काबिज लिखने का उसमें वह बड़ी गड़बड़ी करते हैं । अभी हाल ही में मेरे क्षेत्र शाहगंज में पिलकिक्षा एक गांव है वहां इस कैफियत के खाने की वजह से ही बड़ा झगड़ा हुआ । वहां के पहले जो, असल काश्तकार थे वे सीरदार बन गये और सीरदार बनने के बाद असल काश्तकारों ने लेखपाल से मिल कर कैफियत के खाने में फिर अपना नाम काबिज में लिखा दिया और एक-एक साल, दो-दो साल लिखा करके फिर उन लोगों को जो पहले सीरदार हो चुके हैं, उन लोगों को जिनके कब्जे में वे खेत थे उन्होंने जब बोना शुरू किया तो धमकी दी कि अगर तुम वह खेत बोओगे तो हम १४५ दफा में तुम्हारी फसल कुर्क करा देंगे । तो इस तरह से जो अधिकार लेखपालों को मिला हुआ है उसका वे दुरुपयोग करते हैं । मेरे जिले की बात है कि वहां पर एक तहसील में एक लेखपाल ने एक काश्तकार से पहले ६०० रुपये उसके इन्तखाब के लिए ले लिये और फिर उसके बाद उसने दूसरे काश्तकार से ५०० रुपये ले लिये और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उसका इन्तखाब दे दिया । वह लेखपाल इस समय मुअत्तल है और उसकी जांच भी हो रही है । तो कैफियत के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माताप्रसाद]

खाने का जो अधिकार लेखपालों को मिला हुआ है उसका वे दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका कारण भी है। वह यह है कि उनके पास काम इतना अधिक रहता है कि वे कर ही नहीं पाते और कई लेखपालों को तो मैंने देखा है कि वे अपने काम के लिये एक-एक आदमी रखे हुये हैं और उनसे अपना काम कराते हैं। जहां तक पड़ताल करने का सवाल है, वह भी ठीक से नहीं होती। वह क्या करते हैं, किसी दिन एक जगह एक दो घंटे को बैठ गये और सब जगह की पड़ताल कर डाली। तो सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिय कि लेखपाल अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। इसलिये मैं समझता हूं कि विकल जी का जो प्रस्ताव है वह बहुत उचित है और इसे सरकार को मान लेना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--मेरे पास श्री रामलखन मिश्र जी का एक संशोधन आया है जो इस प्रकार है--

दूसरी पंक्ति के शब्द "के लिये" के बाद के शब्द "उनके क्षेत्र.....लिखने के" तक निकाल दिये जायं तथा

४थी पंक्ति के शब्द "समाप्त" के बाद के सारे शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "करने पर सरकार विचार करे" रख दिये जायं।

अगर सदन को इस संशोधन को लेने में अपत्ति न हो तो यह लिया जा सकता है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--मैं इसका विरोध करता हूं, यह संशोधन नहीं आना चाहिये।

श्री राजनारायण--सरकार तो उस पर विचार कर ही रही है। इस तरह का प्रस्ताव जब आता है तो क्या सरकार उस पर विचार नहीं करती? वह विचार तो करती ही है। इसलिये इस संशोधन को लाने की क्या जरूरत? यहां सदन में यह सरकार कर चुकी है कि जो काबिज है हम उनके हकों को सुरक्षित रखना चाहते ह। इसलिये यह संशोधन नहीं आना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--यह जो हमारा नियम ९८ है, उसके अनुसार चूंकि एक माननीय सदस्य को इस संशोधन पर आपत्ति है, इसलिये मैं इसे अस्वीकृत करती हूं। यह पेश नहीं किया जा सकता।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)--अधिष्ठात्री महोदया, माननीय विकल जी ने जो प्रस्ताव रखा है जिसका हमारे अधिकतर साथियों ने समर्थन किया है, वह वास्तव में प्रदेश के काश्तकारों की स्थिति को देखते हुये बहुत ही आवश्यक है। अब तक जो भी हमारे माल मंत्री रहे हैं वे बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि लेखपालों को कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं, किन्तु सत्य यह है कि लेखपालों को जो अधिकार मिले हैं उनका वे आज दुरुपयोग कर रहे हैं और जो लोग बे पढ़े-लिखे हैं उनकी बेबसी को देख अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेखपाल के अधिकारों को किसान जानते नहीं कि क्या हैं और उसका लेखपाल कैसे दुरुपयोग करते हैं, कारण यह कि उनका साथ ऊपर तक की नौकरशाही देती है। मैंने स्वयं देखा है कि गांव के प्रभावशाली लोगों ने अपना नाम खेतों में दर्ज करा लिया और अपना हल तक खेतों में नहीं ले जाते तथा अपने को काबिज दिखाना चाहते हैं। दो-चार साल कब्जा लिखे जाने के बाद १४५ में खेतों की कुर्की करके गरीब किसान की कमजोरी और गरीबी का फायदा उठाते हैं जो मुकदमा भी नहीं लड़ सकता। इसलिये जो प्रस्ताव आया है कि प्रत्येक किसान, चाहे छोटा हो या बड़ा, यह समझ सके कि मेरी इतनी जमीन है, मैं इतनी जमीन का मालिक हूं और इतनी जमीन झंझट की है जिसके लिये अदालत में जाकर फैसला करा सकता हूं, इस प्रस्ताव के पास करने से चाहे सरकार रेवेन्यू ऐक्ट में अमेंडमेंट करके लाये, सरकार को बाध्य होना चाहिये

कि तुरन्त लेखपाल या कलेक्टर को आदेश दे कि कागज में एकदम दुरुस्ती करके प्रत्येक छोटे बड़े किसान को उनके इन्तखाब पहुंचाये जायं । इससे काश्तकार लेखपाल के पंजे से बच सकेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी ।

आज से नहीं, हमेशा से बड़े आदमी छोटे आदमियों को जिस तरह से परेशान करते चले आये उसी तरह से आज भी पढ़े-लिखे चालाक काश्तकार लेखपालों को बस में करके, प्रधानों से मिल करके जो कि अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, उन छोटे काश्तकारों की हक-तलफी करते हैं जो बेचारे यह भी नहीं जानते कि वास्तव में हमारे क्या अधिकार हैं । इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस आवश्यक प्रस्ताव को जो देखने में बहुत छोटा है लेकिन इसका असर प्रदेश की ७२ प्रतिशत उस जनता पर पड़ेगा जो कि काश्तकारी से संबंधित है, सदन इस पर गंभीरता से विचार कर सर्वसम्मति से पास करे ।

श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं श्री विकल जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह प्रस्ताव साधारण सा है, लेकिन इतना जरूरी है कि इसके बिना देहातों के किसानों की दुर्दशा हो रही है । यद्यपि पटवारी के अख्तियारों के मुकाबले में लेखपाल के अख्तियार कम हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल पटवारियों से अधिक लेखपाल करते हैं और नतीजा यह होता है कि भोला-भाला किसान हर वक्त परेशानी में रहता है । कभी-कभी उसकी जमीन पर लेखपाल अपनी मरजी से किसी दूसरे काश्तकार का नाम जोड़ देता है और मुकदमेबाजी बढ़ती है । अगर यह विकल जी का प्रस्ताव मान लिया जाय और जमीन का इन्तखाब काश्तकार को दे दिया जाय तो जिन जिलों में चकबन्दी चल रही है जिसमें हजारों गलतियां मिलती हैं वह सारी की सारी सही हो जायंगी । एक तरह से चकबंदी की भूमिका शुरू हो जायगी अगर इस प्रस्ताव पर अमल कर लिया जाय । इसलिये इस साधारण से और मासूम प्रस्ताव को गवर्नमेंट मान लेगी तो किसानों की बहुत बड़ी मुसीबत दूर हो जायगी ।

आज किसान को पता नहीं लगता और उसकी जमीन पर बिना उसे बताये दो या अधिक काबिजों का नाम लिख दिया जाता है और वह परेशान हो जाता है, मुकदमेबाजी शुरू होती है और जिस आदमी का नाम लेखपाल जोड़ देता है वह गासिब के तौर पर उस पर अमल करने लगता है और कभी-कभी तो मजबूर करता है उस असली किसान को इस बात के लिये कि जिस खेत पर उसका नाम चढ़ा हुआ है उसकी आध-बटाई कर ले और इस तरह से वह बंदर-बांट करता है । तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने से एक तरह से किसान की परवरिश होगी और मैं समझता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और न कोई हानि ही होती है बल्कि दूसरी तरफ यह चकबन्दी में सहायक होगा । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माल मंत्री जी इस साधारण से प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे ।

***श्री बालकराम** (जिला शाहजहांपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं रामचन्द्र जी विकल के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले तो मैं बिकल जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह ऐसा न करें जैसा कि इधर तीन-चार साल में देखा गया है कि सरकारी पक्ष की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव आता है तो वह पेश होने के बाद वापस ले लिया जाता है । अगर उन्होंने वापस ले लिया तो यह समझ लीजिये कि दो तीन रोज की बहस सब बेकार जायगी, सब पैसा बेकार जायगा और काश्तकारों का बड़ा नुकसान होगा ।

अब देखना यह है कि इस प्रस्ताव से किसानों को और सरकार को क्या फायदा होता है । आम तौर पर यह देखा गया है कि लेखपाल जब जिन्सवार भरने के लिये जाता है गांव में तो वह गांव के किसी एक बड़े आदमी के यहां, सभापति या पुराने रईस के घर पर जाकर बैठ जाता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बालकराम]

है और वहां पर बैठ-बैठे पूरे गांव की जिन्सवार भर लेता है। उस आदमी ने जैसा मन चाहा बता दिया और लेखपाल ने वैसे ही भर दिया। यह मैं इसलिये बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी करीब दो-तीन साल सन् १९२८, १९३० से पहले पटवारगीरी की है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पटवारी, लेखपाल किस ढंग से काम करते हैं। अगर यह प्रस्ताव पास हो जायगा तो लेखपाल जो धांधली करते हैं वह नहीं हो पायेगी। हालांकि इस समय भी सरकार की तरफ से एक आर्डर है कि अगर एक आदमी किसी दूसरे काश्तकार के खेत पर काबिज है तो लेखपाल को चाहिये कि वह एक पर्चा उस असली काश्तकार को दे कि तुम्हारे फलां नम्बर पर फलां काश्तकार काबिज है और एक पर्चा उस काश्तकार को जो कि काबिज है उसको भी दे और एक कानूनगो को दे, लेकिन इस पर अमल कतई नहीं होता है। और अमल न होने से नतीजा यह होता है कि गरीब काश्तकार जो दूसरे बड़े-बड़े काश्तकारों के खेतों पर काबिज हैं वह बेचारे मारे जाते हैं। वह चार, छः साल से उस पर काश्त कर रहे हैं, लेकिन वह काबिज नहीं लिखे जाते इसलिये वे बेचारे मारे जाते हैं। मुकदमा इसलिये चलता है कि वह सोचते हैं कि हम तो कई साल से काबिज हैं, हम जीत जायेंगे। साल दो साल तक उनका मुकदमा चलता है जिसका नतीजा यह होता है कि उसके पास जो थोड़े बहुत और खेत होते हैं वह पैरवी में बिक जाते हैं और वह और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। ऐसी सूरत में अगर यह प्रस्ताव पास हो जाय और लेखपालों को यह हुक्म हो जाय कि वह इस प्रस्ताव के मुताबिक काम करें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा।

मैं तो इस प्रस्ताव के साथ ही साथ एक और भी बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि लेखपाल लोग कागज में जो कुछ भी उलटा-सीधा लिख देते हैं उसके खिलाफ अगर अदालत में कोई मुकदमा कामियाब हो जाय तो भी उस लेखपाल का कुछ नहीं होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से गलत लिखने वाले लेखपाल को कुछ न कुछ सजा जरूर मिलनी चाहिये ताकि आइन्दा वह वैसी गलती न करे, लेकिन आज तो उससे पूछा तक नहीं जाता कि तुमने गलत क्यों लिखा। तो ऐसी सूरत में अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो किसानों का बहुत ज्यादा फायदा होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि अभी हमारे माननीय नेता श्री राजनारायण जी ने कहा था कि एम० एल० ए० लोगों को इत्तला दी जाया करे जब तहसीलदार, हाकिम परगना या कलेक्टर वगैरह दौरा किया करें, लेकिन उस पर कुछ अमल नहीं होता है। एम० एल० ए० लोगों को कहीं खबर नहीं होती है। यदि इत्तला दी जाय तो बहुत कुछ मुमकिन हो सकता है। आजकल सेशन के जमाने में तो दूसरी बात है, लेकिन जब हम लोग घरों पर होते हैं हमारे पास इत्तला पहुंच सकती है। लेकिन उस समय भी हमें पता नहीं चलता है कि तहसीलदार और हाकिम परगना कहां है। आखिर हम लोग भी तो दौरा करते हैं और तहसीलदार और हाकिम परगना जहां दौरा कर रहे हों वहां हम भी जाकर देख सकते हैं कि वे लेखपालों की किस प्रकार से गलतियां पकड़ते हैं। अगर वे इत्तला भेजते भी हैं तो उस समय भेजते हैं कि जब दौरा खत्म ही होने को होता है और केवल एक दो दिन ही बाकी रह जाते हैं और हमारा प्रोग्राम कहीं दूसरी जगह का लगा होता है। अगर पहले से इत्तला मिल जाय तो हम भी वहां पहुंच सकते हैं।

मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के मुताबिक गांव सभा के सभापति के पास खसरा, खतौनी की नकल भेजी जानी चाहिये ताकि अगर लेखपाल कहीं गलती करता है, सभापति संबंधित काश्तकार को बुला कर पूछ ले और जब दूसरी बार लेखपाल वहां आये उसको दुरुस्त करा दे। इससे बहुत कुछ फायदा हो सकता है। अगर इस प्रस्ताव के मुताबिक काम होने लगे तो चकबंदी के समय जो दुरुस्ती कागजात का काम ४–६ महीने तक चलता है, उसकी जरूरत ही न पड़े, सारा काम एक दिन में ही खत्म हो जाय। क्योंकि कागजात तो पहले से ही दुरुस्त हो जायेंगे। ४–६ महीने की दुरुस्ती तो जरा-सी देर में हो सकती है।

ऐसी सूरत में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को जरूर मंजूर कर ले। इससे सरकार का भी भला होगा और काश्तकारों का भी भला होगा। काश्तकारों के दिलों में भी नयी सरकार के लिये गुंजायश हो जायगी कि नयी सरकार ने हमारा कुछ भला किया है। मैं दुबारा प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव को अवश्य मंजूर कर लिया जाय।

*श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—अधिष्ठात्री महोदया यह प्रस्ताव जो सदन में प्रस्तुत है, वह इतना मौलिक और उपयोगी है कि उस पर राज्य सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये। सिद्धान्त रूप से सरकार ने इस बात को माना था और संसार मानता है कि टिलर आफ दि स्वायल ही भू-स्वामी होना चाहिये। इसमें यह बात छिपी हुई है कि पहले लोगों के पास बहुत बड़ी-बड़ी जमीनें थीं, लेकिन इस बीच सीलिंग आदि के द्वारा जो कदम उठाये गये हैं उनके कारण बड़ी बड़ी जोतें रह नहीं गयी हैं इसलिये अधिक लगान पर दूसरों को ज़मीन देकर शोषण की बात अब रह नहीं गयी है। उसकी सम्भावना नहीं है।

आज १२ साल बीतने पर भी हम अन्न के मामले में परावलंबी हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में ज़मीन बहुत कम है और पूर्वी इलाके में तो और भी कम है। किसानों को ज़मीन की भूख है। उसका बहुत-सा समय मुकदमेबाजी में चला जाता है, उसका निश्चित रूप से यह नतीजा होता है कि किसान निश्चित रूप से यह जान नहीं पाता है कि ज़मीन उसके पास रहेगी या नहीं रहेगी। उसका उत्पादन बढ़ाने की तरफ आपका ध्यान बिलकुल नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उस जमीन को मुकदमेबाजी से हटा कर कृषि के विकास में लगावें, लेकिन आज होता क्या है? अदालतों में चले जाइये, वहां जिस तरह की लूट है उस के लिये क्या कहा जाय। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि किसानों को कृषि के कार्य में लगाया जाय तो उसे इन लुटेरे तथा दूसरे इस तरह के लोगों से बचाइये। तभी जमीन का भी हल निकल सकता है और उत्पादन भी बढ़ सकता है। मान लीजिये मेरे पास एक ही बीघा खेत है। उससे सारे परिवार का भरण-पोषण नहीं होता है, इच्छा होती है कि कोलियरी में चले जायं, लेकिन इस डर से नहीं जाते हैं कि मुझ से जमीन हट जायगी। इस तरह से फर्जी इन्दराज को कम करने के लिये भी यह आवश्यक है कि किसानों को सबलेटिंग का हक दिया जाय।

अगर उसके पास ४, ५ साल तक जमीन रखने का हक हो तो उसमें उत्पादन बढ़ाने की तरफ ध्यान दे सकता है। बड़े किसान भी जमीन को काफी तादाद में घेरे हुये हैं जिसमें वे उत्पादन नहीं बढ़ा पाते हैं। अगर सबलेटिंग का हक हो जाय तो बड़ों के पास जमीन जाने से रुक जायगी और इस तरह से उत्पादन भी बढ़ सकेगा। गांवों में बहुत से ऐसे भी किसान हैं जिनके बच्चे मटर की छीमी के लिये तरसते हैं। अगर उनके पास सबलेट की हुई जमीन होती तो ऐसी बात नहीं होती। इस तरह से जो यह राष्ट्रीय लूट हो रही है उसको रोकना चाहिये। जो भी सिद्धान्त हो वह व्यावहारिक होना चाहिये। यदि केवल टिलर आफ दि स्वायल वाली बात पर हम अड़े रहेंगे तो अन्न के मामले में हमारा दिवालियापन ही साबित होगा और खाने की समस्या भी हल नहीं हो सकेगी। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि चाहे आप ४०, ६०, ८० एकड़ की सीमा को भले ही घटा दें, इसमें हम कोई बाधा नहीं डालते, लेकिन सबलेटिंग का अख्तियार अवश्य देना चाहिये ताकि किसानों के दिमाग में कुछ शान्ति और सकून तो हो। जब कानून में एक स्थायित्व आयेगा तभी उत्पादन बढ़ सकेगा। फैक्टरियों में उत्पादन भी इसी से बढ़ सकता है।

विकल जी ने यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें मोटे तौर पर मैंने एक उसकी झलक पायी, लेकिन मुझे आशा है कि जो कुछ बातें मैंने यहां प्रस्तुत की हैं उन पर राजस्व मंत्री जी विचार करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---सब-लेटिंग का कौन सा मामला है, मैं समझा नहीं।

श्री रामजी सहाय---सब लेटिंग का आशय यह है कि आप चूंकि अन्न की समस्या हल करना चाहते हैं तो उसके लिये आवश्यक है कि ऐसी जमीन जिसमें वह स्वयं खेती न करता हो वह दूसरे को खेती करने के लिये दे दे। मेरा आशय यही है कि किसान जो है जमीन का उत्पादन बढ़ावे और वह जमीन को बेकार न रखे। अगर जमीन बेकार रखी जाती है तो हमेशा अन्न के मामले में हम अमेरिका तथा दूसरे मुल्कों के---परमुखापेक्षी बने रहेंगे और इस समस्या को हल नहीं कर पावेंगे। इसलिये सरकार की तरफ से एक विधेयक ऐसा लाया जाय ताकि करोड़ों-अरबों रुपया जो अन्न के लिये बाहर जाता है उसे बचा कर विकास के कार्यों में लगाया जा सके। आज हालत यह है कि मुकदमेबाज लुटेरों के चक्कर में पड़ कर किसान दरिद्र हो जाता है। तो अगर आप सब चीजों का विकास चाहते हैं तो किसान जो सचमुच में हमारे उत्पादन की रीढ़ है वह १२ घंटे तक खाली पेट रह कर औद्योगिक विकास का काम नहीं कर सकता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जमीन के बारे में इस तरह का कानून बनाया जाय जिससे उत्पादन बढ़े तथा किसान जो तमाम लिटिगेशन की वजह से तबाह हो जाता है उससे उसे फुर्सत मिले। यही मेरा अनुरोध है।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अधिष्ठात्री महोदया, मैंने इस संकल्प को देखा और मुझे खुशी है कि जैसा मैं विकल जी के बारे में सुनता था, इन माने में उनके अन्दर व्याकुलता है। लेकिन अगर कहीं उन्होंने इस संकल्प को बाद में चल कर वापस कर लिया तो "विकल" जो इनका उपनाम है, वह इनके नाम से गायब होना चाहिये।

अगर इस संकल्प को देखा जाय तो इस के ३ भाग हैं। पहला भाग तो यह है कि किसानों को उनके खेतों का पूरा इन्तखाब दिया जाय, उसका दूसरा भाग यह है कि लेखपालों का जो खसरे के कैफियत के खाने में 'काबिज' लिखने का अधिकार है उसे समाप्त किया जाय और उसका तीसरा भाग यह है कि अगर किसी को काबिज लिखा जाय तो भू-स्वामी और गांव सभा की रजामन्दी लाजमी तौर से ली जानी चाहिये। यह सही है कि संकल्प के पहले भाग में जैसा कि माननीय विकल जी चाहते हैं वह एक उचित सुझाव है और सरकार को इसे मान लेना चाहिये और मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिये। सरकार भी चाहती है कि गांव के झगड़े समाप्त हों और जो वाकई भूमि का जोतने वाला है उसी को जमीन मिले।

मंत्री जी कहते हैं कि जब कभी भूमि में कब्जे का परिवर्तन होता है तो आज भी इंतखाब दिया जाता है और ५ नकलें उस की बनाई जाती हैं, एक जिसका नया कब्जा होता है उस को दी जाती है, एक जिसका कब्जा छूटता है उसको दी जाती है, एक गांव सभा के सभापति को, एक तहसीलदार को और एक वह स्वयं अपने पास रखता है। लेकिन वास्तव में गांव में आज ऐसी चीज कार्यान्वित नहीं हो रही है। मैंने इस सम्बन्ध में बहुत से पटवारियों से पूछा---वह यह हिकमत करते हैं कि गांव सभापति को मिलाकर उससे दस्तखत ले लेते हैं और जिस का कब्जा छूटने वाला होता है उसको भी इत्तला नहीं देते और जिसका कब्जा होने वाला होता है उसको भी नहीं देते और उससे पैसा ऐंठना चाहते हैं। इस तरह से जो कानून इस वक्त है वह लागू नहीं हो पाता। हमारा कानून ऐसा न होना चाहिये कि जिससे भ्रष्टाचार को परिश्रय मिले या गलती से उसके लागू होने पर किसान में असन्तोष फैले। अगर किसानों को इन्तखाब दिया जाता है तो इस से सरकार को परेशानी न होगी बल्कि उससे गांव की जमीन का पूरा हिसाब वहां के लोगों को मालूम हो जायगा और कोई चीज पटवारी किसी तरह से छिपा न सकेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्तखाब ऐसे न दिये जायं कि खाली गांव सभा के सभापति के दस्तखत करा लिये और इन्तखाब नहीं दिये गये। होना यह चाहिये कि अगर पुराना काबिज या नया काबिज न मिले तो उस के भाई-बन्द, पुत्र, स्त्री जो मिले उसको वह दिया जाय, उसके घर के आदमी के दस्तखत कराये जायं। अगर ऐसा न कराया जायगा तो कानून कभी भी ठीक तरह से कार्यान्वित न हो सकेगा। कभी-कभी तो आदरणीय सदन में भी ऐसा होता है कि जो काम करना नहीं चाहते उसके लिये कुछ न कुछ बहाना हो जाता है जैसे अभी हाल में प्रस्ताव आया कि यह स्थगित करके दूसरा ले लिया जाय। जब राज्यपाल का सम्बोधन चल रहा था तो उस दिन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से शक्कर के ३२ रुपए के भाव को देखते हुए गन्ने का भाव २ रुपया करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव आया था, उस वक्त वह नहीं लिया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस को पहले लिया जाय, गन्ने की हड़ताल हो तो सोशलिस्ट पार्टी के नाम और जब खत्म हो जाय तो पूंजीपतियों से इनका मेल हो जाता है। जब यहां इस तरह का परिलक्षण है तो यही चीज वहां गांव में भी होती है।

श्री अरमनाथ (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस संकल्प का गन्ने के भाव से और हड़ताल से क्या सम्बन्ध है ?

श्री अधिष्ठाता—वह तो उदाहरण दे रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जब यहां सदन में ऐसी बातें होंगी तो प्रदेश के नीचे के कर्मचारी भी वही करेंगे। वहां भी इसी प्रकार से काम पटवारी करेंगे। मैं कह रहा था कि इन्तखाब देने में सरकार को दो लाभ हैं, एक तो गांव के अन्दर जो जमीन खाली पड़ी है, परती है, उसको पटवारी बंजर लिखेगा, कोई जमीन है १५–२० साल से कोई उसको जोते हैं, जब जी हुआ वह कह देता है कि तुमको बेदखल किया जाता है क्योंकि वह इतने दिन से खाली है। अब वह किसान बेचारा चकित हो जाता है कि इतने दिनों से इस पर हमारा कब्जा है,पता नहीं क्यों नहीं लिखता पटवारी। अगर इंतखाब दिया जाय तो उसे मालूम हो कि उसका इंदराज है या नहीं। ऐसे जो गलत इंदराजात चलते हैं, ऐसी भूमि जो हल के नीचे है, लेकिन उसके संबंध में कहीं कागजात में लिखित रूप में नहीं है, उसका भी हल हो जाएगा। भूमि व्यवस्था अधिनियम की दफ़ा २१२ में शायद यह भी है कि ऐसी भूमि पांच किस्म की ह, खलिहान हैं, श्मशान हैं, तालाब हैं, इनको अलग अलग लिखा जाय। ऐसा होता है कि इन नामों में इंदराजात नहीं होते। अगर इंतखाब देने की प्रथा अनिवार्य रूप से हो जाय तो वह लिखा जाएगा। इस वजह से अनिवार्य इंतखाब से चाहे थोड़ा समय अधिक लगे, लेकिन जो बहुत सी अव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा।

तीसरी बात, बहुत से दंगे वगैरह, वैसे कत्ल वगैरह तो होते रहते हैं, लेकिन दंगे खासतौर से कानून की खराबी से होते हैं। इसमें लिखा है कि जो काबिज हो जाय। उसमें झगड़े होते हैं। अगर यह प्रथा चल पड़ी तो वह झगड़े बन्द हो जाएंगे बहुत हद तक। इंतखाब जानने से जानकारी होगी लोगों को और उसमें एतराज हो सकता है। इसलिये भी इंतखाब मिलना जरूरी है।

पटवारी का जो काबिज दर्ज करने का हक है इसको समाप्त करने की बात है। सही है पटवारी एक ऐसा सेवक है जिसकी बहुत तनख्वाह नहीं है। तो वह बड़ों के कब्जे में आ सकता है। जो गरीब लोग हैं, थोड़ी भूमि वाले हैं, उनकी जमीन तो अक्सर किसी न किसी के कब्जे में लिख दी जाती है। जो बड़े-बड़े जमीन वाले हैं उनके हक में लिख दी जाती है। बड़े-बड़े लोग बटाई वगैरह पर दे देते हैं और साझीदार बता देते हैं, उनकी जमीन कभी काबिज नहीं लिखी जाती। नतीजा क्या होता है ? जो लोग सही माने में अपनी जमीन जोतते हैं उनका कब्जा नहीं लिखा जाता और गलत कब्जा लिख दिया जाता है।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

यह सही है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि सभापति तथा ग्राम पंचायत की स्वीकृति होगी तो गांव पंचायत में जो बड़े-बड़े लोग हो गये हैं लाभ वे उठा लेंगे। लेकिन यह भय बहुत मजबूत नहीं है। अब की मर्तबा गांव पंचायत के चुनाव में जो गांव के बड़े-बड़े जमीन वाले थे वे परास्त हुये हैं। गांव पंचायत को यह हक हो कि किसी के कब्जे के बारे में स्वीकृति या अस्वीकृति दें, अगर ऐसा हो जाय तो जो छोटा तबका है वह उठेगा। तो इससे राजनीतिक चेतना हमारी जो पहली इकाई है उसमें भी बढ़ेगी। इसलिये उनकी स्वीकृति हो, इस बात को हम रखें, ताकि छोटे-छोटे लोग जो आज गांव की राजनीति में नहीं हैं वे भी जागृत हों। साथ ही साथ उनमें एक बल होगा कि अपनी चीज़ सही तरीके से इंदराज होनी चाहिए और सही ढंग से काम होना चाहिये। अबकी चुनाव में ९०–९५ प्रतिशत लोगों ने भाग लिया है। यह एक जागृति का लक्षण है। अपने प्रदेश में जो ७ करोड़ जनता है उसमें बहुत छोटे जो लोग हैं उनमें भी इससे जागृति होगी क्योंकि गांव सभा का सम्बन्ध काबिज के संबंध में स्वीकृति देने से जमीन के बन्दोबस्त से हो जाएगा जो कि किसान के लिये प्रमुख चीज है। इस प्रकार से वह उनकी जागृति का कारण होगा। हमारा सबका उद्देश्य है कि गांव में जागृति आये और राजनीतिक चेतना आये। आज जो बड़े-बड़े भूमिधर लोग फायदा उठा रहे हैं, तो कम से कम जो पिछड़े हुए और हरिजन लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिलता है, तब वह चाहेंगे कि हम भी गांव पंचायत में आकर के सही काबिज लिखवावें और अपने अधिकार को प्राप्त करें।

अगर तीसरे दृष्टिकोण से देखा जाय तो भी बहुत जरूरी है। रही पटवारी को अधिकार देने की बात, इसलिये नहीं कि हम उस पर अविश्वास करते हैं बल्कि इसलिये कि उस कर्मचारी को हम मुसीबत में डालें क्यों? आखिर कब्जे का सवाल गांव के लोगों का प्रश्न है। किसी एक आदमी को धोखा हो सकता है। तो जब पंचायत बैठेगी जो गांव के लोगों के प्रति उत्तरदायी होगी, वह जब अपना मत प्रकट करेगी उसमें ज्यादा जोर होगा और अगर पटवारी करेगा तो उससे गलती हो सकती है, दबाव हो सकता है। इससे मुख्य लाभ यह भी है कि पटवारी या लेखपाल अक्सर प्रभावित रहते हैं बड़ी भूमि वालों से और आज प्रदेश में जो अन्न समस्या है उसका सब से बड़ा कारण यह है कि हमारा प्रदेश जो अनाज के उत्पादन में तरक्की नहीं कर पा रहा है उसका कारण है कि बहुत बड़ी बड़ी जोतें आज भी बटाई पर उठी हुई हैं, जबकि ऐसे लोगों का खेत पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। ऐसे ही लोगों के तहत में पटवारी रहता है। अगर लेखपाल को अधिकार नहीं रहता तो उनसे अधिकार खिसकेगा और टिलर आफ दी स्वायल गांव पंचायत के हकों पर भी जायंगे जिससे उनमें राजनीतिक चेतना आयेगी। अगर ऐसे लोग आगे आयेंगे तो देश में बड़ी भारी जागृति होगी। इसलिये हम चाहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि लेखपाल इंदराज करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें इन्साफ़ की अभी उम्मीद नहीं है और अन्ततोगत्वा वह गांव के लोगों के प्रति जिम्मेदार भी नहीं है, वह जिम्मेदार है तहसीलदार और कानूनगो को। गांव का प्रश्न गांव की सीमा पर ही हल होना चाहिये तभी सही माने में विकेन्द्रीकरण है। गांव के लोगों में पटवारी नहीं हैं। इसलिये लेखपाल या पटवारी के हाथ में यह अधिकार रखना कि जब चाहे काबिज़ लिखे यह बिल्कुल ग़लत है, असामयिक है, अमर्यादित भी है।

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि गांव के कितने पटवारी ऐसे हैं जो कि गांव में निवास करते हैं और जानते हैं कि कहां कौन काबिज है, यह वे नहीं जानते। कभी वह खेतों पर नहीं जाता है। इस वजह से लेखपाल किसी प्रकार से काबिज़ के बारे में सही मत दे ही नहीं सकता है। ऐसे आदमी से अगर हम कोशिश करते हैं कि वह लिखे किसका कब्जा है तो निश्चित रूप से हमारा कानून दोषी है इसलिये हमें ऐसे कानून को नहीं रखना चाहिये। सदन का निश्चित मत होना चाहिये और इस संकल्प को स्वीकार करना चाहिये। यह पूरा संकल्प इन दोषों को दूर कर सकता है।

मैं इसमें संशोधन नहीं भेज सका, लेकिन इसमें अगर यह जोड़ दिया जाता इंतखाब की नकल देते वक्त निजी आदमी के या उसके किसी घर वाले के दस्तखत अवश्य ले ले कि उसको इंतखाब दिया गया तो ठीक होता। अगर इसके यह तीनों नियम लागू होते हैं तो मुझे विश्वास है कि भूमि अभिलेखों के बारे में जो शिकायतें हैं वे बहुत हद तक दूर हो सकती हैं। गांव सभा की स्वीकृति के साथ-साथ अगर सरकार इसी सिलसिले में यह मान लेती है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उन बाधाओं का परिहार करने की आवश्यकता है। लिहाजा ऐसा कर ले कि ऐसा करने के बाद जो शिकायतें आवें उनके सम्बन्ध में सरकार शीघ्र से शीघ्र ऐसी कोई तात्कालिक कार्यवाही करे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के खेत के इंदराज सही स्थिति में आ जायं। साथ ही साथ एक बात यह भी होगी जहां ऐसी स्थिति आ जाय और सरकार को सही तरीके से पता चल जाय कि कितने गलत इन्दराजात सूबे में हैं तो सदन व सरकार दोनों इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कितनी बड़ी गड़बड़ हमारे प्रदेश में है। इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं, और आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तावक महोदय के भावों की प्रशंसा करता हूं और अपने मित्र विकल जी से यह विनय करता हूं कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। इस प्रस्ताव का जो गठन है वह इतना अमर्यादित ढंग से है कि वे भाव भाषा में निकल नहीं पाते। भाषा इसमें कई जगह पर ऐसी गड़बड़ है कि किसी कानून की किताब में लिखी ही नहीं जा सकती।

श्री अमरनाथ—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या कोई माननीय सदस्य एक ही प्रस्ताव पर दो बार बोल सकते हैं? जहां तक मुझे याद है माननीय सदस्य पहले भी बोल चुके हैं। मैं भी उस समय बोला था।

श्री अधिष्ठाता—क्या माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं?

श्री रामलखन मिश्र—मैं केवल वैधानिक दृष्टि से अपना दृष्टिकोण रखना चाहता था। कोई भाषण नहीं देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—आप जारी रखें।

श्री रामलखन मिश्र—मैं इसकी वैधानिकता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं इस प्रस्ताव का सही अर्थ में विरोध नहीं करता। लेकिन माननीय विकल जी का जो अभिप्राय है कि लेखपालों से काबिज के इन्दराज करने का अधिकार ले लिया जाय वह भाव भाषा में नहीं आ सका। वह कहते हैं कि खसरे के खाने कैफियत में लेखपालों को काबिज लिखने के अधिकार को समाप्त किया जाय इसका यह अर्थ है कि लेखपालों को परताल करने से वंचित कर दिया जाय। जहां तक कब्जे का प्रश्न है चाहे वह खसरा हो, चाहे खतौनी हो किसी भी कब्जे में न लिखने दिया जाय। अगर खसरे के खाना कैफियत में लेखपाल को इन्दराज करने से रोक दिया जाता है तो वह लैन्ड रेकार्ड मैनुअल के दूसरे कालम में लिख देगा। अगर यह लेखपाल को कब्जे के बारे में इन्दराज करने से रोकना चाहते हैं तो इस भाव को समष्टि रूप में लाना पड़ेगा।

दूसरे स्थायित्व प्रदान करने के लिये उनको इन्तखाब दिया जाय तो सीरदारी का या भूमिधारी का या किस बात का स्थायित्व प्रदान किया जाय, क्या उनका अभिप्राय है यह समझ में नहीं आता। उनका अभिप्राय है कि बिना किसी मूल्य के हरएक जोतदार को वह दे दिया जाय। यह तभी संभव है, जब हम लैन्ड रेकार्ड मैनुअल में लेखपाल की परताल को पूर्ण रूप से बन्द कर दें क्योंकि ऐसा नहीं करते तो एक वर्ष का इंतखाब दे देंगे, दूसरे वर्ष में कब्जे की शक्ल में वह आ

[श्री रामलखन मिश्र]

जायगा और वह इंतखाब बेकार हो जायगा। इसलिये जो मूल भाव वह है इसके अन्दर साकार नहीं होता। इसलिये इस तरह की अनिश्चितता पर कोई विचार ही नहीं हो सकता।

तीसरे यह कि काबिज का इन्दराज पटवारी लिखे तो भूस्वामियों और गांव सभावों से स्वीकृति ले ले। जिसके खेत पर कोई कब्जा लिखा हुआ होगा तो क्या वह लेखपाल को स्वीकृति देगा जिससे उसकी काश्तकारी का विनाश हो जाय ? गांव सभा की स्वीकृति लेने के लिये कोई वोटिंग होगी क्या ? इस तरह से भाव तो सुन्दर हैं और उनको अगर साकार रूप दे दिया जाय तो प्रदेश में जागरण हो जायगा क्योंकि प्रदेश इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि वास्तव में लेखपालों के अधिकारों को समाप्त करना चाहिये। बहुत से फौजदारी के मुकदमे होते हैं, लेकिन कुछ मर्यादा बांधनी पड़ेगी कि कोई किसान अगर मर जाय तो उन हालतों को छोड़ कर जिनमें कोई किसान मर गया हो, दूसरा काबिज हो, या ऐसे ही अन्य किस्म के बन्धन हमको बांधने पड़ेंगे और यह तभी सम्भव है कि जब हमारी सरकार अपने लीगल रेमेम्ब्रेन्सर से राय लेकर हमारे प्रदेश की इस मनोकांक्षा को शीघ्र से शीघ्र पूरा करे। यह हमारे प्रदेश की एक डिमांड है कि मर्यादित ढंग से ही उसको आज्ञा देनी चाहिये, सारे किसानों के ऊपर जहां चाहे काबिज का इन्दराज कर दे और झगड़ा पैदा कर दे, इसको बन्द करना चाहिये। जहां तक मुझे याद है माननीय चौधरी चरण सिंह जब माल मंत्री थे तो एक बार सारे जिलाधीशों को बुलाया गया था, उसमें उन्होंने मुझे भी बुलाया था और इस पर बड़ा विचार हुआ था। तो मैं अपने माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि जब विरोधी दल के लोग भी चाहते हैं और इस सदन के अधिकांश सदस्य चाहते हैं तो उन्हें चाहिये कि मर्यादित ढंग से इस आशय का संशोधन या विधेयक ले आयें जो प्रदेश के लिये मंगलकारी हो। लेकिन इस प्रस्ताव को इस रूप में तो स्वीकार करना ठीक नहीं है क्योंकि इसके अन्दर भाव तो ठीक है, लेकिन भाषा ठीक नहीं है। मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि हम और विकल जी एक ही राय के हैं और इसी आशय से मैंने एक संशोधन लाने का प्रयत्न किया था, लेकिन शीघ्रता के कारण सदन उस पर विचार नहीं कर सकता और नियम ९८ के अन्तर्गत वह अस्वीकार हो गया नहीं तो विकल जी उसे स्वीकार कर लेते। तो मैं अपने विषय को आगे न बढ़ा के झगड़ा अब समाप्त करता हूं और एक बार पुनः हृदय से प्रार्थना करूंगा कि माननीय विकल जी इस प्रस्ताव की भावना के ऊपर तो जितना भी चाहें कहें, लेकिन जो इसका स्वरूप बांधा गया है इसको वे प्रेस न करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमती जी, मैं विकल जी का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने यह प्रस्ताव ला कर मुझे अपने इधर और उधर के तमाम साथियों के विचार सुनने का मौका दिया। मैं इस बात को समझता हूं कि जो नियम पटवारियों के लिये रिमार्क के कालम में लिखने के हैं उनकी पूर्ति नहीं होती और यह सवाल हमेशा मुझे परेशान करता है। हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन चन्द वजूहात से अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले सके। मैं सदन के सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत शीघ्र एक महीने के अन्दर एक कमेटी बनायेंगे जिसमें आफिशियल्स और इस सदन के कुछ माननीय सदस्य जिनको इसमें दिलचस्पी है रहेंगे और इस सवाल पर हम विचार करेंगे कि कोई तरीका इसका निकल आये। अगर यह प्रस्ताव जिस ढंग से है उसको मान लिया जाता है तो इसमें एक तो यह है कि रिमार्क कालम में दर्ज न करे और फिर आगे है कि ग्राम सभा और मैन कंसर्न्ड की स्वीकृति से दर्ज करे। तो कौन दर्ज करे ? यह एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है। अगर हम प्रस्ताव को पूरा मान लेते हैं तो तीसरी पंक्ति में है कि "काबिज लिखने के लेखपाल के अधिकार को समाप्त किया जाय।" और आखिर में है कि "भू-स्वामी तथा गांव सभा की स्वीकृति अनिवार्य हो।" तो जब काबिज लिखने के अधिकार को समाप्त कर दिया जायगा तो फिर कौन करेगा ? इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। इसलिये हमारे लिये यह दिक्कत है। वैसे सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस मामले को इस ढंग से सुलझाया जाय कि जो शिकायतें हैं वह रफा हो जायं। हम आपकी भावना की कदर करते हैं और सभी चाहते हैं कि झगड़े तथा फसाद न हों। हम आपकी सहायता चाहते हैं और आप हमारी मदद करें ताकि हम ऐसा रास्ता निकाल सकें जिससे कि आपके उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

हम अपना फर्ज समझते हैं कि हम सदन के माननीय सदस्यों की भावना के मुताबिक अमल करें। लेकिन बाज वक्त कुछ दिक्कतें पड़ जाती हैं, कानूनी मसले आ जाते हैं, उनको भी हम और आप अगर समझ लें तो आसानी हो जायगी। लिहाजा मैं विकल जी से कहूंगा कि वह इसको प्रेस न करें। मैं एक कमेटी बनाऊंगा जिसमें विकल जी को भी रखूंगा और अन्य लोगों को रखूंगा। उसमें हम सब लोग हर पहलू पर विचार कर लें और जो निर्णय हो उसके मुताबिक अमल दरामद किया जाय। नहीं तो मेरा खयाल है कि अगर इंदराज का सब्सटीट्यूट नहीं मिलता है तो बड़ी गड़बड़ी होगी।

देवरिया के एक भाई ने कहा है कि सबलेटिंग की इजाजत दे दी जाय तो इसमें यह कहां है? वर्षों विचार करने के बाद तय किया गया कि सबलेटिंग बंद कर दिया जाय क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि काम कोई करता है और फायदा उसका दूसरा उठाता है। दूसरे की मेहनत का नाजायज फायदा उठाया जाता है। हम समझते हैं कि इसमें गलतफहमी भी है। वैसे प्रस्ताव बहुत अच्छा है, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं, लेकिन इसमें यह कहना कि सबलेटिंग की इजाजत दी जाय और उधर किसी दूसरे साहब ने दूसरी बात कह दी---मैं उसको दुहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि विवाद बढ़ेगा---इसलिये मैं समझता हूं कि हमें सोचने का मौका दिया जाय। हम कोई तरीका निकालना चाहते हैं और आपको हमारा विश्वास मानना चाहिये कि हमारी यह दिली ख्वाहिश है कि पटवारी के बदमाशी करने की गुंजायश न रहे। मुझे भी उनका तजुर्बा है और शिकायतें भी आती हैं, इसलिये हम नहीं चाहते हैं कि उनको गड़बड़ी करने का मौका दिया जाय। लेकिन हमें सोचने का मौका दिया जाय।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---कब तक कमेटी बना देंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---एक महीने के अन्दर, ऐसी सूरत में मैं आशा करता हूं कि विकल जी इसको वापस ले लेंगे।

***श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का, चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, जिन्होंने मेरे इस संकल्प का समर्थन किया, हार्दिक आभारी हूं। मैं उन सदस्यों का भी जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया, आभारी हूं। मुझे इस बात पर बड़ी प्रसन्नता है कि तीन दिन इस संकल्प पर विवाद हुआ लेकिन केवल तीन माननीय सदस्यों ने इस संकल्प का विरोध किया। उनमें एक तो हमारे माननीय उप-मंत्री जी थे। ठीक है। उन्होंने जिस दृष्टिकोण से विरोध किया हो, लेकिन जब माननीय मदन मोहन वर्मा जी बोल रहे थे, तो मैं उनके भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इसमें संदेह नहीं कि उनके मीठे तर्क और वकालत की दलीलें बड़ी प्रभावशाली हुआ करती हैं, परन्तु उनका भाषण स्वयं यह प्रदर्शित कर रहा था कि उनको या तो गांव के किसानों की कठिनाईयों का ज्ञान नहीं, और अगर ज्ञान है भी, तो उनका वह कोई समाधान देखना नहीं चाहते। एक सदस्य माननीय रामेश्वर प्रसाद जी जो गांव से ही आते हैं, स्वयं किसान हैं, किसान की कठिनाइयों को भी जानते हैं। उन्होंने जब प्रस्ताव का विरोध किया तो मुझे हार्दिक दुख हुआ। यह कोई बहुत बड़ा ऐसा सवाल नहीं है जिस पर हम जानकारी रखते हुए, किसान की कठिनाइयों को दबाना या छिपाना चाहें। जरूर रामेश्वरप्रसाद जी पर दुख हुआ।

आज इस प्रदेश के लाखों किसानों की कठिनाइयों का यह सवाल है। मैं आभारी हूं कि उस पर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों और इधर के माननीय सदस्यों ने किसानों की कठिनाइयों और अपनी जानकारी को पूर्ण रूप से रखा और मैं समझता हूं कि यह सारा सदन इस राय का है कि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो। हमारे माननीय रामेश्वर जी, जिन्होंने अपने भाषा सम्बन्धी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

विचार रखे, यह सारा सदन जानता है कि भाषा में शायद ही कोई उनसे इस सदन में विद्वान हो। फिर भाषा सम्बन्धी संशोधन तो आ ही सकते हैं, लेकिन जो प्रस्ताव है इसमें किसान की वास्तविक कठिनाइयों का दिग्दर्शन है।

असल में, माल मंत्री जी से मुझे इस बात का दुख जरूर है कि जब से प्रस्ताव १२ अगस्त को प्रस्तावित हुआ और सौभाग्य से उस दिन भी वही माल मंत्री थे और आज भी हैं, यद्यपि बीच में सरकार जरूर बदली, उनको इस बीच में इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में पूरी जानकारी हो जानी चाहिये थी। जो कमेटी बनाने का आज आश्वासन दिया गया है, काश वह आज ही पूरा हुआ होता तो इस प्रस्ताव में वर्णित कठिनाइयों का हल ठीक तरह से हुआ होता। मुझे खुशी है कि उन्होंने एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन यह दुख है कि १२ अगस्त से यह प्रस्ताव पड़ा रहा, सरकार को जानकारी है ही कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है। आपको याद होगा कि जब कलिंग की लड़ाई हुई तो उसमें रक्तपात को देख कर अशोक को विराग हुआ था। इसी प्रकार से लाखों किसानों पर आपत्तियां आ रही हैं। तो मंत्री जी को सोचना चाहिये कि वह कठिनाइयां क्या हैं और वह कैसे हल हों। यह सही बात है कि माननीय चरण सिंह जब माल मंत्री थे तो उन्होंने ग्राम समाज मैनुअल बनायी और जब वह यहां बैठे थे तो मुझे बुलाया भी था और मुझ से कुछ बातें भी कही थीं। लेकिन ग्राम समाज मैनुअल में उन्होंने कितनी ही अच्छी बातें रख दी हों, वह सोना खराब होता है जो आंख कान को काटने लगता है, उस आभूषण को औरतें फेंक देती हैं जो आंख और कान को कष्ट देता है। ग्राम समाज मैनुअल में कितनी ही अच्छी बातें होने के बावजूद भी आज गांवों में किसान ऊब रहे हैं और परेशान हैं और मैं तो यह जानता हूं कि आज ७०-७५ फीसदी फौजदारी के मुकदमे केवल इस काबिज और नाकाबिज के सवाल को लेकर चल रहे हैं और किसान उस मुकदमेबाजी में तबाह हो रहा है। क्यों नहीं इस पर विचार किया जाता? यह कई दफा सवाल आया सवालों के रूप में भी और प्रस्ताव के रूप में भी, लेकिन आज तक सरकार की निगाह उस पर नहीं जाती है। इसका मुझे दुख है।

स्थायित्व का एक सवाल इसमें रखा है। एक तो इंतखाब का है कि इंतखाब दिया जाय। सरकार के आदेश हैं देने। के लेकिन सरकार का कहना है कि सबको एक बार इंतखाब देने में बड़ी भारी आर्थिक कठिनाई होगी। आजकल तो मेरा खयाल है यह आदेश होते हुये भी कि इन्तखाब दिया जाय दिया नहीं जाता। अब एक साल सबको इंतखाब देने में अगर कुछ सरकार के काम में हर्जा हो तो वह कुछ थोड़ा धीरे धीरे दे सकते हैं।

सीलिंग की चर्चा बहुत लोगों ने की। सीलिंग के बावजूद भी आज यह क्या हालत है कि पटवारी या लेखपाल बैठे बिठाये गांव वालों को लड़ा रहा है। मैं ऐसे ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि किसान को मालूम नहीं था, रातों रात उसके खेत की ईख की फसल उखाड़कर उसमें दूसरी फसल बिखेर दी। गरीब को पता भी नहीं था कि कल को उसमें किसकी फसल बोयी जायगी और यहां तक मैं कहने को तैयार हूं मेरे जिले का एक वाकया है, लोग दंग थे, मैंने माननीय माल-मंत्री जी को पत्र लिखा था, दरख्वास्त देते हुये किसान डर रहे थे कि कहीं शिकायत के बाद भी लेखपाल वहां से नहीं गया तो भैया, हमारी दरख्वास्त वापस दे दो। जबकि लेखपाल को कुछ भी अधिकार नहीं हैं तब यह हाल है, लोगों में उसका इतना डर समाया हुआ है। स्थायित्व की बात मैं कह रहा था। आज किसान को अपनी जमीन पर कोई स्थायित्व नहीं रह गया है, कल किसकी जमीन पर किसका कब्जा हो जायगा, यह कुछ भी वह नहीं समझ पाता। इसलिये आज उसकी जमीन का कोई भाव नहीं रह गया है। बाजार में बेर बेचने वाला भी अपनी बेर का भाव करता है, लेकिन किसान वह भी नहीं कर सकता। किसान की जमीन सरकार अपने काम के लिये एक्वायर करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, गो यह सही बात है कि अगर सरकार को जरूरत है तो उसका उचित मूल्य भी उसे देना चाहिये।

गाजियाबाद के पास एक मास्टर प्लान की चर्चा बहुत दिनों से सुनाई पड़ रही है। उसमें ५५ गांव पड़ते हैं। मैं भूतपूर्व माल मंत्री चौधरी चरणसिंह से कहना चाहता हूं कि वह उन ५५ गांव के किसानों से जाकर बता तो दें कि तुम जमीन के मालिक हो। आज वहां का कोई भी किसान यह कहने को तैयार नहीं है कि मैं अपनी जमीन का मालिक हूं। आज वे रो रहे हैं, उनका खाना पीना बन्द है, उनकी रिश्तेदारियां बन्द हैं।

मास्टर प्लान बना शहर को खूबसूरत बनाने के लिये। उन ५५ गांवों के किसान अपनी जमीन को स्वयं नहीं बेच सकते। यह केवल गाजियाबाद का ही किस्सा नहीं है जहां भी कहीं शहरों का विकास होता है उसके नजदीक के किसान अनिश्चित हैं। हजार रुपये बीघे की जमीन भी हो अगर तो भी उनको जो उसका दाम मिलेगा वह बहुत थोड़ा मिलेगा। सब किसान परेशान हैं इस बात से कि आगे क्या होता है। मैं कहता हूं कि इसको भी जांचा जाय। हमारे यहां के एक कमिश्नर हैं गाजियाबाद के रहने वाले। नाम मैं नहीं लेना चाहता। मास्टर प्लान में उनकी जमीन क्यों नहीं आई? यह सब बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

मैं माननीय माल मंत्री जी का इसलिये अनुगृहीत हूं कि उन्होंने एक कमेटी बनाने का आश्वासन इस सदन को दिया है और जिसका विश्वास न सिर्फ मुझे बल्कि इस पूरे सदन को है। मैं यह आशा करता हुआ कि एक महीने के अन्दर ऐसी कमेटी बनाकर माननीय माल मंत्री जी किसानों की इस आपत्ति को दूर करेंगे, अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---४६,
विपक्ष में---१५।

शिक्षा के विभिन्न प्रक्रमों में भाषाओं के पठन के संबंध में संकल्प

***श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)---आदरणीया, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो और माध्यमिक शिक्षा में एक अन्य प्रचलित देश भाषा का पढ़ना अनिवार्य रहे तथा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं का पठन ऐच्छिक विषय के रूप में रहे।"

माननीया, मैं यह समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे देश में भाषा के प्रश्न को लेकर बड़े बड़े दंगे और कटुता बढ़ती जा रही है। उसका कारण यह है कि हमारे प्रदेश की शिक्षा की योजना या दूसरे सूबों में भी एक निश्चित योजना मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर नहीं हो रही है, बल्कि जो पुरानी १०० वर्षों से अंग्रेजी गुलामियत चली आ रही है उसके अन्दर अभिभूत होकर हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही है। यह सही है कि जो शिक्षा आज हमारे होनहार नवयुवकों को मिल रही है उसके आधार पर ही देश का निर्माण होगा। तो जब शिक्षा ही सारी हमारी गलत दिशा की ओर और अमनोवैज्ञानिक है और देश के वातावरण के प्रतिकूल है तो फिर देश की उन्नति कैसे होगी? यही कारण है कि जो दूसरे सूबों में आज दंगे हो रहे हैं या हमारे सूबे में तरक्की नहीं हो रही है। इन झगड़ों का कारण हमारी शिक्षा प्रणाली का दूषित होना है।

माननीया, अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखें चाहे वह प्रजातंत्र मुल्क हों या तानाशाही देश हों सभी में एक निश्चित मनोवैज्ञानिक योजना लागू है। हर देश में जो वहां प्रारंभिक शिक्षा होती है वह उसकी मातृभाषा में दी जाती है क्योंकि उस वक्त बच्चों के अन्दर न तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

इतनी बुद्धि होती है और न प्रतिभा होती है कि दूसरी भाषा को, जो कि दोषपूर्ण और दूसरी भाषा है, आत्मसात कर सके या उसका अर्जन कर सके। इसलिये और देशों में कहीं भी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वह उसकी मातृभाषा में होती है और मातृभाषा के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा में नहीं होती है। इसके बाद दूसरे देश की एक भाषा भी उनको पढ़ाई जाती है जो उनके देश की भाषा से सम्बन्ध नहीं रखती है, किन्तु कुछ मिलती जुलती हो। वास्तव में वह उनकी एक प्राचीन भाषा होती है जिसमें वे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसका उद्देश्य यही होता है कि वह उनकी मनोवैज्ञानिक शिक्षा है और कम से कम जब एक लड़का प्रारम्भिक शिक्षा उसमें प्राप्त करता है तो उसको उच्च ज्ञान उसमें प्राप्त हो जाय और अपने देश की प्राचीन परम्परा और संस्कृति के बारे में उसको पूरा ज्ञान हो जाय और दूसरे जो प्रदेश के हिस्से में रहने वाले लोग हैं उनके भावों का, रहन-सहन का, रस्मो रिवाज का ज्ञान हो जाय। माननीया, यह तो कहा ही जाता है और आवश्यक भी है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर हमें किसी समाज की बात जाननी है तो हमें उसके साहित्य को पढ़ना पड़ेगा।

अब आप देखें कि तमाम देशों ने जो यह फैसला ले रखा है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में और माध्यमिक शिक्षा में कोई एक भाषा जो देश में बोली जाती हो या अन्य प्रदेश की भाषा हो वह वे अध्ययन कराते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार यह सही है कि आदमी एक भाषा से अधिक जानने की कोशिश करे अपने देश की, या किसी प्राचीन भाषा को जाने ऐसे हमारी प्रचलित मातृ-भाषा का स्रोत हो और जो सहज और सरल भी हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न है कि इस समय कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामस्वरूप वर्मा—तो इस दृष्टि से जो अन्य देशों में दूसरी भाषा पढ़ाई जाती है वह मनोविज्ञान पर आधारित है और विदेशों में विश्वविद्यालयों में एक विदेशी भाषा ऐच्छिक रहती है।* जो पढ़ना चाहते हैं वे पढ़ सकते हैं, लेकिन सब के लिये वह अनिवार्य नहीं है।

हमारे प्रदेश में मातृ-भाषा पठन-पाठन में तो है, लेकिन उसके दो तीन दुर्भाग्य हैं। माध्यमकि शिक्षा में अंग्रेजी हमारे यहां अनिवार्य रूप से हो गयी है। कानूनी तौर पर तो कहा जा सकता है कि वह वैकल्पिक है, लेकिन वह अनिवार्य इस तरह से है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य है और छात्र जो विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वहां पुष्ट होने की दृष्टि से अंग्रेजी पढ़ते हैं। इस से भारतीय संस्कृति दूषित हो रही है। मनोविज्ञान के अनुसार विदेशी भाषा पढ़ने में इतना बोझ पड़ता है कि विद्यार्थी अधिक समय उसे सीखने में ही बिता देता है। भाषा ज्ञान को संवहन करने का साधन है। भाषा स्वंय ज्ञान नहीं है। इसलिये ज्ञान अर्जन करने के लिये हमें एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। हमारी माध्यमिक शिक्षा में दुर्भाग्यं से अंग्रेजी मौजूद है और उसका अध्ययन करवाया जा रहा है और विश्वविद्यालयों में जहां दूसरे देशों के अनुसार उसे ऐच्छिक रहना चाहिये, अनिवार्य रखा गया है। एक विदेशी भाषा को अनिवार्य रखा है। लेकिन अगर यही हो तो अंग्रेजी ही क्यों अनिवार्य रखी जाय, रूसी क्यों न हो, चीनी भाषा क्यों न हो जिसके काफी लोग बोलने वाले हैं?

अब इस संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्यों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विदेशी भाषा को क्यों और कौन लोग पसन्द करते हैं। पहले तो वे लोग हैं जो विदेशी विभागों में या विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो विदेशों में पर्यटन के लिये जाना चाहते हैं। तीसरे वे लोग हैं जिन्हें विदेशी भाषा को जानने का एक कौतूहल सा रहता है और वे उनके ज्ञान भंडार को हमेशा सीखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि

यही लोग विदेशी भाषा को पसन्द करेंगे। इसके अलावा जो आम जनता है वह विदेशी भाषा को पसन्द नहीं करेगी। अगर हम विश्वविद्यालयों में इस भाषा को अनिवार्य कर दें तो वे विद्यार्थी जो बहुत बड़ी संख्या में हैं और जो वास्तव में ज्ञानार्जन के लिये इच्छुक हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। वे लोग जो पर्यटन के लिये नहीं जाना चाहते, उनके लिये विदेशी भाषा एक बोझ होगी, जो लोग विदेशी विभागों में नौकरियां नहीं करना चाहते, उनके लिये इस अंग्रेजी भाषा का कोई महत्व नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस भाषा को अनिवार्य क्यों किया जाय ?

तो मैं यह कह रहा था कि हमारा जो प्रस्ताव है वह हमारी शिक्षा प्रणाली में एक आमूल परिवर्तन लाने के लिये है जिससे कि ऐसे होनहार नवयुवक हमारे देश में पैदा हो सकें जिससे कि उनका ज्ञानार्जन गहराई तक हो और उनके मस्तिष्क पर बेकार बोझ न पड़ सके।

अब मैं इस सदन क सम्मानित सदस्यों को उन बातों की ओर ले जाना चाहता हूं जो आज भारत में परेशान कर रही है। आज भारतवर्ष में ऐसा वातावरण पैदा हो गया है जिससे देश की स्वंतत्रता ही खतरे में पड़ गई है। आज इस बात की जरूरत है कि अंग्रेजी भाषा को हटाकर उसके स्थान पर अपने देश की भाषा को प्रचलित किया जाय। इसके मनोवैज्ञानिक तत्वों की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया और यदि हिन्दी भाषा को वर्तमान परिस्थितियों में अनिवार्य भाषा का रूप दिया जाता है तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करता है, ऐसा है जिसे यह ज्ञान नहीं कि काशमीरी, द्रविड़, बंगाली और मराठी लोगों का जो रहन-सहन है कैसा है और उनकी क्या विशेषतायें हैं, उनके क्या क्या साधन हैं और उनके क्या-क्या उद्योग धंधे हैं। इस प्रकार के ज्ञान का उनमें कतई अभाव है। क्योंकि वे उनकी भाषा को नहीं जानते हैं। दूसरे जो आज भाषा संबंधी झगड़े हैं, आसाम में हुए, दक्षिण में आंध्र में हुए, पंजाब में भी हो रहे हैं, उनके पीछे भी यही तत्व निहित है। ज्यादातर जो प्रदेश हैं, जहां पर इस प्रकार के झगड़े हैं, वह किसी भाषा के विरोधी नहीं है, लेकिन जो चन्द स्वार्थी लोग हैं, जो राजनीति में कब्जा करके वहां पर चाहते हैं कि उनकी प्रभुता स्वच्छन्द रूप से बनी रहे और वह जनता को भड़काने के लिये नारे-बाजी करते हैं और वह लोगों के सही विचारों को न रख करके अपने निहित स्वार्थों को रख कर देश को गुमराह करना चाहते हैं। दुर्भाग्य यह है कि चूंकि हम हिन्दी भाषा भाषी है, दूसरे प्रान्त के लोग अपनी भाषा जानते हैं, लेकिन दूसरे प्रान्तों की भाषा जानने वाले कम लोग हैं। वे जानते नहीं है कि जनता का सही मस्तिष्क क्या है। जितने झगड़े होते हैं उन सबके पीछे यही निहित है। सौभाग्य. की बात है कि हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान के हृदय में स्थित है और अगर इसे देश का हृदय कहा जाय तो ज्यादा उचित होगा। इसलिये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो अन्य प्रदेशों में देश को अनेकता में विभाजित करने के लिये भाषा संबंधी विवाद चल रहें हैं, दंगे हो रहें हैं उनके नष्ट करने का प्रारंभ हमारे सूबे से हो, क्योंकि इस सूबे को सौभाग्य मिला है कि यहां की राज्य भाषा हिन्दी है जो कि मातृभाषा भी है और जिसे राष्ट्रभाषा बनना है। इसलिये हमारी दुगनी जिम्मेदारी हो जाती है कि यह प्रदेश देश में एकता लाने के लिये देश के लोगों का पारस्परिक सहयोग लाने और बढ़ाने के लिये इसको अपनाये।

अब अगर हम दूसरी भाषा को पढ़ते हैं जो हमरे संविधान में १४ भाषायें हैं, इनमें संस्कृत तो एक प्राचीन भाषा है और प्रचलित १३ भाषायें रह जाती हैं जिसमें हिन्दी भाषा तो हमारी हो गई। अब १२ भाषाओं—उड़िया, असमी, बंगाली, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलगू, मलियालम और कन्नड़—इनमें जो भी जिसकी रूचि होगी वह स्वीकार करेगा। क्या नतीजा होगा ? यह होगा कि पारस्परिक सहयोग तो बढ़ेगा ही, आज हिन्दी के विरुद्ध दूसरे प्रदेशों में जो साम्राज्यशाही का आरोप लगाया जा रहा है वह चीज खत्म होगी। दुर्भाग्य की बात है, मैंने अखबारों में पढ़ा कि मुख्य मंत्री ने कह दिया कि हिन्दी की साम्राज्यशाही क्यों बढ़ाई जाय। जो हिन्दी राष्ट्रभाषा हो उसके लिये साम्राज्यशाही की बात कही जाय, अगर यह कीड़ा उनके दिमाग में घुसा हुआ है तो अगर ऐसा ही दूसरे प्रदेश के लोग या जनता कहती है तो अनुचित क्या है ?

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

सवाल तो इस बात का है कि कभी कभी कम-अकलमन्द वकील अपने ही मुकदमें को बिगाड़ लेते हैं। हमारे मुख्य मंत्री अपने को ही बिगाड़ रहें हैं। कहां साम्राज्यशाही है? अगर उनके दिमाग में यह कीड़ा घुसा है तो वे इस प्रस्ताव के सामने आयें और स्वीकार करें और यहां पर १२ भाषा भाषी और पैदा हो जायेंगे। मोटे तौर से सब मिला करके माध्यमिक शिक्षा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पौने दो लाख विद्यार्थी पिछले साल बैठे थे। अगर इतनी संख्या में लड़के १२ भाषा भाषी आयेंगे तो दूसरे प्रदेशों में निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहयोग होगा और लोग दूसरे प्रदेशों में महसूस करेंगे कि ये लड़के हमारी भाषा को सीख रहे हैं, वे भी हिन्दी भाषा की ओर अग्रसर होंगे। जब सब अपनी मन पसन्द भाषा को चुन कर सीखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि किस भाषा को ज्यादा पसन्द किया जा रहा है। इस प्रकार से हिन्दी के विरुद्ध जो साम्राज्यशाही का आरोप लगाया जा रहा है और लोग ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रहें हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा न बन सके, उस प्रचार का कम से कम अन्त हो जायगा—यह हिन्दी के प्रचार में हमारा सबसे बड़ा प्रयास होगा।

दूसरी बात यह है कि कला-कृत्तियां जो कि समाज का दर्पण हैं वे हमारे सामने नहीं आ पातीं, उनका आदान-प्रदान नहीं हो पाता। इस प्रस्ताव के पास होने से उसका आदान भी हमको मिलेगा। आज बंगाली क्यों हमारे खिलाफ हैं? उसका कारण यही है। यह भावना कि बंगाली, तामिलनाड या दूसरे प्रान्तों के लोग जो हिन्दी की मुखालिफत कर रहें हैं ये जनता के सच्चे संदेश वाहक नहीं हैं और न जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि निजी स्वार्थवश ऐसा कर रहें हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन दिखावे में जो दूसरे प्रदेशों में खराबियां चल रही हैं उनका इस प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने के बाद अन्त हो जायगा। क्योंकि इस प्रदेश के बालक जब हजारों की तादाद में अन्य प्रान्तों की भाषायें पढ़ेंगे, पारस्परिक आदान-प्रदान करेंगे तब सहयोग बढ़ेगा और वास्तविक रूप में दिल और दिमाग में परिवर्तन होगा। और जब सच्ची जन भावना देश के अन्य भाषा भाषियों में आजायगी तब हमें ज्यादा सहूलियत मिलेगी।

(इस समय २ बजकर ४१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह पीठासीन हुये।)

कहा जाता है कि हिन्दी भाषा का भंडार कम है। अगर सरकार अन्य भाषाओं को माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य शिक्षा करदे तो दूसरी भाषाओं से मधुर शब्दों का आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा। कभी कभी हर भाषा में कुछ शब्द आवश्यकताओं से बन जाया करते हैं और उनका प्रयोग होने लगता है। मिसाल के लिये मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी में एक शब्द "संभ्रान्त" आ गया है जिसके संस्कृत में अर्थ होते हैं "अच्छी तरह से पागल" और बंगला में "भद्र" को कहते हैं। यह शब्द आजकल हमारे यहां काफी मंज गया है। कई संस्कृत के विद्वानों ने लिखा कि यह शब्द गलत है, लेकिन फिर भी उसका हमारे यहां इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से शब्दों का भंडार भी बढ़ता है। इसी प्रकार से हिन्दी साहित्य में शब्द "उपन्यास" है। अंग्रेजी में नावेल के स्थान पर यह इस्तेमाल होता है। मराठी भाषा में हमको यह शब्द "उपन्यास" मिलता है, हिन्दी का यह शब्द नहीं है। अंग्रेजों के काल मे नावेल जैसी कलाकृत्तियां जब हमारे सामने आईं तो उनके लिये हमारे यहां कोई शब्द नहीं था। मराठी से यह शब्द हमको मिला। इस प्रकार से शब्दों का भंडार बढ़ेगा और हिन्दी में मंजे मंजाये शब्द आयेंगे। इस प्रकार के शब्द देश भर में चल रहें हैं। हमें इसके द्वारा बंगला की ललित पदावली और मराठी और गुजराती साहित्यों के अच्छे ओजस्वी शब्द मिलेंगे और हमारी राष्ट्रभाषा परिपुष्ट होगी। वे शब्द तभी मजेंगे जबकि उसके जानने वाले बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं और जो कि हमारा कर्त्तव्य भी है उस कर्त्तव्य को हम पूरा कर सकेंगे अगर हम माध्यमिक विद्यालयों में इच्छानुसार कोई एक भाषा और पढ़ना अनिवार्य कर दें। इससे हमारी राष्ट्रभाषा का शब्दकोष भी बढ़ेगा और उन भाषाओं के शब्दकोष भी बढ़ेंगे।

एक बात थोड़ी मजे की है जिस पर मैं इतना कह दूं कि शायद बहुत से लोग गम्भीरता से सोचते नहीं हैं और वह यह है कि आज हिन्दुस्तान प्रान्तों में बंटा हुआ है । प्रान्त भाषा के हिसाब से बटे हुये हैं । उनमें प्रान्तीयता चल जाती है । आज कहा जाता है कि बंगाली बंगाली के साथ और मराठी मराठी के साथ जाता है । इसके लिये आवश्यक है कि हम उनकी भाषा को सीखें ।

दूसरे यह कि यहां के लोगों का उनसे मिलना जुलना हो । अभी सवाल यह है कि आपस में शादी ब्याह कैसे हों, अगर लड़की बंगाली पढ़ी लिखी है और लड़का हिन्दी ही पढ़ा लिखा है तो शादी कैसे हो । लेकिन अगर हमारे प्रदेश में इस प्रकार से भाषा भाषी लोग हो जायेंगे तो फिर शादी ब्याह भी होने लगेंगे । अभी चाहे अधिक मात्रा में शादी ब्याह न हों सकें, लेकिन आगे चलकर इसकी काफी गुंजायश हो जायगी और एक दूसरे प्रदेश के लोग आपस में शादी ब्याह करने लगेंगे और विभिन्न कौमों के और विभिन्न भाषा–भाषी लोग करने लगेंगे । इससे विभिन्न भाषा-भाषियों में आपस में सद्व्यवहार बढ़ेगा तथा हिन्दुस्तान की एकता को बढ़ावा मिलेगा । इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि अपने ही देश की हिन्दी के अतिरिक्त एक दूसरी भाषा का पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया जाय ।

इसके अतिरिक्त हमारे भारत में लिपि का भी एक झगड़ा है । जो लोग एकता के चाहने वाले हैं, उनकी सर्वसम्मति से राय यह है कि देश में एक देवनागरी लिपि हो, लेकिन कुछ लोग साम्राज्यशाही कह कर देव नागरी लिपि के विरुद्ध भी अखाड़ा बनाने का प्रयत्न करते हैं और कहीं बना भी दिया है । अगर सभी भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी कर दी जाय तो लिपि के संबंध में हम एक प्रकार से सोचने लगेंगे । हमारे यहां १२ भाषायें हैं वे जब अनिवार्य रूप से सिखाई जायेंगी तो कोई किसी भाषा को सीखेगा और कोई किसी भाषा को । इस प्रकार से हर प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्तों की भाषाओं के ज्ञान को अर्जित करेंगे । इस प्रकार से भारत की एकता में लिपि भी एक बहुत बड़ा कारण होगी । आज अगर कोई विद्यार्थी बंगला सीखना चाहता है तो उसको बंगाली लिपि सीखनी पड़ती है, उसके सीखने में जो कठिनाई होती है, वह न होगी, उसको सब लोग देवनागरी लिपि के द्वारा पढ़ सकेंगे । भारत में २८ करोड़ हिन्दी भाषा-भाषी हैं । वे विभिन्न भाषाओं को पढ़ेंगे । देवनागरी लिपि में तो यह लिपि का मसला भी हल हो जायगा । हमने इसका हिसाब लगाया है कि एक अरब रुपया लिपियों की विभिन्नताओं के कारण अधिक व्यय होता है । अगर लिपि देवनागरी हो जाय तो एक अरब रुपये की बचत हमें हो जायगी । इसके अतिरिक्त लिपि की सरलता से भाषाओं का सीखना आसान हो जायगा । एक प्रान्त की भावनाओं का प्रचार दूसरे प्रान्त में होगा । इसलिये हम चाहते हैं कि यह संकल्प स्वीकार कर लिया जाय ।

हमारे यहां उद्योग-धंधें और कृषि के साधन मुख्य हैं, लेकिन उन साधनों का देश भर में आदान-प्रदान नहीं हो पाता है । किसान-किसान और मजदूर-मजदूर में आदान-प्रदान नहीं हो पाता है । क्योंकि हमारा जो विद्वत्समाज है वह खेती नहीं करता है और जो साधारण आदमी हैं वह अपनी बात को कैसे कहें । जैसे आंध्र में धान की बहुत अच्छी पैदावार होती है, लेकिन आंध्र का किसान जब तक हम उसकी भाषा को नहीं जानते किस प्रकार से अपनी बात बता सकता है । इसलिये आजकल जो बात विद्वानों के द्वारा हमारे पास आती है वह भपके से निकली शराब की भांति आती है, अपने असली रूप में नहीं आती । वह वहां के अधिकारियों के जरिये यहां के अधिकारियों के पास आती है, लेकिन सीधा किसान से किसान का सम्पर्क नहीं हो पाता । अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है तो विचारों का सीधा आदान-प्रदान होना संभव हो सकेगा । किसान अपनी सही बात दूसरे प्रान्त के किसान से कह सकेगा और एक दूसरे के ज्ञान में वृद्धि हो सकेगी । किसानों और मजदूरों में देश भर में सीधा सम्पर्क हो जायगा, इस प्रकार दूसरी भारतीय भाषा को अनिवार्य करने से ।

जो हमारे यहां भाषावार प्रान्त बने हुये हैं वे एक प्रकार से हमारे भारत की एकता को समाप्त करते हैं, लेकिन अगर यह भाषा और लिपि का प्रस्ताव मान लिया जायगा तो हमें एक

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

दूसरे का सहयोग प्राप्त हो सकेगा। अगर हम अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने में घबराते हैं तो मैं समझता हूं कि वह एक प्रकार से राष्ट्रद्रोह होगा। क्योंकि आज हमारी मुख्य समस्या यह है कि एकता कैसे आये और मैं समझता हूं कि देश की एकता की दिशा में यह सब से बड़ा कदम होगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करने की कृपा करेगा।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मुझे श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसे मैं अपने लिये एक महान् अवसर समझता हूं। यह प्रस्ताव जो पेश हुआ है इसी भावना को लेकर इसी सदन में इससे प्रथम भी कई प्रस्ताव आ चुके हैं और उनको मैंने प्रस्तावक या समर्थक के रूप में रखा है। आज प्रस्तावक महोदय ने इस भावना को एक विस्तृत रूप में रखा है और इसके अनेक पहलुओं पर विचार किया है। एक शिक्षक के नाते जो बहुत-सी बातें मेरे विचारों में निहित हैं उनको मैं आप के द्वारा यहां उपस्थित करूंगा।

इस प्रस्ताव के ३ अंग हैं। पहला अंग तो प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में है कि बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा मातृ-भाषा हिन्दी में हो और दूसरा अंग है कि माध्यमिक शिक्षा में एक अन्य प्रचलित भाषा का पढ़ना अनिवार्य किया जाय और तीसरा अंग है कि हमारे विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं की शिक्षा केवल ऐच्छिक विषय के रूप में हो। प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में तो बहुत कुछ अंश में यह चीज हमारे यहां चालू सी है और वह इस प्रदेश में मातृ-भाषा में ही हो रही है, यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है। यद्यपि इस सम्बन्ध में कभी-कभी उर्दू भाषा-भाषी यह आपत्ति उठाते हैं कि उनके बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उर्दू भाषा में हो और इस मांग को लेकर इस सूबे में इस बात को मान भी लिया गया है कि जहां उनकी संख्या समुचित हो और वे अपनी उर्दू भाषा में प्राथमिक शिक्षा लेना चाहें तो वह उनको प्राप्त है। अतः मैं इस प्रस्ताव के बड़े अंश को बगैर आपत्ति के स्वीकार किये लेता हूं।

एक बात मैं विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के बारे में यह और कह दूं कि यह भी देखा गया है कि हमारे यहां के बहुत से मूल निवासी अपने बालकों को मातृ-भाषा में प्राथमिक शिक्षा दिलाना कभी-कभी भूल जाते हैं। यहां एक ऐसे द्विज वर्ग के लोग हैं उनको मैं द्विज इसलिये कहता हूं कि उन को हमारे दल की ओर से इस तरह से श्रेणीबद्ध किया गया है, कुछ लोग अपने को ऊंचा समझने वाले और दूसरों को नीचा समझने वाले पैदा हो गये हैं, वह लोग अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में न दिला कर विदेशी भाषा अंग्रेजी में दिलाने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि आज हमारे प्रारम्भिक विद्यालयों में ऐसा सम्भव नहीं है तो ये लोग अपने बच्चों को कुछ अन्य विदेशी स्कूलों, नर्सरी स्कूलों और मान्टेसरी स्कूलों में भेजने का प्रयत्न करते हैं। वे उनको मातृभाषा से अछूता रख कर विदेशी भाषा द्वारा ही शिक्षित करना चाहते ह, मैं समझता हूं यह गलत है। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश के ही कुछ निवासी बच्चों को मातृ-भाषा के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा नहीं दिलाना चाहते बल्कि उनको नई विदेशी भाषा सिखाने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि उस को प्रोत्साहन मिले।

यह अवश्य है कि पहले के शिक्षा मंत्री जो थे वह अब नहीं रहे, लेकिन दूसरे शिक्षा मंत्री ने यह सौजन्यता नहीं समझी कि वह इस अवसर पर उपस्थित रहते। हमारे माननीय राम स्वरूप जी बैठे हैं वह हर विषय के समय आकर बैठ जाते हैं और इस को भी दफ्तर का कागज समझ कर जो चाहेंगे कह लेंगे वे बेचारे आ जाते हैं। कभी गहनता से उन्होंने सोचा नहीं है। यह मैं अधिकारपूर्वक कहता हूं उनके अन्य कार्यों को देख कर कि शिक्षा से उनका कोई खास संबंध नहीं रहा है। आचार्य जी होते तो मुझे प्रसन्नता होती और उनका आदर भी होता, लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज उनको अनुपस्थित देख कर ऐसा मालूम होता है कि आचार्य जी भी वैसे ही हैं जैसे कि आजकल हुआ करते हैं।

हमारे त्रिपाठी जी, जो भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री थे, उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर एक बात कही थी। मेरा कहना था कि माध्यमिक शिक्षा में जो विदेशी भाषा अंग्रेजी को अनिवार्य रूप से लाकर बच्चों पर बोझ डाला गया है उसको हल्का करने के लिये कुछ न कुछ करें। उसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि आप विश्वास रखें मैं उसके ऊपर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहा हूं और इसलिये भी कर रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रश्न को अपने हाथ में ले रखा है और उनका उत्तर आते ही हम भी वैसा कर गुजरेंगे। वह तो खैर, वहां अब नहीं हैं। मैंने केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही को बड़े गौर से देखा। इस समय जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं श्रीमाली जी, उन्होंने साहसपूर्ण कदम उठाये हैं और बहुत-सी घोषणायें हुई हैं जिनके लिये मैं कह सकता हूं कि वे उचित हैं, लेकिन हमारी सरकार द्वारा कोई कदम न उठाए जाने पर मुझे आश्चर्य है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की तरफ से एक कमेटी थी जिसमें यह बात उठी कि माध्यमिक शिक्षा के मीडियम को बदलने के लिये क्या कदम उठाया जाय। इसी तरह से केन्द्रीय एडवाइजरी काउन्सिल की तरफ से हमें संकेत मिले हैं, लेकिन उन संकेतों का लाभ उठाने के लिये ये कुछ संकेत नहीं देते तो हम यही कहेंगे कि न केन्द्रीय सरकार और न प्रदेशीय सरकार इस ओर कोई ध्यान दे रही है। मैं समझता हूं कि माध्यमिक शिक्षा का यह प्रश्न किसी प्रकार से टाला नहीं जा सकता।

श्रीमन्, जो उनकी तरफ से तर्कना दी जाती है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर माध्यमिक शिक्षा में बच्चों को कुछ भी अवसर अंग्रेजी सीखने का न दिया जायगा तो उनमें बुनियादी तौर पर अंग्रेजी में कमजोरी आ जायगी। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। इस चीज की चिन्ता किसी को भी नहीं करनी चाहिए कि बच्चों में बुनियादी तौर पर कुछ न कुछ ज्ञान अंग्रेजी का आ ही जाय। अंग्रेजी इतनी आवश्यक नहीं है कि जिसके बिना बच्चों का भविष्य ही बिगड़ जाय। आज माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में हमारे मंत्री जी बड़े गौर से देख रहे हैं, यही जवाब दे देंगे कि अनिवार्य तो कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन अनिवार्य न लिखा होते हुए भी यह क्यों नहीं देखते कि हर विद्यार्थी उसको अनिवार्यतः लेकर ही फेल होता है? अगर अनिवार्य न होता तो इतनी संख्या में उसे वे लेते ही क्यों? यह कहना कि इतना गल्ला पैदा करते हैं तो लोग क्यों भूखों मरते हैं, यह तो इस तरह की बात है जो वही लोग कह सकते हैं कि जो गांवों की स्थिति को न जानते हों। इसी तरह से वह कहते हैं कि हम तो नहीं कहते कि अंग्रेजी को अनिवार्य रूप से ले लें और हमें पाठ्यक्रम दिखाया जाता है। श्रीमन्, उसमें है कि विद्यार्थी ले लेते हैं, उसमें है कि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। सौभाग्य है कि शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। पता नहीं कि स्वतः आये या किसी ने खबर दी। खैर, धन्यवाद। तो मैं कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य रूप में रख कर हम ने एक बड़ा भारी देश के प्रति अपघात किया है।

हमारे देश में जो १३ प्रदेशीय भाषायें हैं जिनको संविधान में हमने बराबरी का स्थान दिया है, सब को समान आदर दिया है उन भाषाओं का हम अपने भिन्न प्रदेशों में पठन नहीं कर रहे हैं और इसीलिये हम अन्तर प्रदेशीय भावना नहीं पैदा कर पा रहे हैं। अगर हम सारे देश में एकता चाहें, एक निगाह से सबको देखें, देश में कहीं भी किसी प्रकार का भाषा संबंधी विवाद पैदा न हो और देशभक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम काम यह होना चाहिये कि प्रदेशीय भाषाओं को अपने पाठ्यक्रम में ला दें और अनिवार्य रूप से ला दें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अनिवार्य रूप में लाने में क्यों हिचकते हैं? इसलिये हिचकते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो अंग्रेजी विलीन हो जायगी। इसी तिकड़म से यह सब काम सरकार कर रही है और अंग्रेजी को बच्चों पर लाद रही है, पिछले परीक्षाफलों का सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है? हजारों विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं इसी अंग्रेजी के कारण और इन सब का दोष सरकार पर ही है। मैं शिक्षक रहा हूं, मेरे पढ़ाये विद्यार्थी ने मेरे सामने आत्महत्या की इसी अंग्रेजी की वजह

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

से । तो मैं सोचता हूं कि सरकार को एक सेंकेन्ड भी न देखूं और जितनी जल्दी हो सके इसको पलट दिया जाय । सरकार कहती है कि अंग्रेजी अनिवार्य है कहां ? अगर अनिवार्य नहीं है तो हर विभाग से अंग्रेजी हटा पाये हैं ? जब तक आप की लेखनी अंग्रेजी पर चलती है तो बालक अवश्य सीखेंगे । आप विभागों से अंग्रेजी हटायेंगे नहीं, लेखनी बदलेंगे नहीं और नौकरियों में आकर्षण को रोकेंगे नहीं तो अंग्रेजी जायगी कैसे ? यह मेरी बहुत पुरानी बात है ।

तीसरी बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं । (लाल बत्ती जलने पर) मुझे थोड़ा समय और दें क्योंकि इससे मेरी विशेष दिलस्चपी है, मैं एक अध्यापक भी हूं और हमारे शिक्षा मंत्री जी भी हैं । माध्यमिक शिक्षा के बारे में माननीय मंत्री जी इस तर्कना को न दें, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अंग्रेजी पाठ्यक्रम में अनिवार्य नहीं है इस तर्कना को मेरे सामने न रखें । उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं । हाँ, सुना है कि सरकार कुछ सोच रही है विद्यार्थी अधिक अनुत्तीर्ण न हों इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जायं, सुना है सरकार सोच रही है कि जो एक दफा फेल हो जायं उनको सप्लीमेंटरी में बैठने की इजाजत दी जाय, कुछ पाठ्यक्रम को सरल कर दिया जाय, लेकिन इन बातों के आधार पर भी मैं कहना चाहता हूं कि यह आपकी दवा कारगर नहीं है । अंग्रेजी को आप किसी भी रूप में भी हल्की नहीं कर सकेंगे यह मैं जानता हूं क्योंकि हाई स्कूल इन्टरमीडियट बोर्ड छाती पर बैठा हुआ है जिसमें सब अंग्रेजी से ओत प्रोत हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामों के गुलाम हैं । मैं उसकी मनोवृत्ति को समझता हूं और जब तक बोर्ड सिलेबस बनाता है तब तक अंग्रेजी को सरल नहीं होने देगा । इस बोर्ड को समाप्त कीजिये । आपने स्वयं इस हाउस में अनेक दफा घोषणा की कि हम इस बोर्ड को खत्म करेंगे, लेकिन नहीं हुआ । इसलिये जब तक यह मौजूद है तब तक अंग्रेजी नहीं हटेगी। अब सप्लीमेंटरी के रूप में आप रखें और डिवीजन आप इस तरह से विद्यार्थी का बिगाड़ दें । गणित में प्रथम हो, अन्य विषयों में प्रथम हो, लेकिन अंग्रेजी में पास न होने से जीवन ही उसका बिगड़ जाता है । दोबारा मौका देने पर भी कोई नतीजा तो होता नहीं । अंग्रेजी के स्थान पर आप प्रदेशीय भाषाओं को रख दें और हिन्दी के साथ उनको आप अनिवार्य कर दें तो अंग्रेजी अपनी जगह से स्वयं खिसक जायगी ।

एक नई बात मेरे इस प्रस्ताव में है । वह यह कि विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी का माध्यम न रखा जाय, अनिवार्य विषय वह न रखा जाय । इस बात पर हमारी सरकार को कुछ आश्चर्य मालूम हो तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा । विश्वविद्यालयों में हिन्दी घुसती जाय और अंग्रेजी हटती जाय इसके लिये सरकार को आश्चर्य होगा । अभी वह माध्यमिक में ही तैयार नहीं है तो विश्वविद्यालय के स्तर पर कैसे तैयार हो जायगी ? लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने फरमाया है कि अंग्रेजी को माध्यम विश्वविद्यालय में रखें या न रखें और इस तरह से दबी जबान से दरवाजा खोल दिया है हिन्दी को माध्यम बनाने के लिये । आप भी इस चीज को हाथ में लें और विश्वविद्यालयों को प्रेरणा दें कि हिन्दी को स्वाभाविक रूप से वे लाना शुरू करें और हिन्दी उच्च स्तर पर आ जाय, क्योंकि बिना हिन्दी को माध्यम बनाये विज्ञान में आप उन्नति नहीं कर सकेंगे । इंजीनियरिंग, टेक्नोलाजी या विज्ञान के अन्य जितने विषय हैं अपनी मातृभाषा में ही विद्यार्थी समझ सकते हैं, अंग्रेजी में नहीं । जो भाषा अपने देश की है, अपने पिता की है, अपनी माता की है उसी में हम विज्ञान समझ पायेंगे, लेकिन आप उलटी गंगा बहाकर कहते हैं कि विज्ञान अंग्रेजी के बिना सीखा नहीं जा सकता यह बिलकुल गलत तथा मूर्खता की बात है । ऐसा आप मत कहिये । क्या रूस के वैज्ञानिकों को आप भूल जाते हैं जो भिलाई तथा रूरकेला में ऊंचे-ऊंचे स्थान पर काम कर रहे हैं और जिनकी दैनिक तनख्वाह २०० रुपये है, लेकिन वह अंग्रेजी का एक शब्द नहीं जानते और सब से ऊंची मेकेनिज्म को सीखा है उन्होंने अपनी मातृ भाषा में । हमारे यहां भी फिटर तथा मेकेनिक अपनी भाषा में ही मेकेनिज्म सीख सकेंगे, विज्ञान की टेक्नोलाजी सीख सकेंगे, विदेशी भाषा से नहीं सीख सकेंगे, यह बहाना आप मत लीजिये । विज्ञान तथा जितने उच्चतम विषय हैं उनके लिये आप हिन्दी को माध्यम बनायें और बच्चों की शुभ कामना पाइये वर्ना उनको अनुशासन सिखाना मुश्किल हो जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—मैं एक सूचना देना चाहता हूं माननीय सदस्यों को। अभी कुछ देर पहले माननीय अमरनाथ जी ने एक प्रश्न उठाया था। उन्होंने यह प्रश्न उठाया था कि अभी इससे पूर्व जिस प्रस्ताव पर विवाद हो रहा था माननीय विकल जी के उसमें एक दिन बीच में बहस हुई थी उसका ध्यान नहीं रहा। माननीय सदस्यों को एक प्रस्ताव पर एक ही बार बोलने का अधिकार है, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने दुबारा उसमें हिस्सा लिया। तो यह वास्तव में भूल हुई है और यह भूल सचिवालय की तरफ से हुई है। सचिवालय इस पर खेद प्रकट करता है सदन के सामने और मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि आप इस भूल को क्षमा करेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव इस माननीय सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसकी मुखालिफ़त में खड़ा हुआ हूं। मुखालिफत में खड़े होने की वजह यह नहीं है कि मुझे हिन्दी से प्रेम नहीं है या मैं नहीं चाहता कि हिन्दी का प्रचार हो बल्कि मुखालिफत करने का कारण यह है कि यह प्रस्ताव अव्यावहारिक है। इस प्रस्ताव के तीन अंग हैं। प्रथम अंग यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। इसमें किसी को एतराज नहीं है और यह आज भी हो रहा है। दूसरा अंग यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा में एक अन्य प्रचलित देश भाषा का पढ़ना अनिवार्य रहे। आजकल जो पाठ्यक्रम है उसमें भी यही है कि हिन्दी के अलावा एक चाहे देशी भाषा, चाहे विदेशी भाषा ऐच्छिक रूप से विद्यार्थी ले सकता है। अगर यह मंजूर हो कि सिर्फ हिन्दुस्तान की ही कोई एक भाषा पढ़ाई जाय तो फिर तीसरे अंग में यह कि विश्वविद्यालय में एक विदेशी भाषा आप्शनल हो जाय यह तो बिल्कुल अव्यावहारिक हो जायगा क्योंकि जिसने शुरू से किसी विदेशी भाषा का ज्ञान नहीं किया है वह विश्वविद्यालय में क्या ए, बी, सी से शुरू करेगा? वह तो ऐसे ही होगा जैसे कि एक लड़का ज्यादा उम्र पर अंग्रेजी पढ़ने लगा और ए, बी, पी, आई, ओ, बी, रटने लगा लेकिन रटते-रटते ए, बी, पी, आई, ओ, बी की जगह ए, बी, वी, आई, ओ, जी कहने लगा तो उसकी बीबी आ गयीं।

आज इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हिन्दी भाषा में वह विज्ञान के ग्रन्थ अभी नहीं उपलब्ध हैं जिनसे कि हम को फायदा उठाना चाहिये और जिसकी कोशिश हो रही है कि वे ग्रंथ हिन्दी में तैयार हों और बहुत से तैयार भी हुये हैं और हो रहे हैं। विज्ञान हाई स्कूल में हिन्दी में पढ़ाया जाता है, मैथेमेटिक्स भी हिन्दी में पढ़ायी जाती है, जामेट्री भी हिन्दी में ही पढ़ायी जाती है। तो ऐसा नहीं है है कि हिन्दी की तरक्की का कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है, लेकिन हर चीज़ अपने-अपने वक्त पर होती है। अगर हम अभी से विदेशी भाषाओं का पूर्णरूपेण बहिष्कार कर दें तो इसके माने यह होंगे कि हम अपने विज्ञान का दायरा संकुचित करते जायंगे और जो दुनियां में आज विज्ञान प्रगति कर रहा है हम उसमें हिस्सा नहीं ले पायेंगे। आज रूस, जर्मनी और दूसरे मुल्कों में संस्कृत पढ़ायी जाती है, पर्शियन और अरबी पढ़ायी जाती है। तो इसके माने यह नहीं हैं कि जर्मनी के रहने वालों को या रूस के रहने वालों को अपनी-अपनी भाषा से प्रेम नहीं है। तो हम अपनी भाषा की तरक्की करें, लेकिन उसके माने यह नहीं होने चाहिये कि सारे दुनिया के विज्ञान से जो हमको फायदा उठाना चाहिये वह इसलिये न उठायें कि हमको किसी ज़बान से दुश्मनी है। हमारा उसूल तो लिव ऐंड लेट लिव का होना चाहिये कि हिन्दी की तरक्की करो और विदेशी भाषाओं में जो हमको अच्छे विचार मिलते हैं, जो विज्ञान मिलता है उसको हम क्यों छोड़ें। तो जिन महानुभाव ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है उन्होंने व्यावहारिक रूप से इस पर विचार नहीं किया है कि इसके आखिरकार नतीजे क्या होंगे।

अगर माननीय अवस्थी जी की बात मान ली जाय कि इस प्रस्ताव पर बोलने के लिये उनको ज्यादा अधिकार है जो किसी शिक्षा संस्था से संबंध रखते हैं तब तो मेरे खयाल से यहां पर अवस्थी जी के अलावा दो ही चार और सदस्यों को बोलने का अधिकार होगा, मुझे तो अधिकार होगा नहीं. . . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी—विद्यार्थी की पीड़ा आपने कुछ जानी है?

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल––जी, मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, इसलिये उसकी पीड़ा जानता हूं । यह कहना कि बहुत से विद्यार्थी इसलिये आत्मघात कर लेते हैं कि वे अंग्रेजी नहीं पढ़ सके, लेकिन हमने तो श्रीमन्, यह सुना है ज्योग्रेफी, हिस्ट्री बड़ी बे वफा हैं, अंग्रेजी के लिए कभी नहीं सुना . . . .

श्री अधिष्ठाता––असल में अवस्थी जी का मतलब है कि जो फीस जमा न करे उसको पीड़ा नहीं हो सकती है ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल––पीड़ा तो श्रीमन्, हमें होती थी, हम फीस देते थे, अवस्थी जी को नहीं हो सकती है । इस प्रस्ताव को वास्तव में बहुत संकुचित कर दिया गया है और हमारी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से काम चलेगा । हिन्दी की तरक्की अवश्य कीजिये इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है । हिन्दी ग्रन्थ लिखिये और लिखे जा रहे हैं और इसका वैज्ञानिक कोश भी काफी बढ़ा है और दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, लेकिन यह कहना कि विदेशी भाषा का बहिष्कार कर दिया जाय, इससे मैं समझता हूं कि हम तरक्की नहीं कर सकते हैं । यदि प्रस्तावक महोदय, गौर से इसको देखेंगे तो वह समझेंगे कि यह व्यावहारिक नहीं है और मैं आशा करता हूं कि वह इसको प्रेस न करेंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––माननीय अधिष्ठाता जी, आज इस आदरणीय सदन के समक्ष यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसे वर्मा जी ने रखा है और प्रदेशीय सरकार से खासतौर से संबन्धित है, उसके ऊपर हमारे लायक दोस्त का भाषण हो रहा था और उन्होंने कहा था कि जहां तक प्रारंभिक शिक्षा का प्रश्न है वह अपनी भाषा में ही होती है । मैं उनकी जानकारी के लिए माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृ-भाषा में नहीं दी जाती है । मेरा मतलब डान बास्कोज, लौरेटो कौन्वेन्ट, सैंट फ्रांसिस आदि स्कूलों से है जहां पर लकड़ी की तख्ती पर क, ख, ग, घ नहीं सिखाये जाते हैं बल्कि ए, बी, सी, डी पढ़ाई जाती है, लकड़ी के खिलौनों द्वारा वहां पर कलक्टर, कप्तान, आई० जी० और मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं । टाटा, बिड़ला वगैरह के बच्चे पढ़ते हैं । इससे माननीय सदस्य का पहला तर्क तो कट गया है ।

मैं कहता हूं कि इस हल्केपन से अंग्रेजी हमारे ऊपर लादी जा रही है । खास तौर से उत्तर प्रदेश के पढ़-लिखे जिन्होंने डिग्री हासिल की है, डिप्लोमा हासिल किया है या मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा पाई है, वह नहीं चाहते हैं कि मातृ-भाषा कैसे प्रस्थापित की जाय इसी कारण हमारे ऊपर अंग्रेजी लादी जा रही है । जब पहले स्वर्गीय बाला साहब खैर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे, उस समय बम्बई प्रान्त था, उन्होंने एक फेहरिस्त बनाई थी तो मिडिल स्कूल तक अंग्रेजी की कोई चर्चा नहीं थी । लेकिन अब चौहान साहब वहां पर शुरू से ही अंग्रेजी कराना चाहते हैं । माननीय सदस्य का यह कहना है कि मातृ भाषा द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है, यह ठीक नहीं है बल्कि यह उनकी थोथी दलील है । अगर सरकार हिन्दी को गढ़ाना चाहती है तो डान बास्कोज, लोरेटो कौन्वेन्ट, सेंट फ्रांसिस आदि स्कूलों में जहां २००-३०० रुपये में पढ़ाई होती है उनके बजाय म्यूनिसपल स्कूलों में जहाँ २-३ रुपये में ही पढ़ाई होती है उनकी दशा को सुधार दें और वहां पर टाट आदि की व्यवस्था कर दें । जहां हमारी मातृभाषा में पढ़ाई होती है वहां तो सरकार का टाट तक उलट जाता है और जहां अंग्रेजी में पढ़ाई होती है वहां पर गद्दे तथा गलीचे बिछे हुये हैं क्योंकि उनको काफी पैसा मिलता है ।

दूसरी बात मैं माध्यमिक स्कूलों की बताता हूं । हमारे साथी अवस्थी जी भी अध्यापक थे और वह तो अब भी हैं और मैं भी किसी जमाने में अध्यापक था जब कि तनख्वाह तीन तीन महीने बाद मिलती थी और हम आपकी ही पार्टी में थे और अध्यापन कार्य ऊब कर छोड़ दिया क्योंकि थानेदार का घोड़ा ४५ रुपये घास खाने के लिये पाता है, और अगर अध्यापक बहुत बड़ी ट्रेनिंग ले लेगा तो ४५ रुपये पायेगा, दारोगा के घोड़े

के बराबर उसकी तनख्वाह हो जायेगी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के करीकुलम में लिखा हुआ ह कि एक फारेन लेंगुएज होगी। उसका मतलब यह नहीं है फारेन लेंगुएज के माने अंग्रेजी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड समझता है कि फारेन लेंगुएज के मानी हैं कि अंग्रेजी ही रहेगी। क्यों नहीं उड़िया, बंगला, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलगू पढ़ायी जाती है? मराठी, गुजराती और हिन्दी तीनों की नागरी लिपियां हैं। गुरुमुखी का हिन्दी से बहुत बड़ा साम्य है। यह होते हुए अंग्रेजी लायी जाय।

प्रस्ताव में कहा गया है कि अंग्रेजी कम्पल्सरी न हो, लेकिन कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में जो लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहेंगे उनका क्या होगा? एक यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित कमेटी बनी थी, उसने सिपारिश की है कि अंग्रेजी का माध्यम जरूरी हो जाता है। इस तरह से सोचने वाले लोग, तामिलनाद के सुब्रमनियम् और राजगोपालाचार्य हैं जो इस देश पर अंग्रेजी लाद रहे हैं। क्यों नहीं बंगला, उड़िया, तामिल, तेलगू कन्नड़, मराठी, गुजराती, गुरमुखी रखी जाय? अगर प्रदेशीय सरकार कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहती है तो कमसे कम उसको इस प्रस्ताव के मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, बड़े-बड़े रायबहादुर, खानबहादुर, आक्सफर्ड, कैम्ब्रिज और हैरो में पढ़कर आये हैं। जो विदेशी भाषा पढ़ना चाहते हैं वह अलग से पढ़ें। दिल्ली में फारेन लेंगुएजेज इंस्टीट्यूट खुला है या खुलने वाला है। उस इंस्टीट्यूट में पढ़ें। रूस में एक फारेन लेंगुएजेज इंस्टीट्यूट खुला है जहां पर विदेशी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं और पढ़ायी जाती हैं। यह सरकारी लोग और सरकारी दिमाग रखने वाले लोग यह नहीं कहते हैं कि मातृभाषा पढ़ायेंगे। साढ़े ६ लाख शब्द हिन्दी के हैं और ढाई तीन लाख अंग्रेजी के शब्द हैं। हिन्दी घनी है या अंग्रेजी?

लोग कहते हैं कि अंग्रेजी के शब्द मंजे हुए हैं। जब किसी से माल लेने की जरूरत पड़ती है तो कहा जाता है "थैंक यू" जरा रुमाल दे दीजिये। हिन्दी के शब्द मंजे हुए नहीं हैं। यह बात तो वैसी ही है जैसे श्रीमन्, जब हमारे यहां तिलक चढ़ता है तो बड़े-बड़े बर्तन मिलते हैं जो कि घर में इस्तेमाल नहीं होते। वे घर के एक कोने में रख दिये जाते हैं। उन पर मिट्टी जम जाती है। घर के बर्तनों की सफाई होती है। उसी प्रकार हिन्दी के शब्दों की सफाई नहीं होती, अंग्रेजी के शब्दों की सफाई होती रहती है। माननीय अग्रवाल जी जैसे व्यक्ति कहते हैं कि विदेशी बर्तन में खायेंगे और मातृभाषा के बर्तन कोने में रख देते हैं, हटाओ उनको मेरे लड़के की शादी में इनका इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी खराद करवानी पड़ेगी। हम चाहते हैं मातृभाषा के बर्तन रोज मांजे जायं, हिन्दी के शब्द रोज मांजे जायं। हिन्दी विशाल है। हिन्दी के बहुत से शब्द हैं जो मराठी, गुजराती आदि से मिलते हैं, क्योंकि इन सभी का मूल स्रोत संस्कृत है। संस्कृत के शब्दों का प्रवेश हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती सब में है। बंगला में भी है, तामिल में भी बहुत ऐसे शब्द हैं। तो उन शब्दों को हम मानें। बाटिल अंग्रेजी का शब्द है उसका हिन्दी रूप हमने बोतल बना लिया, रेलवे है, उसको रेलवई कहते हैं, स्टेशन को टेशन कहते हैं, ये अंग्रीजी के शब्द नहीं रह गए हैं, इनको तो हमने हिन्दी बना लिया है। तो एक विशाल दृष्टिकोण से इसको देखिये। यह फरमान निकालिये कि कचहरी से लेकर स्कूल तक माध्यमिक शिक्षा तक अंग्रेजी विदेशी भाषा का नाम भी न हो। उसके बाद क्या हो? महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज यहां से चले जायं चाहे भले ही यहां अराजकता हो जाय, लेकिन विदेशी जरूर चले जायं। हमारा भी यही कहना है कि अंग्रेजी जरूर चली जाय, हटाइए अंग्रेजी को। अब उसकी जगह पर कौन भाषा आये आपस में सब बहनें बैठकर तय कर लेंगी।

श्रीमन्, यहां की राष्ट्रभाषा हिन्दी है, लेकिन लखनऊ जैसे शहर में और मलीहाबाद में हेयर कटिंग सेलून अभी तक लिखा हुआ मिलता है। मैं तो अभी मध्य प्रदेश गया था, गुजरात गया था, अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन में जगह जगह मैंने देखा, इन्दौर, भोपाल आदि जगहों में सब जगह "बाल कतरने की दूकान" लिखा हुआ था। कहीं भी वेजीटेरियन और नानवेजीटेरियन लिखा हुआ नहीं मिला, उसकी जगह शाकाहारी और मांसाहारी लिखा था, विश्रामालय लिखा

[श्री उग्रसेन]

हुआ मिला वेटिंग रूम के लिये । सड़कों के नाम वहां लाटूश रोड और क्लाइव रोड नहीं हैं बल्कि अशोक मार्ग, छिप्रा नदी मार्ग आदि है । मैंने तो एक जगह मलिक मुहम्मद जायसी मार्ग लिखा हुआ पाया । तो मध्य प्रदेश की सरकार इन बातों को बढ़ावा देती है । गुजरात की सरकार देती है जहां मगन भाई देसाई उपकुलपति गुजरात विश्वविद्यालय को बड़े गुजराती हिन्दी के दलील देने वाले कहे जाते हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा । हाई कोर्ट के जज ने वहां के फैसले को उलट दिया । मगर क्या यहां का कोई जज या वाइस-चांसलर इसके लिये लड़ाई लड़ सकता है कि यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी ऐच्छिक विषय रहे ? यहां तो पी० ए० सी० की मांग यूनिवर्सिटी के लिये वाइस-चांसलर द्वारा होती है, लेकिन ऐसी कोई मांग नहीं देखी । सरकार रोज बयान देती है, उत्तर प्रदेश राज भाषा विधेयक एक कानून भी है, उसके बाद तीन या चार आर्डर्स भी निकले हैं । उनको भी मैंने पढ़ा है, देखा है । मगर हालत क्या है ? परिवहन पर मेरा सवाल हिन्दी में था । उत्तर भी हिन्दी में आया मगर जो जी० ओ० निकला था वह अंग्रेजी में था । क्यों आप अंग्रेजी को बढ़ावा देते है ? अगर यह उत्तर प्रदेश सरकार अंग्रेजी को बढ़ावा न दे तो कैसे ये चीफ सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारी अपना नाम अंग्रेजी में लिखवाये हुए हों । कंसीलिएशन आफिस लिखा हुआ है । क्या संराधन कार्यालय नहीं लिखा जा सकता था ? लेबर कमिश्नर को श्रमायुक्त नहीं लिखा जा सकता था ? कचहरियों में आपने देखा होगा श्रीमन्, देवरिया में भी देखा होगा, हर जगह अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है । आप वास्तव में चाहते नहीं कि माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा में हो और आगे चलकर वह कोई भी अन्तर्प्रान्तीय भाषा पढ़े । कभी लोग यह दलील देते हैं कि उसके लिये कितने मास्टर रखने पड़ेंगे ? मैं कहता हूं कि गुलामी के एक मास्टर की जगह अगर हमें अपने चार रखने पड़ें तो वह भी हमें करना चाहिये और मास्टर ज्यादा रखने नहीं पड़ेंगे, उतने ही रहेंगे । अगर बंगाली टोला में एक बंगाली का मास्टर रखते हैं तो जिसको बंगाली पढ़ना हो वह वहां जायेगा । इस तरह उतने ही मास्टरों से काम होगा ।

मैं यह और कहना चाहूंगा कि यह दलील न दी जाय कि हमारी हिन्दी में ज्ञान विज्ञान नहीं है । हम विज्ञान कैसे पढ़ेंगे ? आप नहीं जानते । हिन्दी में क्या नहीं है ? स्पूतनिक के सारे पुर्जों का नाम अगर रूसी में हो सकता है तो हिन्दी में क्यों नहीं हो सकता । स्वर्गीय रामदास जी गौड़ ने विज्ञान हस्तामलक नाम की एक पुस्तक लिखी थी । बनारस में शायद हिन्दी में सर्वप्रथम वैज्ञानिक शब्दों की वही पुस्तक डाक्टर रामदास गौड़ द्वारा लिखी गई थी । वह पुस्तक जब आयी तब लोगों के कान खड़े हो गए कि क्या हिन्दी में भी ऐसी वैज्ञानिक पुस्तक लिखी जा सकती है । मगर सरकार चाहती नहीं है । यह सरकार यहां पर अंग्रेजी लादे हुये हैं । अंग्रेजी को यह सरकार चलाना चाहती है । अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाय तो मैं समझता हूं इससे बहुत भला हो जाय । मैंने देखा है कि तामिलनाड वाले चाहते हैं कि हिन्दी आ जाय ।

मैं राजगोपालाचार्य की बात कहता हूं कि वह आज अंग्रेजी की दुहाई देते हैं, लेकिन मैंने पता लगाया क्योंकि तामिलनाड के दो सदस्य वहां पर "अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन" वाली सभा में आय थे उन्होंने बताया था कि राजगोपालाचार्य जी तो इसलिये अंग्रेजी की दुहाई देते हैं कि जवाहरलाल नेहरू उसकी दुहाई देत हैं चाह वह एलिजाबेथ को बुलाकर अंग्रजी को बढ़ावा दें या १५ वर्ष की अवधि अंग्रेजी के लिये बढ़ाकर इसकी दुहाई दें, लेकिन राजगोपालाचार्य जी क जो पोते नाती हैं वह सब हिन्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि वे जानते ह कि आगे भारत का शासन जिन लोगों के हाथ में आने वाला है वह सब हिन्दी जानने वाले होंगे । अपने देश की भाषा की बदौलत ही आज अमेरिका कैलाश बना हुआ है । इस वजह से राजगोपालाचार्य के पोते भी हिन्दी पढ़ने में लगे हुये हैं । वह तो जब यहां पर अंग्रेजी थी तब देश क नेता बने और जब हिन्दी आयेगी तब भी वह मालिक बनना चाहते हैं । इस कारण मेरा निवेदन है कि इन सब नेताओं को हिन्दी की शरण लनी पड़गी और आज वह उस तरफ देखने लगे हैं । यह सब बातें तामिलनाड और गुजरात के लोगों को मालूम हैं । तामिलनाड क लोग यह चाहते हैं कि उनके यहां हिन्दी राष्ट्र-

भाषा होनी चाहिये। तामिलनाड के लोग हिन्दी नहीं जानते हैं, लेकिन वह अंग्रेजी की मांग नहीं करते हैं। उनकी हिन्दी के लिये मांग है कि हमारे यहां हिन्दी होनी चाहिये। महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आन्ध्र आज यह मांग कर रहे हैं कि उनके यहां हिन्दी राष्ट्रभाषा कर दी जाय। इसलिये मैं वर्मा जी के संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्ताव को अनावश्यक समझता हूं और विशेषकर उस तर्क के सामने जो कि माननीय अवस्थी जी ने यहां पर दिया है प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में। इस उत्तराखंड के भाग में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध तो पहले ही से है। तीन प्रकार से उन्होंने इसका जिक्र किया। प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयों की शिक्षा। जहां तक मेरा विश्वास है और मेरी स्मृति जाती है सन् १९४८ से ही राज्याज्ञा इस सम्बन्ध में है कि प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाय। सन् १९५३ से ही बराबर यह चल रहा है कि जहां पर प्रारम्भिक शिक्षा में किसी कक्षा में १० विद्यार्थी हों या सारे स्कूल में ४० लड़के हों तो वहां पर मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाय। उनकी जो मातृभाषा हो वह उनके पिता घोषित करें। वह उनको पढ़ाई जायगी। तो जहां तक इस प्रारम्भिक शिक्षा का प्रश्न है उसमें और क्या किया जाय? इस विधान भवन से और अधिक क्या आप चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में सरकार को जो करना था वह उसने कर दिया है। इस प्रस्ताव से उसके लिये क्या होने वाला है?

जहां तक विश्वविद्यालयों का प्रश्न है वह तो विश्व की विद्या के आलय हैं। अगर वहां से वह विद्यालय हो जायगी तो फिर उनको विश्वविद्यालय कैसे कहा जायगा। वहां पर विश्व की विद्या नहीं रह जायगी। तो अब क्या कहा जा सकता है? माध्यमिक शिक्षा के लिये जो पाठ्यक्रम है उसमें किसी एक भाषा को प्रश्रय दिया गया है। वह उसमें किसी एक भाषा को लेले क्योंकि उसमें आधुनिक भाषा शब्द लिखा हुआ है। उसमें वह मेडिकल हो, साइन्स हो, इजीनियरिंग हो वह कोई भी ले सकता है। इस प्रलोभन को वह सामने रखता है जो कि उसको उस समय उस रास्ते पर चलने के लिये कहता है। वहां के ऊपर उसको वही दिखाई पड़ता है। यदि उस दिशा में हम प्रगति लाना चाहते हैं तो उसके लिये समाज में आन्दोलन करना होगा और हमको जन समाज का रूप बदलना होगा....

श्री अधिष्ठाता--आन्दोलन तो यही है। उस नीयत से अगर आप पसन्द करें तो उस पर जोर दीजिये।

श्री रामलखन मिश्र--मान्यवर, हर आन्दोलन के पीछे एक इतिहास रहता है, एक भावना रहती है। मैं उस भावना को इसके साथ जोड़ना नहीं चाहता और उस आन्दोलन का अर्थ भी नहीं जानता मैं तो उधर पीठ किये हुए था। तो मैं कह रहा था कि विश्वविद्यालय तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं उनकी स्वतंत्रता में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिये। मेरी जहां तक जानकारी है, लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जनरल इंग्लिश अनिवार्य है। अब उनके लिये पाठ्यक्रम हम यहां से तैयार कर के भेजें यह कुछ शोभनीय नहीं होगा। इस विषय म हमें जाना नहीं चाहिये। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का जहां तक सम्बन्ध है उसे तो अवस्थी जी ने स्वीकार कर लिया है कि पाठयक्रम में कोई दोष नहीं है। यहां से वह जारी किया गया है और उसमें केवल हिन्दी अनिवाय है। उस के अलावा वह कोई विदेशी भाषा ले सकता है। माननीय अवस्थी जी का कहना है कि विदेशी भाषा में वह अंग्रेजी ही क्यों लेते ह? इसके लिये तो जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया, हमें जनरुचि बदलनी होगी

(व्यवधान)

इतिहास का एक पथ रहता है देश के उत्थान में। आज विद्यार्थी को यही सुलभ दिखायी देती है। उसे यही सुविधाजनक दिखायी देती है और इसलिये वह यही चुन कर लेता है। विधान सभा से हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में

[श्री रामलखन मिश्र]

मेरा ऐसा विश्वास है कि विवेक की अपेक्षा मूर्छा अधिक है। मुझे स्मरण है कि पहले भी सदन में एक प्रस्ताव आया था कि अंग्रेजी कहीं भी न रहे, बिलकुल निकाल दी जाय और वह प्रस्ताव गिर गया था। उसकी छाया में, विकल्प रूप से यह प्रस्ताव आज आया हुआ है, लेकिन इसका चरित्र भी धुंधला है, स्पष्ट नहीं है। जितनी बातें इस प्रस्ताव द्वारा कही गयी हैं वह सरकार ने कर रखी है। पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है और उसमें परिवर्तन करना ठीक न होगा। जो बातें तर्क में प्रस्तुत की जाती हैं वह पाठ्यक्रम बदलने से ठीक नहीं हो सकतीं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि जो देश की भाषा की उन्नति न चाहेगा? ऐसा कौन होगा कि जो ज्ञान न बढ़ाना चाहेगा? संसार के ज्ञान को हम अपनी मातृभाषा में उतार सकें और उससे शिक्षा का क्रम चले, ऐसा कौन व्यक्ति न करना चाहेगा? लेकिन इतिहास के रास्ते पर हम जितनी दूर जा चुके हैं उस से हमें मुड़ना नहीं चाहिये। पाठ्यक्रम में बराबर इस बात की व्यवस्था है और यह अनिवार्य विषय नहीं है। यह प्रस्ताव अनावश्यक है। कितना ही जोर देदे कर हम इसकी उपयोगिता सिद्ध करना चाहें, लेकिन उस के बाद भी मुझे इसमें कोई यथार्थता नहीं दीखती। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है।

*श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)—माननीय वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं देख रहा हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य रामलखन मिश्र जी जैसे विद्वान आज सदन को और जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं। कहते हैं कि विश्वविद्यालय से अगर अंग्रेजी हटा ली जायगी तो उसका नाम विश्वविद्यालय नहीं रहेगा। मैं मिश्र जी से पूछना चाहता हूं कि क्या विदेशी भाषाओं में एक अंग्रेजी ही ऐसी भाषा है कि जो विदेशी भाषा मानी जा सकती है? रूसी भाषा भी विदेशी है, जापानी भी विदेशी है, चाइनीज भी विदेशी है और बहुत-सी भाषायें विदेशी हैं, लेकिन आप अंग्रेजी के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं?

सच बात तो यह है कि अंग्रेजी की मार्फत इस प्रदेश को और इस देश को धोखे में डालकर उस पर शोषण किया जा रहा है और यह सरकार १६ आने उन पर शोषण करना चाहती है। यह सरकार इस देश और इस प्रदेश की जनता को यह समझने देना नहीं चाहती है कि वह क्या कर रही है और वह उससे उनको फायदा उठाने देना नहीं चाहती। यह हो भी कैसे सकता है जबकि यह सरकार विदेशी भाषा में अपना राज-काज करे? सरकार की ओर से कहा जाता है कि हम हिन्दी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जनता को धोखे में डालने वाली बात है। मैंने स्वयं देखा है कि गल्ले के गोदामों में जब काश्तकार गल्ला देता है तो उसको रसीद अंग्रेजी में दी जाती है। वह बेचारा समझ ही नहीं पाता कि उसमें क्या लिखा है। यही नहीं, जिला सप्लाई आफिसर के यहां जब वह कोई दरख्वास्त सीमेंट के परमिट के लिये देता है, तो उसको परमिट भी अंग्रेजी में दिया जाता है। अब वह बचारा जो अंग्रेजी नहीं जानता, हर जगह उसको पढ़वाता फिरता है कि यह कितनी बोरी का परमिट है, किस दकान का है, कहां का है, इत्यादि। तो आज इतना ज्यादा अंग्रेजी का बोझ हमारे सर पर लाद दिया गया है कि जिसकी वजह से आज जनता परेशान है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मिश्र जी से कहना चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें।

आपने छठे दर्जे के बच्चों के लिये अंग्रेजी रखी है। उन बच्चों को पढ़ाया जाता है आर ए टी रैट। वह उसको रटता है और आर ए टी रैट, रैट माने चूहा। तो यह तो वह जानता है कि चूहा क्या होता है, उसको आर ए टी रैट पढ़ा कर चक्कर में डाला जाता है। उसके चक्कर में सारी विद्या उसकी छूट जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार इस बात को सोचे।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज अगर हमारा सारा काम काज हिन्दी भाषा में होगा तो उसको मामूली पढ़ा लिखा भी समझ सकेगा। अगर सरकारी कानून हिन्दी में बनेंगे तो मामूली पढ़ा-लिखा भी उसको समझ सकेगा और उस पर अमल कर सकेगा। आज सारा का सारा कानून आपका अंग्रेजी में भरा पड़ा है। हर कार्य आज आपका अंग्रेजी में हो रहा है। आप कहते हैं कि हमने उसको अनिवार्य नहीं किया है मगर ऐसा है नहीं। आज अंग्रेजी में कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती। वह नौकरी चाहे कोई भी हो। तो मैं कहता हूं कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। जो भी बच्चे आज स्कूलों में पढ़ते हैं उनके दिमागों में यही घुसा रहता है कि अगर हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल पायेगी। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय वर्मा जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है और उससे देश और प्रदेश की भलाई होने वाली है, इससे आज जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वह भी दूर होगा, जनता का उत्थान भी होगा और उसको राहत भी मिलेगी। जब रूसी अपनी रूसी भाषा में, जापानी जापानी भाषा में तथा अन्य देश अपनी-अपनी भाषा में विज्ञान सीख सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हम अपनी हिन्दी भाषा में विज्ञान न सीख सकें। आज आवश्यकता है कि जितनी भी अंग्रेजी में पुस्तकें हैं उनका हिन्दी में अनुवाद हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से तथा माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें।

*शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है और उसके सम्बन्ध में जो भी भाषण विरोधी पक्ष की ओर से अभी हुये उनको सुनकर मुझे कुछ भ्रम मालूम पड़ता है। आज सरकार की तरफ से हिन्दी के प्रसार और प्रचार के लिये हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। जहां तक कि प्रारंभिक शिक्षा का सम्बन्ध है वहां पर हिन्दी अनिवार्य ही है और उन बच्चों के लिये जिनकी मातृभाषा हिन्दी के अतिरिक्त कुछ और है यह सुविधा दी गयी है जैसा कि अभी बतलाया गया है कि जहां ४० विद्यार्थी एक स्कूल में हैं और १० एक कक्षा में ऐसे हों जिनकी मातृ-भाषा दूसरी है तो उनके लिये उनकी मातृभाषा के अनुसार चाहे बंगाली हो, चाहे तेलगू हो, कोई भी हो उसकी शिक्षा देने का प्रबंध गवर्नमेंट ने किया है और करने के आदेश दिये हैं। यह चीज़ तो गवर्नमेंट कर ही रही है और मैं समझता हूं कि यही उद्देश्य हमारे प्रस्तावक महोदय का था कि मातृ-भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाय।

एक दलील में यह कहा गया एक भाषण में कि लारेटो और कौनवेंट्स में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। उसमें भ्रम है। बच्चों को अधिकार है कि अगर वह मातृ-भाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो लारेटो और कौनवेंट्स में जाने की आवश्यकता नहीं है और स्कूलों में जा सकते हैं। यह बात नहीं है कि शिक्षा हिन्दी में ही दी जायगी, व्यवस्था यह है कि बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिये। अगर कोई अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती है, मना नहीं कर सकती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—दुनियां में किसी जगह ऐसा नहीं है कि माध्यमिक स्तर पर, बारहवें दर्जे में शिक्षा किसी विदेशी भाषा के माध्यम से दी जाय।

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे नहीं मालूम है कि किसी अन्य देश में उस देश की भाषा के अलावा दूसरी भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाता है या नहीं, लेकिन मैं तो यहां की जो परिस्थिति है, जो वास्तविकता है उसको बतला रहा हूं। मैं समझता हूं कि जो उद्देश्य है प्रस्ताव का, जहां तक प्रारंभिक शिक्षा का प्रश्न है उसके लिये आदेश भी जारी किये गये हैं और उनके अनुसार कार्य भी होता है और शिक्षा मातृ-भाषा में दी जाती है।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का स्तर है, वहां पर भी हिन्दी तो अनिवार्य है ही, उसके अलावा एक भाषा और है उसमें वह चाहे अंग्रेजी ले या किसी और भाषा को ले सकता है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस बात की कोशिश है इस प्रस्ताव के द्वारा कि हिन्दी का प्रचार हो,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य जुगलकिशोर]

प्रसार हो, बच्चों को हिन्दी पढ़ने की सुविधायें हों, जो बच्चे हिन्दी के जरिये से और विषयों को पढ़ना चाहते हैं उनको सुविधायें हों, तो माध्यमिक शिक्षा में कोई रुकावट उनके लिये नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से जब तक हमारे देश में हिन्दी की पुस्तकें और साहित्य इतना न हो जाय कि सभी विश्वविद्यालय हमारे देश की राष्ट्रभाषा को न अपना लें तब तक यह महसूस किया गया कि अंग्रेजी को बिलकुल वहां से निकाल देना, उसके पढ़ाने की सहूलियत न देना यह उनके लिये एक बड़ी मुश्किल की बात होगी--उन युवकों के लिये जो सारे देश भर के कम्पेटीशंस में या अन्य जगहों में जाना चाहते हैं।

इसके अलावा इस बात की भी आवश्यकता है कि आज हमें विदेशों से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करना है और उसकी आवश्यकता है। यह हो सकता है कि वह चाहे अंग्रेजी भाषा के जरिये से करें अथवा दूसरी किसी भाषा से--जर्मन, रशियन, फ्रेंच से--इनके जरिये से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह प्रस्तावक का उद्देश्य नहीं है कि अंग्रेजी को छोड़कर हम किसी दूसरी भाषाओं के जरिये से करें। हो सकता है कि उनके दिल में खयाल हो और हो सकता है कि उससे प्रभावित होकर उन्होंने यह कदम बढ़ाया हो कि अंग्रेजी का बहिष्कार करें। अगर इस दृष्टि से यह प्रस्ताव रखा गया है तो यह गवर्नमेंट की नीति नहीं है कि हम अंग्रेजी का बहिष्कार करें, लेकिन अगर उनका विचार यह है कि हम हिन्दी का प्रचार करें, हम हिन्दी में बच्चों को शिक्षा दें और हिन्दी के साहित्य को बढ़ायें तो उसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं और हमारी गवर्नमेंट भी उनके साथ है। तो मुझे स्पष्टीकरण यह करना है कि विश्वविद्यालय में भी हिन्दी विषय विद्यार्थी ले सकता है। साहित्य के लिये अंग्रेजी लेने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी को जेनरल सब्जेक्ट बना दिया गया है। अगर कोई छात्र अंग्रेजी में फेल भी हो जाय तो उसको दोबारा तिबारा मौका दिया जाता है, उसके आगे बढ़ने में इससे कोई रुकावट नहीं पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी में यह स्वतंत्रता कर दी गई है। लेकिन यूनिवर्सिटियां स्वतंत्र हैं, वे स्वयं अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करती हैं, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते। हिन्दी पढ़ने के लिये तो हम सुविधायें प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हम यूनिवर्सिटी को मना नहीं कर सकते कि वह अंग्रेजी न पढ़ायें और मैं यह समझता हूं कि अगर ऐसा किया जाय तो हमारा वह कदम आगे की तरफ बढ़ने का नहीं होगा बल्कि हमको पीछे ही ले जायगा।

इससे आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट की हर कोशिश हिन्दी को आगे बढ़ाने की है, हिन्दी साहित्य को आगे बढ़ाने की है और उसको हिन्दी के साथ प्रेम है। हम वास्तविक रूप में हिन्दी को राष्ट्र भाषा स्वीकार करना चाहते हैं। जहां तक गवर्नमेंट की नीति है वह बिल्कुल स्पष्ट है। बच्चों को हिन्दी में शिक्षा दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा में हिन्दी अनिवार्य है, लेकिन अगर कोई अंग्रेजी पढ़ना चाहता है तो उसको ले सकता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करने की अपनी नीति न रखें, लेकिन हम अपनी भाषा के प्रति प्रेम जरूर रखें। उसको बढ़ाने के लिये हम हर सम्भव सुविधा प्रदान करते हैं। गवर्नमेंट इसके लिये हर सम्भव प्रयत्न करती है। कुछ लोगों को अंग्रेजी का बहिष्कार करने की जो नीति है वह राजनीतिक दृष्टि से उनके लिये मुनासिब हो, सकता है, लकिन सरकार उससे सहमत नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--अब इस वक्त मैं आपके सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर इस समय गवर्नमेंट का रुख स्पष्ट हो गया, शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया मैं श्री राजनारायण जी और श्री चन्द्रजीत जी यादव को सजेस्ट करना चाहता हूं कि सुबह सदन में जो बात चीत हुई थी उसके लिये इस समय मौका है कि अगर इस वक्त विचार कर लिया जाय तो जो दूसरा गैर सरकारी प्रस्ताव श्री मदन पांडेय जी का गन्ने के दाम वाला है वह आ सकता है। अगर आप लोग पसन्द करें तो मैं समझता हूं कि अब माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषण के बाद प्रस्तावक महोदय उत्तर दे दें और उसके बाद इस पर विचार कर लिया जाय और आखिरी फैसला दे दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अभी एक आध भाषण हो जाने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—तो अभी इसको चलने दिया जाय ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं अंग्रेजी के बारे में बहुत देर से सुन रहा हूं। अपने यहां अंग्रेजी वाले करीब ४० लाख हैं और वही सब ब्राह्मण हैं, बाकी सब अछूत हैं। श्रीमन्, हिन्दी पढ़ने वाले सब अछूत और यहां सदन में भी सब अछूत हैं जो हिन्दी पढ़ने वाले हैं। आगे बैठने वाले सब बी० ए० एम० ए०, नेता हैं, वही बोलते हैं, हमारा नम्बर आता ही नहीं।, अंग्रेजी पढ़ने वाले जब चाहें तब बोलें। श्रीमन्, आप भी थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़े हैं, आप भी अंग्रेजी वालों की मान लेते हैं। अंग्रेज चले गये और अंग्रेज जब गये तो हम में से लाखों के हाथपैर तोड़ गये, हजारों फांसी के तख्ते पर झूल गये, अनेकों माताएं और बहनें बेवा हो गयीं, बहन बिना भाई के हो गयी जब अंग्रेज गये थे। अंग्रेज रूपी झाड़ी को हमने काट दिया लेकिन उससे ठूंठ बाकी ही रह गयी है। जब तक उन ठूंठों को नहीं उखाड़ा जायगा तब तक हिन्दुस्तान आजाद नहीं हो सकता है। किसी देश को अगर गुलाम बनाना हो तो उसकी भाषा को खत्म कर दीजये। आज अंग्रेजी बोलने वालों को देखिये। आज बहुत से बूढ़े जब हिन्दी बोलते हैं तो तुतलाते हैं लेकिन जब अंग्रेजी बोलते हैं तो उडरडू करते हैं। अंग्रेजों की बीमारी हमने खदेड़ कर सात समुन्दर पार कर दी लकिन यह गिटपिट अभी बाकी ही रह गयी है। इन लोगों ने एक गुट बना लिया है। हमारे यहां ही देख लीजिये। क्या हो रहा है? बड़े-बड़े योग और तपस्या करने वालों को कोई नहीं पूछता। जब विरोधीदल का नेता बनाया गया तो श्री त्रिलोकीसिंह बन गये लेकिन गेंदासिंह रह गये इसलिये कि त्रिलोकीसिंह जी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं। अब तो अच्छा मेल मिल गया है नेता सदन और नेता विरोधीदल—दोनों ने ब्रह्मचर्य की टांग तोड़ दी है। इधर से नये खड़े होते हैं और उधर से न वे खड़े होते हैं—ऐसी सलहो एसी मलहो, वाको चूल न वाको तयो"।

एक बड़े मजे की चीज है। मैं मानता हूं। शाबाश। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल कहा कि नेता बड़े तिकड़म से बनते हैं। श्रीमन्, एक बात कहूं, आपके द्वारा, दो बार हार कर तो मुख्य मंत्री बन गये अगर तीन बार हार जाते तो खुदा बन जाते। तो फिर कोई जरूरत ही न रहती, सारी सृष्टि रचना ही कर डालते।

एक सज्जन ने कहा कि हिन्दी की जरूरत क्या है, यहां अंग्रेजीवाले हैं। यही लोग श्रीमन्, अंग्रेजी को बरकरार रखेंगे। एक ने कही कि साहब फलाने का लड़का हिन्दी पढ़ रहा है लेकिन मैं कहता हूं कि इन्हीं लीडरों के लड़के जर्मनी में पढ़ रहे हैं। हिन्दी पढ़ने की उनके यहां कोई जगह ही नहीं है। खाने की चीज और, दिखाने की और। मैं कहूंगा कि यह सरकार जब तक हिन्दी को कायम नहीं करेगी हिन्दुस्तान में हिन्दी, भारत में भारतीय भाषा जब तक कायम नहीं होती तब तक देश आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है।

वरं न राजन्कुराजराजन्,
वरं न मित्रो कुमित्र मित्रं ,
वरं न शिष्यो कुशिष्य शिष्यो,
वरं न दारा न कुदार दारा ।

देश में विदेशी चीज नहीं होनी चाहिये,। अपने देश की चीज टूटी, भोंड़ी, बुरी, निकम्मी, कैसी भी क्यों न हो, विदेशी चीज से वह अच्छी ही है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि यह दिखावटी मुलम्मा चीज बंद करो, सच्ची चीज को लाओ, इससे देश का कल्याण होगा, नकली चीज से न आज काम चलेगा न कल चलेगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषण को सुनने के बाद यह उचित समझा कि जो संकल्प का विषय है उसको जरा खोल दिया जाय। संकल्प में लिखा है कि "यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा मातृ

[श्री राजनारायण]

भाषा में हो और माध्यमिक शिक्षा में एक अन्य प्रचलित देश भाषा का पढ़ना अनिवार्य रहे तथा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं का पठन ऐच्छिक विषय के रूप में रहे।" इसमें ३ बातें हैं---मातृ भाषा में शिक्षा हो, हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू है। तो इस प्रस्ताव के मुताबिक सरकार के लिये यह अनिवार्य हो जायगा कि वह लोग जो उर्दू में पढ़ना चाहें उनके पढ़ने के लिये उर्दू की भी समुचित सुविधा दी जाय। इसलिये कहा गया कि हिन्दी में तो पढ़ाई होती है और इसकी वह मंशा नहीं थी, हिन्दी में भी हो और उर्दू में भी हो, किसी की मातृभाषा अगर बंगला है तो बंगला में भी हो, तामिल तेलगू है तो उसमें भी हो। यह तो इसका प्रथम अंश है।

इस का दूसरा भाग है कि माध्यमिक शिक्षा में एक अन्य प्रचलित देश भाषा का पढ़ना अनिवार्य रहे। जो १४ हमारी भाषायें हैं उनमें से कोई भाषा पढ़ाई जाय। आप देखें कि हम बराबर प्रयत्नशील हैं कि हमारे देश की एकता कायम रहे। हिन्दी का सम्मान बड़े-बड़े दक्षिण के नेता बुलन्द कर रहे हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश के नागरिक तामिल तेलगू पढ़ते हैं तो उसके ज्ञान से देश का भविष्य उज्ज्वल रहेगा, हम अपने को एक दूसरे से व्यक्त कर सकेंगे। इसका ध्येय यही है कि इससे सारा राष्ट्र एकता में बंध सकेगा और इसलिये यह रखा गया है कि उत्तर प्रदेश के नागरिक अन्य भाषाओं की भी जानकारी हासिल करें।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---श्रीमन्, मैं एक जानकारी हासिल करना चाहता था, एक स्पष्टीकरण उनसे चाहता था आप इजाजत दें तो . . .

श्री अधिष्ठाता---आप कहें क्या कहना है, वह बैठ गये हैं।

श्री सुरथबहादुर शाह---मैं जानना चाहता हूं कि जहां प्रस्ताव में उन्होंने अन्य भाषाओं का जिक्र किया है वहां हमारे पड़ोस में नैपाल है, तो क्या वह और भाषाओं की भांति नैपाली भाषा को भी यहां पढ़ाने की मांग करेंगे ?

श्री राजनारायण---यह जो प्रस्ताव है इसका दूसरा अंग मैं समझा रहा हूं। इस प्रस्ताव में, अपने संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वे यहां ऐच्छिक विषय में पढ़ाई जायं ऐसा प्रस्ताव की मंशा है। यह सही है कि नैपाल हमारे पड़ोस में है और हम उनकी भाषा सीखें तो अच्छा है, कोई खराब बात नहीं है। उसके अलावा और अन्य भाषायें भी सीख सकें तो बुरी बात नहीं है।

तीसरी बात इस प्रस्ताव में यह है कि अंग्रेजी जो विश्वविद्यालयों में अनिवार्य हो रही है वह अनिवार्य न रहकर ऐच्छिक रहे। प्रस्ताव बिलकुल साफ है, माननीय आचार्य जी इसको यह भी कह सकते हैं कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी का प्रचार हो या राजनीतिक उद्देश्य हो तो मैं साफ कह दूं कि राजनीतिक उद्देश्य में ही आज सब उद्देश्य हैं। श्रीमन्, किससे कहूं वहां तो बातें हो रही हैं, वह उधर को मुंह किये ह। आप उनसे कहें कि जरा ध्यान इधर भी दें. . . .

श्री अधिष्ठाता---शिक्षा मंत्री जी आप की बात सुन रहे हैं।

श्री राजनारायण---शांतिप्रपन्न जी आप सुनें। राजनीति और प्रथम नीति। महात्मा गांधी से डाक्टर सुशीला नायर ने प्रश्न किया था, जब भारत स्वाधीन हुआ और अंग्रेज चले गये, कि बापू अब तो आप अपना समय समाज सुधार में लगायेंगे। गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया कि अब मैं राजनीति को शुद्ध करने में समय लगाऊंगा। बिना राजनीति को शुद्ध किये हुये हम समाज को सुधार नहीं पाएंगे। गांधी जी की आत्मकथा को पढ़ लें। डाक्टर सुशीला नायर जो कि २१ महीने गांधी जी के पास रहीं अहमदनगर फोर्ट में, उन्होंने नित्य प्रति की डायरी को लिखा है। उसे पढ़ा जाय तो मालूम होगा। गांधी जी ने कहा कि अगर राजनीति को मैं कोई पाप की चीज समझता तो राजनीति में आता ही नहीं। राजनीति

ही धर्म है। आज बहुत से लोग धर्म और राजनीति में बड़ा फर्क कर देते हैं। तो उसकी भी एक परिभाषा डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने लोगों के समझने के लिये उपस्थित कर दी है। उनका कहना है, जिसको मैं मानता हूं, कि धर्म और राजनीति में क्या फर्क है? धर्म दीर्घकालीन राजनीति है जिसका काम है अच्छाई करे और स्तुति करे। राजनीति अल्पकालीन धर्म है जिसका काम है बुराई से लड़ें और बुराई की निन्दा करें। धर्म जब अच्छाई करना छोड़ देगा, केवल स्तुति करने लगेगा पूर्व की गई अच्छाई की और अच्छाई नहीं रह जाएगी। तो वह धर्म निष्प्राण हो जायगा, निर्जीव हो जायगा। राजनीति जब केवल बुराई की निन्दा मात्र ही करने लगेगी और बुराई से लड़ाई लड़ना छोड़ देगी तो वह छली, कपटी और कलही हो जाएगी। आज हमारे देश की और प्रदेश की राजनीति तो निश्चित रूप से इसी प्रकार की है। अपने घर पर, कमरे में, बस में, सब जगह कोसते हैं केवल रांड की तरह, केवल निन्दा करते हैं, बुराई से लड़ते नहीं। अगर लड़ें बुराई से तो सोशलिस्ट पार्टी के स्वयसेवकों की तरह जेल जाना पड़ेगा हर साल। सविनय अवज्ञा आन्दोलन करना पड़ेगा और उसमें जेल, जुर्माना और डंडे को भुगतना पड़ेगा। हम राजनीति और धर्मनीति में कोई बड़ा फर्क नहीं करते। अल्पकालीन धर्म राजनीति है और दीर्घकालीन राजनीति धर्म है।

श्रीमन्, हमने गांधी जी की आत्मकथा में जो पढ़ा है वह उन्हीं के शब्दों में पढ़ रहा हूं "मैंने शुरू से यह माना है कि जो हिन्दुस्तानी माता-पिता अपने बालकों को बचपन से ही अंग्रेज़ी पढ़ना और बोलना सिखा देते हैं वे उनका और देश का द्रोह करते हैं"। तो क्या आज यह सरकार देशद्रोही नहीं हुई। मैं समझता हूं कि गांधी जी के इस ख्याल से आज यह वर्तमान सरकार राष्ट्रद्रोही है। देशद्रोही है। जो मांटेसरी के स्कूल हैं उनमें क्या हो रहा है? ऊटी में जो हो रहा है वह क्या हो रहा है? देहरादून में जो हो रहा है वह क्या हो रहा है? यह सरकार की ओर से व्यवस्था है। आज भी बच्चे प्रारम्भिक काल से अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं। इसलिये यह कितना निर्दोष प्रस्ताव है राष्ट्र को बनाने वाला। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि अंग्रेजी हमारे देश से हटाई जाय। अंग्रेजी का हटाना अनिवार्य है और मैं आप के द्वारा अपने उन दोस्तों से कहना चाहता हूं जो आज अंग्रेजी हटाने के आंदोलन को केवल एक सांस्कृतिक आंदोलन मात्र मानते हैं कि अंग्रेजी को हटाने का संबंध देश की गरीबी को हटाने से हो गया है। जो गरीब है वह हिन्दी में या उर्दू में सस्ती और अच्छी पढ़ाई पायेगा या अंग्रेजी में? अंग्रेजी की पढ़ाई महंगी है, मुश्किल है और जैसा राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा था कि बच्चों के सर पर कितना बोझ है। मातृभाषा पेट से निकलते ही, माता के साथ बोलने चालने से मातृभाषा बन जाती है, हमारा माध्यम ज्ञान का आरम्भ से ही मातृभाषा है तो उसमें सरलता होगी या किसी विदेशी भाषा में? स्पष्ट है कि मातृभाषा में ही होगी। इसीलिये हम लोग इस पर जोर देते हैं।

गांधी जी भी, हमें अफसोस है कि उनका चित्र यहां टंगा हुआ है, मैं उनकी दो घटनाओं का वर्णन करना चाहता हूं। एक बार जब अफ्रीका सत्याग्रह की समाप्ति पर वह अपने देश में आये थे तो बम्बई में कुछ लोगों ने उनका स्वागत समारोह में भाषण किया जो अंग्रेजी में हुआ। उन्होंने कहा मुझको कष्ट हुआ और उन्होंने गुजरातियों से कहा कि तुम हमारा स्वागत करते हो या अनादर करते हो? क्या हम गुजराती नहीं हैं, तुम गुजराती नहीं हो? तुम एक गुजराती का स्वागत कर रहे हो अंग्रेज़ी भाषा में इससे बढ़ कर हमारा अपमान क्या हो सकता है। जब रंगरूटों की भरती हो रही थी और वायसराय ने दिल्ली में चन्द नेताओं को बुलाया था जिसमें गांधी जी भी थे तो गांधी जी ने कहा था कि फौज में रंगरूट भरती हों, वायसराय की सभा में पहली बार गांधी जी ने कहा कि मैं हिन्दी में बोलूंगा, अंग्रेज़ी में नहीं बोलूंगा। अजीब बात है अपने ही देश में अपनी ही समस्याओं पर गैर मुल्की भाषा में बोलना पड़े। वायसराय को झुकना पड़ा और गांधी जी हिन्दी में बोले। बड़े-बड़े पुराने सरमायेदार वहां बैठे थे, अफसर बैठे थे, सब ने दातों तले उंगली दबायी और उनके राष्ट्रभाषा प्रेम को देख कर आश्चर्य चकित हो गये। उसी गांधी के मुल्क में आज हमारे मंत्री लोग कहें कि अंग्रेज़ी के पढ़े बिना काम नहीं चलेगा।

[श्री राजनारायण]

मैं कहना चाहता हूं आज जो लोग अंग्रेजी अपने बच्चों को पढ़ा कर विज्ञान की तरक्की करने की बात करते हैं वे अपने हाथों दुख से चुभते हुए शूल पर शर्म की कालिख पोतते हैं। इससे बढ़कर दासता का क्या प्रतीक हो सकता है। जिस कौम ने १५० साल तक हम को दास बनाया था, आज दुनिया में हिन्दुस्तान ही ऐसा अभागा देश है जो उस कौम की भाषा अपनी छाती पर लादे हुए हैं। इससे बढ़ कर बेहयाई, बेशर्मी हो क्या सकती है? इसलिये इस संकल्प को प्रस्तुत किया गया है। अनिवार्य है, कहा जाता है कि विज्ञान की तरक्की कैसे होगी? देखा जाय जापान की सरकार ने एक बार अपने यहां से कुछ स्नातकों को इंगलैन्ड में विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा। शिक्षा प्राप्त कर के लौटे, काफ़ी चर्चा हुई कि आगे हमारे यहां पढ़ाई अंग्रेजी में हो या अपनी भाषा में हो? अन्त में सरकार ने आदेश किया, नहीं जो शब्द ऐसे हैं जो किसी टेक्नीकल तरीके से इस्तेमाल होने वाले हैं उनको ले लें लेकिन बच्चों की पढ़ाई अपनी ही भाषा में हो। मैं जानना चाहता हूं रूस जो आज स्पुतनिक उड़ा रहा है उसने क्या अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा में साइन्स पढ़ाया? अपनी मातृभाषा में पढ़ाया। आज रूस भारत की भर्त्सना करता है। हमारे यहां के प्रधान मंत्री की बहन श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जब रूस में भारत की राजदूत हो कर गई तो स्टालिन ने उनसे मिलना पसन्द नहीं किया। इतनी हमारी बेइज्जती हो रही है। हमें तो आश्चर्य हुआ आचार्य जी को सुनकर। हम तो समझते थे कि आचार्य जी यहां आ गये हैं तो उनके आने मात्र से इस संकल्प को वह अच्छा कहेंगे कि इसको हम माने लेते हैं और इसके मुताबिक कार्यवाही करेंगे। हम इस बात को ले कर चाहते थे कि आचार्य जी यहां विद्यमान हो जायं मगर वह भी कहते हैं कि अंग्रेजी हटेगी तो बड़ा गजब हो जायगा। इसका मतलब है अंग्रेजी हटायें। लार्ड मैकाले के मकड़ जाल में हम नहीं फंसना चाहते। देखना चाहिये आज क्या स्थिति है। यहां पर चाऊ-एन-लाई आये, ख्रुश्चेव और बुल्गानिन आये। वह कहते हैं तुम अपना मसविदा मूल हिन्दी में करो। चाहे उसका अनुवाद अंग्रेजी में रहे तो बात दूसरी है। यह सब हमारे लिये शर्म तथा निन्दा की बात नहीं है?

श्रीमन्, मुझे ज्ञात नहीं आप परसों यहां उपस्थित थे या नहीं मैंने महात्मा गांधी के उद्गार उस पत्र से पढ़े थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक भारत में राष्ट्र भाषा के रूप में अंग्रेजी कायम है तब तक भारत भाषा के सम्बन्ध में गुलाम है, इसलिये मैं उसे पूर्ण स्वाधीन नहीं कहता। क्या गांधी जी पागल थे, बेवकूफ थे, वे नहीं समझ पाते थे कि हमारे राष्ट्र की आकांक्षा क्या है? हम, ३९ करोड़ जनता जो अंग्रेजी नहीं जानती आज उसकी छाती पर बरबस अंग्रेजी चढ़ाये हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद ३५० का बड़े जोर से हवाला दिया जाता है कि अंग्रेजी हटाने के लिये संविधान बाधक है, बहुत से स्थानों पर अंग्रेजी नहीं हटाई जा सकती। संविधान की मर्यादा की सुरक्षा की जाय तो जिस महापुरुष को कुछ दिनों और भारत में रहना चाहिये था वह दुनिया से चला गया।

(इस समय ४ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

महात्मा गांधी के सम्बन्ध में यह मौलाना आजाद की किताब है। यह किताब अंग्रेजी में लिखी गयी है, अगर हिन्दी या उर्दू में लिखी गई होती तो भारत की जनता इन भावों को समझ कर कितना कष्ट पीड़ित होती। उन्होंने लिखा है—

"To our eternal shame and sorrow I have to say that the most elementary precautions were not taken even after this warning".

मौलाना आजाद ने लिखा है कि हम अपनी लज्जा और अपने दुख को हमेशा के लिये अंकित कर देना चाहते हैं कि जब १० दिन गांधी जी के मरने के पहले बम फटा था उससे जो चेतावनी सरकार को लेनी चाहिये थी वह हमारी सरकार ने नहीं ली और जो मामूली से मामूली कार्यवाही उनकी सुरक्षा के लिये होनी चाहिये थी वह सरकार ने नहीं की। संविधान का अनुच्छेद ३५१ मैं पढ़ देना चाहता हूं—"हिन्दी भाषा का प्रसार—वृद्धि करना,

उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक था वांछनीय हो वहां उसके---शब्द-भंडार के लिये मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।" मैं चाहता हूं कि इस अनुच्छेद पर सरकार ध्यान दे। इसमें निश्चित रूप से कहा गया है कि किस प्रकार से हिन्दी का प्रसार तथा संवृद्धि करना हमारा कर्तव्य होना चाहिये और इसी कर्तव्य के पालन हेतु माननीय रामस्वरूप जी ने अपना संकल्प यहां प्रस्तुत किया है। मैं जानना चाहता हूं कि आचार्य जी को इसके पूरा करने में क्या दिक्कत और बाधा है, सरकार इसे क्यों नहीं मानती।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--- प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---२३,

विपक्ष में---५४।)

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, यों तो मेरा कोई विचार इस संकल्प पर बोलने का नहीं था मगर नेता समाजवादी दल की कुछ बातें सुनकर जरूर यह इच्छा हुई कि मैं भी इसमें हिस्सा लूं।

मान्यवर, जब मैंने इस संकल्प को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो इसकी भावना है या जो इसके पीछे सिद्धान्त है उसके अनुरूप और अनुकूल तो आज भी सरकार की नीति है। मगर माननीय नेताजी के भाषण के बाद यह लगा कि उनको इतनी चिन्ता हिन्दी के प्रसार की नहीं है जितनी कि उनको चिढ़ और घृणा अंग्रेजी भाषा से है। उन्होंने अपने तमाम भाषण में शुरू से आखिर तक जो कुछ भी कहा उसमें हिन्दी के बारे में तो कम कहा, अंग्रेजी के ऊपर जितनी बौछार हो सकती थी उतनी उन्होंने की। उनकी भाषा सुन्दर होती है, कुछ शब्दों का अच्छा प्रयोग उनको आता है, क्योंकि वे वाराणसी से आते हैं, लेकिन शब्दों के आडम्बर में सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। यह सही है कि इस संकल्प के तीन हिस्से हैं। एक बात तो वे यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा में हो। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी अपने भाषण में कह चुके और पुनः माननीय राजनारायण जी की सूचना के लिये मैं भी यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार के यह आदेश हैं कि जो आपकी प्रारम्भिक शिक्षा है वह मातृ भाषा में ही होनी चाहिये। और यही नहीं, यहां तक भी आदेश हैं कि यद्यपि हमने यह मान लिया कि हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है और उत्तर प्रदेश की तो विशेषतौर पर हिन्दी है फिर भी हमने यहां तक माना है कि अगर किसी संस्था में ४० विद्यार्थी या किसी कक्षा में १० विद्यार्थी ऐसे हों जिनके माता-पिता यह कहें कि उनकी हिन्दी के अलावा दूसरी मातृभाषा है तो उनका उसी मातृ भाषा के अन्दर शिक्षा का इन्तजाम किया जाय, मान्यवर, ऐसे भी आदेश इस सरकार के हैं।

इसके बाद जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि हमारे यहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हिन्दी भाषा अनिवार्य है। लेकिन एक आप्शन है कि हाई स्कूल और इंटरमीडियेट में विद्यार्थियों को हिन्दी के अतिरिक्त या तो १४ अन्य प्रान्तीय भाषाओं में से एक को चुनना पड़ता है, या यदि कोई विद्यार्थी चाहे तो विदेशी भाषा को चुन सकता है। जो सज्जन चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी के बजाय कोई और देशी भाषा पढ़ाई जाय तो उसके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है। केवल विद्यार्थी को

[नवलकिशोर श्री]

आप्शन दिया गया है कि यदि वह चाहे तो विदेशी भाषा भी चुन सकता है। यदि राजनारायण जी को यह इच्छा होती कि अंग्रेजी के बजाय दूसरी कोई भाषा पढ़ाई जाय तो वह हाई स्कूल और इन्टर के सिलेबस में मौजूद है। लेकिन वह तो यह चाहते हैं कि हिन्दी पढ़ाई जाय और दूसरी १४ देशी भाषाओं में से कोई एक भाषा पढ़ाई जाय और विदेशी भाषा को पढ़ने का कोई आप्शन न हो।

मान्यवर, मैं सेंटीमेंट्स में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकल दिक्कत है वह यह है कि आप हिन्दुस्तान को आइसोलेटेड देश नहीं बना सकते हैं जब कि आपको अन्तर्राष्ट्रीय जगत में काम करना है। आपको संसार के अन्य देशों से सम्पर्क कायम करना है, विचार विनिमय करना है और पत्र-व्यवहार करना है तो विदेशी भाषा पढ़नी पड़ेगी। यह निर्विवाद है कि अंग्रेजी भाषा वह भाषा है जिसको दुनिया के ज्यादा लोग बोलते और जानते हैं। इसलिये विदेशी भाषा से कितनी ही नफरत क्यों न हो लेकिन यह सही है कि इससे बचा नहीं जा सकता है जब कि हमारा देश स्वतंत्र है और हमें दुनिया के अन्य नेशन्स के साथ बैठना पड़ता है तो ऐसे विद्यार्थी पैदा करने होंगे जिनको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो। चाहे किसी को पसन्द आये या न आये लेकिन इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी।

मान्यवर, इतना ही नहीं, यह भी एक दिक्कत है कि जहां तक विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा का सम्बन्ध है, यह सही है, चाहे हमारा दुर्भाग्य हो, कि हमारी राष्ट्रभाषा में इन विषयों की अच्छी पुस्तकें नहीं मिलतीं हैं। जो यह कहा गया है कि रूस में इतनी प्रगति विज्ञान की हुई है तो वहां तो उसकी भाषा है। यह बात भूलने की नहीं है कि इस देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि हमको १५० वर्ष गुलामी में काटने पड़े हैं जिससे हमारी राष्ट्रभाषा का इतना विकास नहीं हो सका कि हम चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विज्ञान की अच्छी पुस्तकें प्राप्त कर सकें। यह सही है और हमारे लिये बड़े शर्म की बात भी है। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी जिससे हमें गुजरना पड़ा। लेकिन आज वस्तु स्थिति यह है कि १३–१४ वर्ष की कोशिशों के बाद भी विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा की पुस्तकें हिन्दी में बनाने की चेष्टा की गई है लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम इस स्टेज पर पहुंच गये हैं कि विज्ञान, चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग की पुस्तकें हमारी भाषा में भी उसी स्तर की हैं जिस स्तर की दूसरी विदेशी भाषाओं में हैं। इसलिये हम इनसे अपने बच्चों को वंचित कर दें तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा।

मान्यवर, जब वह भाषण देते हैं तो बहुत सी बातें जोश में कह जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में यदि राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है तो बड़े शर्म की बात है। लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी नहीं है। हमारे विधान में बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है कि भारतवर्ष की राष्ट्र भाषा हिन्दी है। जो बात उन्होंने राष्ट्र भाषा की कही मैं समझता हूं कि वह सही नहीं है।

एक बात और वह चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टेज पर आप्शन दे दिया जाय। इसमें दो तीन दिक्कतें हैं। एक तो यह कि इस समय जो हमारे यहां सिलेबस हैं उसमें जहां तक मुझे मालूम है जनरल इंग्लिश कम्पल्सरी है। जहां तक अंग्रेजी साहित्य का सम्बन्ध है यह आप्शन है कि चाहे अंग्रेजी साहित्य पढ़ें, हिन्दी साहित्य पढ़े या कोई और साहित्य पढ़े। तो उनकी आपत्ति यहीं पर आ जाती है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर से जनरल इंग्लिश को हटा दो। मैं समझता हूं कि यह एक जिद की बात है। अगर माननीय नेता जी अपनी जिद को छोड़ दें और ठंडे दिमाग से सोचें––आप मेरी एक–आध बात सुन लें, आपको बड़ी शिकायत होती है जब हम आपकी बात नहीं सुनते।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि भाषण में पार्लियामेंटरी पद्धति ही अपनाएं। मेरे जरिये से ही कहें।

श्री नवलकिशोर---आपके द्वारा ही होना चाहिए था। लेकिन असल में उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि ध्यान चेयर से बट कर उधर पहुंच जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि वह अपनी जिद को छोड़ दें और जो बात वह चाहते हैं, जहां तक उनके सेंटीमेंट की बात है, कोई भी हमारे देश में ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसका प्रेम हिन्दी तथा इस देश की अन्य भाषाओं से उनके मुकाबले में कम हो। इसलिए वह वस्तु स्थिति को देखें और अपने साथी को सलाह दें कि वह अपने संकल्प को वापस लें।

*** श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी होशियारी में बड़ी गलती हो जाती है। मैं समझता था कि यह पहला प्रस्ताव देर तक चलेगा। हिन्दी वाला आयेगा ही नहीं। इसलिए मैं तैयार होकर नहीं आया था। लेकिन मैंने देखा कि हिन्दी वाला आ गया। लेकिन मैं माननीय नवलकिशोर जी को मुबारकबाद देता हूं कि उनके भाषण से मुझे उनका जवाब देने का मौका मिल गया।

बड़ी गलतफहमी है लोगों को, जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल बतलाया था कि हिन्दी हिन्दी जोर लगाते हुए क्या छोड़ दोगे मदरासियों को, क्या उनको इगनोर करोगे ? माफ कीजिये। माननीय राजा जी ने बनारस में कहा था कि अगर हिन्दी का जोर रहेगा तो मुल्क बट जायगा। लोगों को कुछ गलतफहमी है। इसका जवाब सेंटीमेंट से नहीं, दलील से देना पड़ेगा। मेरा खयाल है कि अगर दलील दी जाय तो मदरासी भी चाहेंगे कि हिन्दी हो। मैं प्रस्तावक महोदय को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट का ध्यान इधर आकर्षित किया। मैं आपके द्वारा नवलकिशोर जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने जो जवाब दिया, उसका जवाब मुझ से सुन लें। कौन कहता है कि अंग्रेजी न पढ़ायी जाय ? कोई मुखालिफत नहीं है, कि अंग्रेजी पढ़ायी जाय। अंग्रेजी जानें, संस्कृत जानें, उर्दू जानें, बीस जबानें जानें, ज्यादा जबानें जानेगा तो विद्वान कहलायेगा, अच्छी जगह पर जायेगा। इसमें सीखने वाले का फायदा है। अंग्रेजी की मुखालिफत कोई समझदार आदमी नहीं करेगा। लेकिन अंग्रेजी के लालच में हिन्दी छोड़ देने की मुखालिफत है कि अंग्रेजी सीखने में हिन्दी ही भूल जाय। मैं किसी दिन माननीय नवलकिशोर जी से कहूंगा कि वह मेरे साथ चलें मैं उनको मिलाऊंगा। इसी सेक्रेटरियट में, दोनों जबानों में एम० ए० पास किए हुए लोग हैं। चिट्ठी लिखवाऊंगा तो नहीं लिख सकेंगे। और अंग्रेजी भी अच्छी नहीं जानते हैं। हिन्दी तो वह जानते ही नहीं हैं। इसका नतीजा यह है कि दोनों भाषाओं में उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है। वही कहावत है कि "आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे" लोग समझते हैं कि हिन्दी अपनी जबान है, अपने आप आ जायेगी उसके पढ़ने की क्या जरूरत है।

लोग यह समझते हैं कि हरुफ पढ़ने लगेंगे तो हिन्दी आ जायगी। अंग्रेजी को वह सीखना चाहते हैं क्योंकि वह उनकी विदेशी जबान है। वह उनको आनी चाहिये। उसका नतीजा यह होता है कि जब आपस में लोग बैठते हैं तो यहां पर अंग्रेजी में बात करने लगते हैं। पहाड़ी मिलता है तो वह पहाड़ी में बात करता है। बंगाली मिलता है तो वह बंगाली जबान में बात करता है। मराठी आपस में मिलते हैं तो मराठी जबान में बात करते हैं लेकिन जब यू० पी० वाला आपस में मिलता है तो वह अंग्रेजी में बात करता है। यू० पी० के लोगों के घरों में लड़के और लड़कियां डैडी और मम्मी कहते हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारी जबान चौपट होती जा रही है। अगर आज इम्तहान लिया जाय तो बारीकी खुल जायगी। हुजूरवाला, नियम को 'नेम' कहते हैं और प्रकृति को 'परकरति' कहते हैं। क्षत्रिय को 'छत्री' कहते हैं और शरीर को 'सरीर' इसी सदन में लोग कहते हैं और मैंने इसको कहते सुना है। इसका कारण केवल यह है कि आप दो तरबूज खाना चाहते हैं। उसका यह परिणाम होना लाजिमी है कि एक जबान भी नहीं आयेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम शुक्ल]

हुजूरवाला, देखा जाय कि क्या होता है । यहां से गवर्नमेंट का आर्डर होता है और यहां से जी० ओ० जा चुका है कि चिट्ठी पर जवाब अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिन्दी में आना चाहिये लेकिन उठाकर देखिये कि किसमें जवाब आता है । जवाब अंग्रेजी में आता है । आपके सिर के ऊपर आपके आर्डर को तोड़ा जाता है । आपके हुकुम को माना नहीं जाता है । आपके सेक्रेटरियट में आपके क्लर्क आपके सामने अंग्रेजी में नोट लाकर रख देते हैं क्योंकि दो जबान वह पढ़ना चाहते हैं जिससे उनको हिन्दी नहीं आती है । हिन्दी में देखकर उसको काट देते हैं और उसको अंग्रेजी में लिख देते हैं । सरकार कहती है कि लोग हिन्दी जानें और हिन्दी पढ़ें और हिन्दी की पढ़ाई कम्पलसरी कर दी गई है लेकिन फिर भी यही दशा है । अगर लोगों की परीक्षा ली जाय तो मालूम होगा कि बहुत लोग हिन्दी नहीं जानते हैं । उनको हिन्दी का शुद्ध अर्थ भी मालूम नहीं रहता है । कुछ समय पहले सरकार ने बड़े जोश के साथ कहा था कि हिन्दी कर दी जायगी और यह होगा, वह होगा, लेकिन आप दूसरी जगह की बात तो करते हैं, मद्रास की बात करते हैं, लेकिन अपने यहां रोडवेज में छपे हुये पर्चे हिन्दी में हैं लेकिन कितना पैसा है, कितना मील है, वह सब अंग्रेजी में है । फार्म हिन्दी में छपा हुआ है पर आपके सिर के ऊपर आपका नौकर अंग्रेजी में उस पर काम करता है । अभी तक तो लोग छिपकर रिश्वत लेते थे लेकिन अब यह आपके सिर के ऊपर ही इस तरह के काम करने लगे हैं । तो फिर यह कैसे हुकूमत चलेगी । अगर आपकी डिसिप्लिन खराब हो जायगी, तो उसका नतीजा क्या होगा ? आपका शासन बिगड़ जायगा । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो हुक्म आपने भेजा है उसकी सख्ती के साथ जांच होनी चाहिये ।

मैं एक बात यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अगर सरकार की दिलचस्पी हिन्दी के होने में है तो आप मेहरबानी करके इन मास्टरों का फिर से इम्तहान लीजिये । जो होशियार मास्टर हैं उनसे कहिये कि वह पढ़ावें । अगर आपको एक साल के लिये पढ़ाई बन्द करनी पड़े तो आप बन्द कर दें । जो पढ़ाना नहीं जानते हैं, नकल करके पास हुये हैं और शिफारिश से नौकरी पा गये है उनका आप इम्तहान लीजिये । मेरे जिले में एक साहब आये मेरे यहां । उन्होंने कहा शुक्ल जी, बी० ए० में नम्बर कुछ घट गया है । आप कुछ अपना असर डालिए, कुछ नम्बर मिल जायं । वह मेरे जिले के एक रईस थे । मैंने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछता कि बस्ती जिले का डिक्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट कौन है तो मैं आपका नाम लेता । वाकई इतने ऊंचे कैरेक्टर के आदमी वह थे । मगर मैंने उनसे कहा कि आज आपकी इज्जत मेरी निगाह में घट गई । आप आये है मुझसे बेईमानी करवाने ? मैं सिफारिश कर दूं कि जो फेल हो गया है वह पास कर दिया जाय । उन्होंने कहा कि उसकी जिन्दगी खराब जायगी । मैंने कहा, बात तो ठीक है । एक साल के लिये वह पिछड़ जरूर जायगा लेकिन वह कितने आदमियों की जिन्दगी खराब करेगा अगर इस तरह वह पास हो जाता है ? तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें तो मेहरबानी करके इन मास्टरों का इम्तहान लीजिए । (व्यवधान) अगर मिनिस्टर चाहते हैं कि लोग पढ़ें तो खुद ही उन्हें इम्तहान देना चाहिए, उन्हें खुद सीख लेना चाहिये । इसीलिए अगर आप सीरियस हैं तो मेहरबानी करके उनको बचपन से ही पढ़वाइए । उसके बाद जो फर्स्ट क्लास फस्ट आये हिन्दी में वह दूसरी भाषा भी पढ़े, जरूर पढ़े । और विद्वान हो तो वह संस्कृत भी पढ़े, बड़ी मधुर भाषा है, अरबी बड़े, फारसी पढ़े, उर्दू पढ़े । लेकिन यह अक्लमन्दी नहीं है कि एक दूसरी जबान पढ़ने के लिए अपनी जबान भी छोड़ दे ।

मैं एक बात और अर्ज किये देता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद थे कल । मैं उनके कमरे में गया था । तब तक एक साहब आये बातचीत करने के लिए । अंग्रेजी में बोलने लगे । मैंने उनसे कहा आनरेबिल मुख्य मंत्री साहब जब आपके साथ कोई साहब बातचीत करने आये हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं तो आप उनसे मना कर दीजिए । आप अंग्रेजी में बात सुनते क्यों हैं ? तो उन्होंने कहा कि तुम लोग हिन्दी-हिन्दी इस तरह करोगे तो मद्रास वाले नाराज हो जायेंगे । तब मैंने उनसे कहा कि सत्याग्रह होगा हिन्दी के लिए । उन्होंने कहा कि कौन करेगा ? मैंने

कहा कि शायद मैं खुद भी उसमें रहूं । मैं यह बतला देना चाहता हूं इस फ्लोर पर कि मेरे दिमाग में यह स्कीम है । एक बहुत खूबसूरत, बहुत मीठा, बड़ा उम्दा सत्याग्रह मैं छेड़ दूंगा अगर हिन्दी न हुई । हां, वह हुल्लड़बाजी वाला सत्याग्रह मैं नहीं पसन्द करता । मैं एक खूबसूरत सत्याग्रह करूंगा जिसमें कि जिसके खिलाफ सत्याग्रह होगा उसको उस पर गौर करना पड़ेगा । (व्यवधान) अजी, एक राजनारायण हुए तो क्या हुआ ? मेरे साथ तो ईसाई होंगे, मुसलमान होंगे, पारसी होंगे । केवल हिन्दू अगर मेरे साथ हुए तो मैं अपने को कामयाब नहीं मानूंगा । जो बाहर के रहने वाले हैं उनको भी मैं अपने साथ लूंगा ।

मेरी तो प्रार्थना यह है कि अभी तो यह प्रस्ताव है, यह अर्ज किये देता हूं कि इस प्रस्ताव पर आप मेहरबानी करके ध्यान दीजिए । मैंने देखा है कि मिनिस्टर साहब के आफिस से डंके की चोट पर अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है और मिनिस्टर साहब उसे वापस नहीं करते । चिट्ठियां आती हैं । मैं लाया नहीं । कलेक्टरेट से मेरे पास अंग्रेजी में चिट्ठी आती है कि फलां तारीख को मीटिंग है । मैंने उनको लिखा कि मेरे पास अंग्रेजी में क्यों भेजते हो । तब एकाध दफा हिन्दी में चिट्ठी आयी । मगर फिर अंग्रेजी में आने लगी । मेरी प्रार्थना है कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन आपके कर्मचारी करते हैं । आप उन पर ऐक्शन लीजिए ।

जहां तक अंग्रेजी पढ़ने का सवाल है हिन्दी में जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आये उसे अंग्रेजी पढ़ाइए क्योंकि दुनिया में हमें अपनी धाक जमानी है । लेकिन यह याद रखिए कि इंगलैंड में जाकर के अगर हमारी हिन्दी अच्छी न हुई तो शिकायत हो जायगी, अंग्रेजी अच्छी न हुई तो शिकायत नहीं होगी । अभी मिसेज पंडित रूस गई थीं । वहां उन्होंने अंग्रेजी में बात करना शुरू किया तो उनसे कहा कि आप हिन्दी में बोलिए । मैं रूसी एम्बैसी में गया और मैंने कहा कि आप हिन्दी नहीं जानते हैं तो मैं अंग्रेजी में बोलूं ? तो उन्होंने कहा कि डैम अंग्रेजी, आप हिन्दी में बोलिए । काफी शब्द मौजूद हैं । आप जानते नहीं अपनी चीज को । अपने खजाने को आप भूल गये हैं । क्या फ्रान्स में, जर्मनी में, काबुल में अंग्रेजी है ? जो और मुल्क हैं क्या वह अंग्रेजी पढ़ कर ही अपनी कार्यवाही चलाते हैं ? जापान, रूस, चीन में क्या अंग्रेजी है ? और और मुल्कों का काम अंग्रेजी के बिना चल सकता है तो हमारे मुल्क में तो और भी बहुत सी चीजें हैं । हमारा संस्कृत का भंडार मौजूद है, वह एक खजाना है । लाल रोशनी हो गयी है इसलिए एक चीज कह कर ही मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं । एक ईसाई ने लिखा है :

यावत स्थास्यन्तिगिरय : सरितश्चमहीतले,
तावत ऋगवेद महमालोकेषुप्रचरिष्यति ।।

जब तक यहां पर पहाड़ हैं, नदियां हैं, तब तक ऋगवेद की महिमा संसार में फैलती रहेगी । यह ईसाई ने कहा, मुसलमानों ने उसकी तारीफ की । यह खजाना आपके पास है । इसलिये मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करता हूं कि बिना हिन्दी सीखे आप पिछड़ जायंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार व्यक्त कर के समाप्त करता हूं ।

श्री चन्दजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नन्दराम जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे माननीय नवल किशोर जी का भाषण सुन कर कुछ आश्चर्य हुआ इसलिये कि उन्होंने भाषण प्रारम्भ करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव की भाषा, भावना और उसके पीछे जो सिद्धान्त है उससे वह सहमत हैं लेकिन राजनारायण जी ने अपने भाषण में जो बातें कहीं उनसे उनका मतभेद है । अगर उस प्रकार की भाषा, भावना और सिद्धांत से वह समहत थे तो उचित यह होता कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन करते और अगर राजनारायण जी की कोई बात ठीक नहीं थी तो उसका विरोध करते । लेकिन अपने भाषण में आदि से अंत तक उन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया ।

यह प्रस्ताव तीन भागों में विभक्त है । इसमें तीन बातें कही गयी हैं । पहले तो यह कि हमारी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि इसमें इधर के या उधर

[श्री चन्द्रजीत यादव]

के किसी सदस्य को एतराज नहीं है और हर एक इससे सहमत है। सरकार की ओर से यह प्रयास है कि हमारे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाय । किन्तु कहीं-कहीं से ऐसी शिकायतें आती हैं कि जहां उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं वहां सरकार के आदेश के बावजूद भी ऐसे स्थान हैं कि जहां उनको अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिल पाती । अभी कल मुख्य मंत्री जी ने विधान परिषद् में इस बात का आश्वासन दिया है इस संबंध में । वह देखें कि उर्दू पढ़ने वालों को भी उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाय । मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में ठोस कदम उठाये और जहां जहां से ऐसी शिकायतें आती हैं उनको दूर करने की कोशिश करे ।

प्रस्ताव का दूसरा भाग यह है कि माध्यमिक शिक्षा में हमारे देश की कोई दूसरी भाषा अनिवार्य की जाय । श्रीमन्, मैं समझता हूं कि सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया है । आज हमारे देश में भाषा को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है और ऐसे झगड़े और रक्त-पात हो रहे हैं कि जो हमारे लिये शर्म की बात है । हम स्थिर चित्त होकर, ठंडे दिल से, दिमाग से सोचें कि इस समस्या का सामाधान कैसे हो सकता है । आज हिन्दी के साम्राज्य का जो नारा उठा हुआ है उसका कारण यही हो सकता कि जब हम हिन्दी के लिये बात करते हैं तो कहीं कहीं से उसके खिलाफ आवाज आती है लेकिन यह बात सही है कि हमारे देश की ७५ प्रतिशत जनता हिन्दी जानने और समझने वाली है, और इसलिये देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी होनी चाहिये यह मान कर, समझ कर ही संविधान सभा ने इसकी व्यवस्था की थी । जब संविधान बना था तो उस समय उसके निर्माताओं के मस्तिष्क में यह बात साफ थी कि केवल हिन्दी ही इस देश की राष्ट्र भाषा हो सकती है और यहां के अधिकांश जन उसी में अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं । इसलिये संविधान निर्माताओं ने यह सोच कर कि हम कोई ऐसा काम न करें जो अनप्रेक्टिकल हो, जिसे हम लागू नहीं कर सकते । हमारे संविधान में यह कहा गया था कि १५ वर्ष तक हमारे देश की सरकार का काम काँज अंग्रेजी भाषा में होगा । लेकिन उनकी मंशा यह थी कि अंग्रेजी सदैव के लिये नहीं रह सकती । इसीलिये उन्होंने दूसरे अनुच्छेद में कहा था कि राष्ट्रपति हर ५ साल के बाद एक कमीशन को नियुक्ति करेंगे जो इस बात की जांच करेगा कि अपनी भाषा को जल्दी से जल्दी कैसे अपना सकते हैं । उसके विस्तार के लिये वह कमीशन पूरी कोशिश करेगा । राष्ट्रपति महोदय ने उस कमीशन की नियुक्ति भी की थी और उसने अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को प्रस्तुत की और अपने सुझाव भी दिये । लेकिन मुझे आज यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि उस कमीशन की रिपोर्ट पर, उसके सुझावों पर, इस सरकार द्वारा तनिक भी गंभीरता पूर्वक विचार नहीं हुआ है और न ही इस बात की कोशिश की गयी है कि जो उसकी मंशा है उसको पूरा किया जाय ।

श्रीमन्, आज आप जिस गद्दी पर सुशोभित हैं इसी गद्दी पर माननीय टंडन जी जब सुशोभित थे तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि हमारे बच्चों की शिक्षा हिन्दी में ही हो और उसके प्रसार के लिये जो कुछ उन्होंने किया, उसके कारण जो कुछ भी कठिनाइयां उठाईं, वह हम सब जानते हैं । आज यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम इस ओर गंभीरता के साथ विचार नहीं कर रहे हैं । आज अगर इसकी व्यवस्था हो जाय कि हमारे माध्यमिक स्कूलों के बच्चे किसी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे तो कोई तेलगू भाषा पढ़ेगा, कोई बंगाली भाषा पढ़ेगा, कोई मराठी भाषा पढ़ेगा और उसका फल यह होगा कि हमारे देश के अन्दर एक ऐसा दृष्टि-कोण पैदा होगा जिसके फलस्वरूप एकता को बल मिलेगा । आज अगर हम किसी दूसरे प्रान्तों में जाते हैं तो अंग्रेजी के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं । आज हमारे बच्चे अगर अपने ही देश की अन्य भाषाओं को जानने लगेंगे तो वे दूसरे प्रान्तों से अपने ही देश की भाषाओं में अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकेंगे । आज अगर हम रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीताञ्जली को पढ़ना चाहते हैं तो उसे हम अंग्रेजी में ही पढ़ कर उसका आनन्द ले सकते हैं । लेकिन बंगाली में नहीं पढ़ सकते ।

श्रीमन्, तीसरी चीज जो इस प्रस्ताव में है उसको लेकर सरकार ने बड़ी परेशानी महसूस की है और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि यह बात प्रैक्टिकल मालूम नहीं होती। हमारे नवलकिशोर जी ने यह कहा है कि अगर हम अपने बच्चों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा नहीं देते हैं तो वे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बैठ कर काम नहीं कर सकते और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्पर्क बनाये रखने के लिये यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी में भी ट्रेंड करें। अगर उनका यह तर्क मान लिया जाय तो इसका तात्पर्य तो यह होगा कि भविष्य में, चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय समाज में हमारा सम्पर्क दिनो दिन बढ़ता जायेगा, अंग्रेजी के साम्राज्यवाद को हमें हमेशा के लिये मान लेना होगा और उसका एक अर्थ यह भी होगा कि हमारी भाषा में उतनी क्षमता नहीं कि हम अपनी भाषा के माध्यम से उस अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना सम्पर्क स्थापित रख सकें। आज रूस आदि ऐसे अनेक देश हैं जिनके नाम भी लिये गये हैं जो अपनी भाषा के माध्यम से ही अपने यहां अनेक प्रकार की उन्नति कर सके हैं। उन देशों ने अपने ही देश की भाषा को अपनाया है। "प्रत्यक्षं किम् प्रमाणम्"। यह चीज हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि फिर भी हम अपने दृष्टिकोण को बदलते नहीं। आज उस दृष्टिकोण को बदलने के लिये हमें अपने में साहस पैदा करने की जरूरत है। जो यह सरकार नहीं कर पाती। अगर सरकार के अन्दर यह साहस पैदा हो जाय, यह निर्णय कर ले कि अपनी मातृभाषा के अन्दर, उसी के माध्यम से शिक्षा करनी है और सारा काम उसके अन्दर करना है तो मैं समझता हूं कि आज इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई या रुकावट नहीं पड़ सकती।

आज जब माननीय राजनारायण ने प्रश्नों के घंटे में एक जी० ओ० दिखलाया था उसमें रोडवेज के कुछ कर्मचारी जिनकी उचित मांगें थीं, उनकी उचित सुविधाओं को छीना गया। उस आदेश में था कि छुट्टी कम की जायगी और कुछ काम के घंटे बढ़ाये गये, लेकिन वह आदेश भी अंग्रेजी में लिखा गया, क्या वह हिन्दी में नहीं लिखा जा सकता था? क्या सरकार वचन-बद्ध नहीं है कि हमारे प्रदेश की राज्यभाषा हिन्दी है, लेकिन अगर एक मीटिंग बुलानी हो तो भी वह अंग्रेजी में लिख कर बुलायी जायगी। क्या वह काम हिन्दी में नहीं किया जा सकता? प्रश्न एक निश्चय करने का है और उसको कार्यान्वित करने का है और दृढ़ विश्वास के साथ करने का है, दृष्टिकोण को बदलने का है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा शासक दल वह दृष्टिकोण नहीं बदल पा रहा है, वह विश्वास अपने अन्दर पैदा नहीं कर पा रहा है और एक उल्टा तर्क देने की कोशिश की जाती है। अगर मैं यह कहूं कि हमारी गुलामी की प्रवृत्ति है या दासत्व की भावना है जो हमें छोड़ती नहीं जिसके साथ हम बंधे हुए हैं, तो यह अनुचित नहीं होगा। हम अपने विचारों के अन्दर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा नहीं कर पा रहे हैं।

श्रीमन्, अभी ५ साल पहले जो कहा जाता था कि विश्वविद्यालय के अन्दर सिवाय अंग्रेजी के दूसरी भाषा पढ़ाई नहीं जा सकती, तो बड़ा शोर मचा। हमारे देश के अन्दर वह व्यक्ति जो समझते थे कि राष्ट्र भाषा के अन्दर क्षमता है कि हम उसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा दे सकते हैं, उन्होंने कहा कि हिन्दी के माध्यम से विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाय। काशी विश्वविद्यालय ने हिम्मत करके और अपनी उस पृष्ठभूमि को याद करके जब कि महामना मालवीय जी ने कुछ आदर्श हमारे सामने रखे थे, उन्होंने तय किया कि वहां पर हिन्दी के माध्यम से शिक्षा होनी चाहिए और पहले बी० ए० में उन्होंने हिन्दी के माध्यम से इतिहास, अर्थशास्त्र दूसरी भाषाओं के अन्दर पढ़ाना आरम्भ किया। दूसरे कुछ अन्य विश्वविद्यालयों ने भी उसका अनुकरण किया। आज कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। लेकिन दूसरी रुकावट जोकि हमारे अन्दर साहस का अभाव प्रकट करती है वह यह आयी कि विज्ञान की शिक्षा सिवाय अंग्रेजी के दूसरी भाषा में नहीं दी जा सकती। यह हमारे अन्दर विश्वास की कमी घर कर गई है। नतीजा यह है कि यह दूसरा हमारे रास्ते में रोड़ा अटका हुआ है। श्रीमन्, यह राष्ट्र के उत्थान का प्रश्न है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

हालत क्या है ? पिछले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे को देखिये। ४० फीसदी बच्चे पास होते हैं । ६० फीसदी इस लिए फेल होते हैं कि वह अंग्रेजी के अन्दर नहीं लिख सकते । इस प्रकार करोड़ों रुपया इस गरीब प्रदेश का बबाद होता है क्योंकि बच्चे अपने भाव उस भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते । आज उनकी जिन्दगी बर्बाद हो रही है । इस प्रश्न को शिक्षा की जो स्थायी सलाहकार समिति है उसमें मैंने उठाया था और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री से कहा था कि आप को हिन्दी के एक पत्र का सम्पादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपको साहस के साथ इस आवाज़ को उठाना चाहिए और कोई कदम बढ़ाना चाहिये । उन्होंने उस समय मुझे आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न को उठायेंगे, लेकिन एक कठिनाई थी---चूंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सारी प्रतियोगिता अंग्रेजी के अन्दर होती है, अगर हमने अपने राज्य के अन्दर हिन्दी में शिक्षा देने की प्रथा चलायी तो हमारे बच्चे यूनियन सर्विसेज में नहीं आ पायेंगे इसलिये हम को इस प्रश्न को राज्य से लेकर केन्द्र तक उठाना पड़ेगा । श्रीमन्, मैं तो कहता हूं कि अगर सरकार निर्णय ले कि हम बच्चों को हिन्दी में शिक्षा देंगे, हिन्दी के माध्यम से देंगे तो इस प्रदेश के नौजवान इस बात के लिये तैयार होंगे कि चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों में आने वाले १० वर्षों तक न जांय लेकिन वह आपके इस कदम का स्वागत करेंगे । मैं आपके द्वारा फिर सरकार से अन्त में कहना चाहता हूं कि आप अपनी इन तमाम नीतियों पर आद्योपान्त विचार करें । आज यह आवश्यकता नहीं है कि आप कमजोर तर्कों का सहारा लेने की कोशिश करें बल्कि संविधान में जो है, आपने जो वचन दिया है उसको पूरा करके राष्ट्र का उत्थान करें ।

श्री नवलकिशोर---चूंकि यादव जी ने अपने भाषण में मेरा नाम लिया इसलिये मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---पहली बात तो यह है कि मैं कुछ समय बढ़ा दूंगा सदन का क्योंकि सबेरे राजनारायण जी ने जो प्रश्न उठाया था उस पर श्री कैलाशप्रकाश जी कुछ प्रकाश डालेंगे ।

श्री नवलकिशोर---मैं केवल इतनी ही बात कह रहा हूं कि यादव जी ने मुझे कोट किया । उन्होंने शायद मुझे गलत समझा या डिस्टार्ट किया । उन्होंने कहा कि मैंने यह कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि अंग्रेजी का माध्यम रखा जाय । मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में माध्यम की कोई चर्चा ही नहीं है कि कौन-सा माध्यम हो या न हो । मैंने तो यह कहा था कि अंग्रेजी पढ़ने का एक कारण यह भी है कि वह एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है और विज्ञान वगैरह का साहित्य उस भाषा में है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों तथा अन्तरिम जिला परिषदों के चुनावों के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब इस प्रस्ताव पर बहस अगले असरकारी दिवस को होगी । अब श्री राजनारायण जी ने जो प्रश्न ग्राम पंचायतों और अन्तरिम जिला परिषद् के बारे में उठाया था उसके सम्बन्ध में कैलाशप्रकाश जी अपना स्पष्टीकरण देंगे ।

***स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)**---अध्यक्ष महोदय, अन्तरिम जिला परिषद में जब वह बनाई गई थी प्लानिंग कमेटी के तमाम सदस्य और जिला परिषद् के कुछ प्रतिनिधि सम्मिलित हुये थे । अन्तरिम जिला परिषदें जो अब चल रही हैं, उस समय प्लानिंग कमेटी की जो सदस्यता थी वह इसमें सम्मिलित है। प्लानिंग कमेटी की सदस्यता में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक धारा यह थी कि प्लानिंग कमेटी के सदस्यों में हर ब्लाक से प्रधानों द्वारा चुना हुआ एक प्रधान भी होगा। यानी हर ब्लाक के प्रधानों द्वारा चुना हुआ एक प्रधान प्लानिंग कमेटी का सदस्य होगा। और यदि किसी जिले में ब्लाक्स की संख्या १० या उससे कम हो तो प्रत्येक ब्लाक से २ प्रधान चुने जायंगे। दिसम्बर, १९६० में जब अन्तरिम जिला परिषद् का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, एक अध्यादेश के जरिये ३० जून तक इसका कार्यकाल बढ़ाया गया और उसी समय यह कहा गया कि अंतरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष चुना हुआ होगा। जनवरी में पंचायतों के चुनाव हो रहे थे जो काफी हदतक सम्पन्न हो चुके हैं। वैधानिक रूप में जो भी सदस्य प्रतिनिधि चुनकर आता है और जब आम चुनाव हो जाता है तो उसके बाद वह प्रतिनिधि नये चुने हुए सदस्यों का होना चाहिये। हमारी भी इच्छा यही है कि पंचायतों के चुनाव में, जो नये प्रधान चुने गये हैं, इन प्रधानों के द्वारा एक या दो, जैसी भी संख्या निश्चित हो, प्रधान चुन कर अंतरिम जिला परिषद् के सदस्य हों। फिर अन्तरिम जिला परिषद् का चुनाव हो। यह चुनाव हम १० फरवरी से २० फरवरी तक कराने वाले थे क्योंकि हम चाहते थे कि अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष शीघ्र से शीघ्र चुन जाय। जिलों में इस बात की भी सूचना भेज दी गयी थी किन्तु एक वैधानिक कठिनाई उपस्थित हो गयी जिसकी ओर मेरे मित्र राजनारायण जी ने भी ध्यान आकर्षित किया है। पंचायत राज विधेयक के अन्तर्गत एक पंचायत भी स्थापित नहीं की जा सकती है जब तक उसके दो तिहाई सदस्य न चुन लिये जायं। और जब किसी पंचायत का कार्यकाल प्रारंभ होता है तभी प्रधान का कार्यकाल भी प्रारंभ होता है यद्यपि चुनाव बहुत कुछ तादाद में हो चुके हैं, किन्तु यह एक बहुत बड़ी कमी है।

पिछला तजुरबा इस बात को बताता है और फिर भी हो सकता है कि बहुत से ब्लाकों में ऐसी पंचायतें रह ही गयी होंगी जिनके दो-तिहाई पंचों का चुनाव नहीं हुआ होगा। और यदि ऐसी पंचायतें रह गयी हैं, चाहे एक ब्लाक में एक पंचायत रह गयी हो, या एक जिले में एक पंचायत रह गयी हो, हम उस पंचायत को नियमानुसार स्थापित नहीं कर सकते। जब नियमानुसार हम उसको कान्स्टीट्यूट नहीं कर सकते तो फिर नये प्रधान का कार्यकाल प्रारम्भ नहीं होगा। यदि नये प्रधान का कार्यकाल प्रारम्भ न हुआ तो नये प्रधान को अपने प्रतिनिधि के भेजने का अधिकार प्राप्त न होगा। यदि कोई पंचायत नहीं बनी है और उसके दो–तिहाई मेम्बर नहीं चुने गये, लेकिन प्रधान नया चुन लिया गया है और अगर इस चीज को मान लिया जाता है कि इस परिस्थिति में पुराने प्रधान को ही राय देने का हक प्राप्त होगा, लेकिन हम इस बात को नहीं चाहते हैं। मेरे दोस्त राज नारायण जी भी इस बात को नहीं चाहते हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस कारण २० फरवरी तक ब्लाकों से प्रतिनिधि भेजने का जो चुनाव होने वाला था उसको सरकार ने स्थगित कर दिया है। कब तक के लिये स्थगित कर दिया है यह अभी मालूम हो जायगा। स्थगित इसलिये कर दिया है कि हमें इस बात की संभावना दिखायी नहीं देती है कि सारी ७३ हजार पंचायतें कंस्टीट्यूट हो जायेंगी। हो सकता है १०–२०–१०० ऐसी पंचायतें रह जायं।

इस कठिनाई को दूर करने के लिये जो अध्यादेश को बदलने के लिये जिला परिषद् विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत होने वाला है उसमें हम प्राविधान करने वाले हैं कि जो नये प्रधान चुन लिये गये हैं, यद्यपि पंचायतें कंस्टीट्यूट नहीं हुई हों, ऐसी दशा में ब्लाकों से जो प्रतिनिधि भेजे जायं उन्हें मत देने का अधिकार हो।

(किसी सदस्य के कुछ कहने पर)

आप समझ लीजिये, तब आप को सवाल जवाब करने और समझने में सहूलियत होगी। मैं बहुत स्पष्ट हूं यह प्राविधान हम अन्तरिम जिला परिषद् में करना चाहते हैं और चूंकि शीघ्र ही हम चुनाव कराना चाहते हैं इसलिये ही हम ने यह प्रार्थना की है कि हमारी जो अन्तरिम

[श्री कैलाशप्रकाश]

जिला परिषद् विधेयक है वह इस सदन में भी और दूसरे सदन में भी प्राथमिकता देकर पारित किया जाय। अगर हमारे दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाते हैं तो १६ तारीख को तो वह यहां उपस्थित हो जाय और २२ को परिषद् में उपस्थित हो जाय और यदि इस कार्यक्रम के मुताबिक यह विधेयक पारित हो जाता है तो मार्च में होली की छुट्टी के समाप्त होते ही यह चुनाव का काम शुरू हो सकता है यही हमारा उद्देश्य है। यह स्पष्ट है कि इस कठिनाई के होते हुये भी यह अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक पारित हो जायगा और उसके बाद वह कार्यवाही प्रारम्भ की जायगी। हमारी इच्छा है कि यह कार्य शीघ्राति-शीघ्र हो सके और इसके लिये सदन के सहयोग की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण और चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अन्तरिम जिला परिषद् संशोधन विधेयक १६ को इस सदन में और २२ को विधान परिषद् में रखकर सरकार की इच्छा है कि जल्द से जल्द उसको पास करा लें, लेकिन अगर किसी कारण यह न हो पाया तो सरकार दूसरी व्यवस्था क्या करेगी? क्योंकि अगर सरकार पास भी करा लेगी फिर भी वह पास होने के बाद उस को कार्यान्वित कराने में देर करेगी.....

श्री अध्यक्ष--वह कहते हैं कि होली के बाद करा लेंगे।

श्री राजनारायण--तो क्या २ मार्च तक अधिनियम बन जायगा?

श्री अध्यक्ष--पास हो जायगा तो बन जायगा, एक ही तो संशोधन है बाकी तो अध्यादेश के हिसाब से है, उस को तो राज्यपाल फौरन स्वीकार कर ही लेंगे।

श्री राजनारायण--तो क्या इस तरह से १५ मार्च तक जायगा?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं।

श्री राजनारायण--तो ७ मार्च तक समझें।

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं। विचार यह है कि यह विधेयक पारित हो जाय और अधिनियम बन जाय और फौरन ही इस का काम आरम्भ किया जाय और अभी तक खयाल ऐसा है कि यदि विधेयक पारित होने का काम इसी क्रम के साथ चला तो जैसे ही होली का अवकाश समाप्त होगा ब्लाकों से प्रतिनिधि भेजने की बात हम कर रहे हैं।

श्री राजनारायण--इस तरह से तो चुनाव १५ तक गया? ५ तक छुट्टी है तो ७ मार्च हम कह रहे हैं, ७ मार्च के पहले ब्लाकों के सभापतियों के द्वारा अन्तरिम जिला परिषद् के प्रतिनिधि नहीं चुने जायंगे?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं, यह तय नहीं है कि ७ मार्च के पहले ब्लाकों से अन्तरिम जिला परिषदों के लिये प्रतिनिधि नहीं चुने जायंगे।

श्री राजनारायण--तो फिर तय क्या है?

श्री कैलाशप्रकाश--५ तक तो होली की छुट्टी है, ६,७,८ और ९ में हो सकता है, निश्चित तारीख तो बाद में देंगे। ६ पहले पड़ती है।

श्री राजनारायण--६ को सदन खुल रहा है, हमारे पास मिर्जापुर की चिट्ठी आई है, वहां के लोगों ने पत्र लिखा है कि यहां भीतर भीतर इन के सारे काम हो रहे हैं। और यह ऐसा समझते हैं कि एकदम से अचानक जाकर उसी में चुनाव करा दें ताकि कोई तैयार रहे,

कोई न रहे। इसलिये मैं चाहता हूं कि जरा सरकार स्पष्ट कर दे ताकि उसके मुताबिक हम लोग भी तैयारी करें ।

श्री कैलाशप्रकाश——यदि राजनारायण जी मुझे इस बात का आश्वासन दे सकते हों कि जो कार्यक्रम मैंने बनाया है कि यहां १६ को अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक पारित हो जाय और २२ तारीख को विधान परिषद में पारित हो जाय, वह हो जाएगा तो ६,७,८ तारीख को ब्लाकों से चुनाव होकर प्रतिनिधि जाएंगे ।

श्री राजनारायण——ठीक है तो हमने समझ लिया कि ६ के पहले नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष——अब हम उठते हैं और मंगल को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १३ मिनट पर मंगलवार, १४ फरवरी, १९६१ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
१० फरवरी, १९६१ ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०९ पर)

अधिकारी गण जिन्होंने उत्तर प्रदेश तथा बिहार सीमा सम्बन्धी बैठक जो पटना में २३ जनवरी, १९६१ को हुई उसमें भाग लिया।

उत्तर प्रदेश सरकार :—

१—श्री ठाकुर हुकुमसिंह, राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश।
२—श्री जे० बी० टंडन, आई० ए० एस०, कमिश्नर, बनारस डिवीजन।
३—श्री शिवराम सिंह, आई० ए० एस०, राजस्व सचिव, उत्तर प्रदेश।
४—श्री दशरथसिंह, आई० ए० एस०, राजस्व उप सचिव, उत्तर प्रदेश।
५—श्री टी० जी० के० चारलू०, आई० ए० एस०, जिलाधीश, बलिया।

बिहार सरकार—

१—श्री विनोदानन्द झा, राजस्व मंत्री, बिहार।
२—श्री राधागोविन्द प्रसाद, राजस्व उपमंत्री, बिहार।
३—श्री एम० एस० राव, आई० सी० एस०, मुख्य सचिव, बिहार।
४—श्री के० रमन, आई० सी० एस०, लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर, बिहार।
५—श्री एस० वी० सोहनी, आई० सी० एस०, कमिश्नर, पटना डिवीजन।
६—श्री के० के० मित्रा, आई० ए० एस०, सचिव, राजस्व विभाग, बिहार सरकार।
७—श्री के० अब्राहम, आई० ए० एस०, सचिव, राजनीति विभाग, बिहार सरकार।
८—श्री एन० के० प्रसाद, आई० ए० एस०, संचालक, भूमि व्यवस्था, बिहार।
९—श्री बी० के० दुबे, उप सचिव, राजनीति विभाग, बिहार सरकार।
१०—श्री नन्देश्वर प्रसाद, जिलाधीश, शाहाबाद।
११—श्री ए० के बोस, अतिरिक्त जिलाधीश, सरन।
१२—श्री एस० सी० सरकार, उप संचालक सर्वे, बिहार।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१४ पर)

PROMOTION RULES OF A. D. GOVERNMENT INTER COLLEGE FOR GIRLS, GORAKHPUR, 1960

1. *Clear pass*—Thirty-three per cent in each subject (all the examinations included), 33 per cent in the aggregate of all the examinations.

2. *Rules for promotion*—In all the cases mentioned below the total aggregate should be 33 per cent.

3. Grace marks will be allowed on the basis of the total of both the examinations.

4. *Classes IX and XII*—Grace marks may be granted to the extent of 15 in case of failure in single subject and 12 to be distributed over a maximum of two subjects in case of failure in two subjects. *Classes VIII, VII and VI*—Grace marks may be granted to the extent of 15 in case of three subjects in case of failure in three subjects.

5. *Medical Leave Cases*—Students appearing in the Half-yearly Examination and remaining absent in the Annual Examination will not be allowed any grace mark for promotion. Those appearing in the Annual Examination and remaining absent in the Half-yearly Examination will be allowed 6 grace marks in classes VI, VII and VIII to be distributed over three subjects only.

6. A student who fails in the Half-yearly Examination, but passes clearly in the Annual Examination, i.e. secures 33 per cent in each subject and also secures pass marks in the aggregate shall be promoted.

7. *Special Rules for Class VIII*—Failure in one subject which is optional in Class IX may be promoted with 23 per cent marks (both the examinations included) provided the subject is not offered in Class IX and provided that the girl obtains 33 per cent marks in Class VIII should be written on both the Marks Register and Result Card of the girl.

8. A student who fails in the Half-yearly Examination, but passes clearly in the Annual Examination, i.e. secures 33 per cent in each subject and also secures pass marks in the aggregate shall be promoted.

9. Students coming on transfer will have to secure 33 per cent marks in the aggregate of all the examinations in which they appeared.

10. Students taking part in extra-curricular activities like Drama, Debates, Music, Sports, etc. in connection with the District and Regional Rally and College Week this year should be given the following special consideration over and above the grace marks permitted in ordinary cases:

(1) Ten special grace marks will be distributed over as many subjects as required in case of each student.

(2) Five special grace marks will be distributed over as many subjects as required in case of students participating in A. C. C.

Every student should put in 8 per cent attendence for getting promotion.

(Sd.) S. B. CHATTERJI,
Lady Principal,
A. D. Government Girls' Inter College,
Gorakhpur.

TRUE COPY

(Sd.)

Regional Inspectress of Girls' Schools, VII Region, Gorakhpur.

Rules for promotion—Session 1959-60 Government Jubilee H. S. S., Gorakhpur.

VI—Aggregate not less than 33 per cent and failure up to two subjects with marks not less than 10 per cent in any.

VII—Aggregate not less than 33 per cent and failure (1) in one subject if marks secured be not less than 15 per cent in that subject, or (2) in two subjects.

VIII—If marks secured in the two subjects together be not less than 25 per cent and in any not less than 15 per cent.

IX—Aggregate not less than 33 per cent with failure.

(1) In one subject if marks secured be not less than 20 in that subject.

or

(2) In two subjects if marks secured in two subjects be not less than 25 per cent and in any not less than 20 per cent pass marks in English is to be 30 per cent in Class IX. In consideration of this lowering of pass marks for purpose of promotion every 10 marks secured in this subject is to be counted as 11 marks. No grace marks are to be allowed in this subject. Aggregate is not to be affected.

Grace marks—Up to 5 marks (in classes VI, VII and VIII) and up to 3 marks in Class IX may be given in one subject or may be distributed over several subjects to bring the marks in the subject or subjects to the pass level. They shall be given only when they are of any use. They shall not be added in Grand Total which shall remain unaffected.

Scrutiny—Hard cases needing one and only one mark for coming under the rules of promotion shall be eligible for scruitiny.

(Sd.) V. P. RASTOGI,

Principal,

Government Jubilee H. S. S., Gorakhpur.

TRUE COPY

(Sd.) District Inspector of Schools, Gorakhpur.

नत्थी 'ग'

देखिये तारांकित प्रश्न १०० का उत्तर पीछे पृष्ट ४२६ पर

क्रम सं०	चुनाव की तिथि	कुल अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या जिसमें एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र भी शामिल है	हरिजन अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये कुल अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये हरिजन अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये कुल व्यक्तियों की संख्या	चुने गये हरिजन व्यक्तियों की संख्या	चुनाव में सफल हुये उम्मीवारों के नाम तथा पते	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	अगस्त ७/८ १९५८	९७	३	६५	३	४	..	१–श्री स्वामी नाथ, ग्राम तथा पत्रालय वर्द गोनियां देवरिया । २–त्रिभुवन सिंह, ग्राम मंजुरी पोस्ट शिवपुर, जिला गोरखपुर । ३–गोपाल दास शुक्ला, द्वारा ग्रैन्ड होटल एन्डयार स्टेशन रोड, गोरखपुर। ४–दीपनारायण तिवारी, ग्राम परसा तिवारी, पोस्ट उरवा बाजार, गोरखपुर	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	चुनाव की तिथि	कुल अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या जिसमें एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र भी शामिल हैं	हरिजन अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये कुल अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये हरिजन अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये कुल व्यक्तियों की संख्या	चुने गये हरिजन व्यक्तियों की संख्या	चुनाव में सफल हुये उम्मीदवारों के नाम तथा पते	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२	अप्रैल २७, २८ २९, १९६०	७४२	७७	७४२	७७	१४	२	१—श्री राजबहादुर सिंह भदोरिया द्वारा श्री सूरज सिंह भदोरिया, कम्पनी पनोन्हर ग्राम तथा पत्रालय ऊदी, जिला इटावा । २—दुर्गेश नारायण सिंह ग्राम तथा पोस्ट पथरहट गौरी बाजार देवरिया । ३—हरद्वार सिंह द्वारा श्री एस० एन० घोष एडिटर, पायनियर प्रेस, लखनऊ ।	

प्रदेश पुस्तकालय
विधान सभा

४—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, सी०/४,१९६ सराय गोबरधन, वाराणसी ।

५—श्री शारदा नन्द त्रिपाठी, ग्राम कटया, पोस्ट कठकुइयां, देवरिया ।

६—श्री श्याम सुन्दर लाल, १ ए० ई० ब्लाक रोड, लखनऊ ।

७—श्री मनराज राम, यस० के० पी० मन्टी बाजार (हरिजन) पो० अहिरौला वंधेत, देवरिया

८—श्री दिनेश चन्द्र सिन्हा द्वारा श्री ईश्वर चन्द्र सिन्हा सहायक संपादक, आज, वाराणसी ।

९—श्री विश्नु भास्कर मनी द्वारा श्री विन्ध्याचल मनी सहायक अध्यापक, एस० एस० ओ० एस० इन्टरमीडिएट कालेज, देवरिया ।

वेटिंग लिस्ट

१०—श्री गुरुदान सिंह द्वारा श्री गुरुदत्त सिंह भक्त भवन, आजमगढ़ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	चुनाव की तिथि	कुल अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या जिसमें एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र भी शामिल है।	हरिजन अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये कुल अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये हरिजन अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये कुल व्यक्तियों की संख्या	चुने गये हरिजन व्यक्तियों की संख्या	चुनाव में सफल हुये उम्मीदवारों के नाम तथा पते	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
							वेटिंग लिस्ट	११—श्री जमाल अहमद द्वारा श्री लाल मोहम्मद खां ग्राम व पोस्ट कप्तानगंज, देवरिया। १२—श्री पंचदेव राम, ग्राम तथा पत्रालय अनौली, जिला गाजीपुर, (हरिजन) १३—श्री गनेश दत्त मिश्र, ग्राम रामकोला पत्रालय सानर, जिला आजमगढ़। १४—हरिहर सिंह, लालबाग देवी जी का मन्दिर, लखनऊ।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२४४ एल० ए०—१९६१—८४५।